



क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना

अल्लापुर रानीमऊ ग्राम पंचायत

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
उत्तर प्रदेश सरकार

बाराबंकी





कलाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना



बाराबंकी

अल्लापुर रानीमऊ ग्राम पंचायत

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
उत्तर प्रदेश सरकार



प्रकाशन

पर्यावरण निदेशालय, उत्तर प्रदेश (डीओई) (DOE) एवं उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन प्राधिकरण

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

Email: doeuplko@yahoo.com; Website: www.upenv.upsdc.gov.in

तकनीकी सहयोग

वसुधा फाउंडेशन

गोरखपुर एनवायर्नमेंटल एक्शन ग्रुप (GEAG)

मार्गदर्शन

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

श्री मनोज सिंह, आईएएस, अपर मुख्य सचिव

श्री आशीष तिवारी, आईएफएस, सचिव

जिला प्रशासन

श्री सत्येन्द्र कुमार, आईएएस, जिला मजिस्ट्रेट (डीएम), बाराबंकी

श्री अन्ना सुदन, आईएएस, मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ), बाराबंकी

वसुधा फाउंडेशन

श्री श्रीनिवास कृष्णास्वामी, सीईओ

श्री रमन मेहता, कार्यक्रम निदेशक

डॉ. एस. सतपथी, विशेषज्ञ परामर्शदाता

गोरखपुर एनवायर्नमेंटल एक्शन ग्रुप (GEAG)

डॉ. शिराज़ वजीह, अध्यक्ष

लेखक

वसुधा फाउंडेशन

सुश्री स्वाति गुप्ता, सुश्री शिविका सोलंकी, सुश्री रिनी दत्त

गोरखपुर एनवायर्नमेंटल एक्शन ग्रुप (GEAG)

श्री विजय कुमार पांडे एवं श्री के. के. सिंह

शोध समर्थन

वसुधा फाउंडेशन

डॉ. प्रीति सिंह, श्री नवीन कुमार, सुश्री मोनिका चक्रवर्ती, श्री नवीन कुमार, सुश्री फातिमा सैला

अल्लापुर रानीमऊ पंचायत

सुश्री अर्चना शर्मा, ग्राम प्रधान

डिज़ाइन एवं लेआउट

वसुधा फाउंडेशन

श्री रोहित कुमार, श्री संतोष कुमार सिंह, सुश्री स्वाति बंसल, सुश्री प्रिया कालिया



सत्येन्द्र कुमार
आई0ए0एस0
जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर



फोन नं0 कार्या0 : 05248-222730
निवास : 05248-222229
फैक्स नं0 निवास : 05248-222629
ई-मेल : dmbab@nic.in
जिलाधिकारी, बाराबंकी
उत्तर प्रदेश - 225001

:- संदेश :-

ग्राम पंचायतों को जलवायु सजग ग्राम पंचायत बनाने हेतु समर्पित क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत अल्लापुर रानीमऊ, विकास खण्ड रामनगर, जनपद बाराबंकी की कार्ययोजना हेतु संदेश लिखते हुए मुझे बहुत सम्मान का अनुभव हो रहा है। जैसा कि हम जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों को देख रहे हैं, हमारे लिये ज़मीनी स्तर पर तत्काल और व्यापक कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है। हमारी ग्राम पंचायतें, समुदाय के निकटतम शासन की एक आवश्यक इकाई होने के नाते जलवायु संबंधी चुनौतियों को कम करने और सतत विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। हमारे समुदाय, हमारा पारिस्थितिकी तंत्र और हमारी अर्थव्यवस्था सब आपस में जुड़े हैं और हमारे लिये ऐसी रणनीतियों को अपनाना आवश्यक है जो जलवायु से जुड़े जोखिमों को कम करती हों।

ग्राम पंचायतों हेतु तैयार यह कार्ययोजना जलवायु पर कार्य करने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है जो पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट पंचायत बनाने के लिये एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगी।

मैं इस क्लाइमेट स्मार्ट कार्ययोजना निर्माण के लिये पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश, तकनीकी सहयोगी वसुधा फाउंडेशन, नई दिल्ली को धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि निर्मित कार्ययोजना ग्राम पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनने में सहयोगी होगी।

धन्यवाद !


(सत्येन्द्र कुमार)
जिलाधिकारी,
बाराबंकी।



अन्ना सुदन
मुख्य विकास अधिकारी
जनपद बाराबंकी

दिनांक:—.....

संदेश

मैं क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत योजना विकसित करने में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश, तकनीकी सहयोगी वसुधा फाउंडेशन, नई दिल्ली उ0प्र0 के समर्पित प्रयासों के लिये हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।

जिस प्रकार हम और हमारी ग्राम पंचायतें जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों का सामना कर रही हैं उसमें यह कार्ययोजना सहयोगी होगी। स्मार्ट और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देकर हमारा लक्ष्य एक ऐसा मॉडल तैयार करना है जो न केवल हमारी पर्यावरण की रक्षा करे बल्कि समुदाय के समग्र कल्याण को भी बढ़ाये।

यह कार्ययोजना हमारी ग्राम पंचायत में संवाद, सहयोग और क्रियान्वयन को प्रेरित करे। साथ मिलकर हम प्रभावी जलवायु नीतियों को लागू कर सकते हैं, स्थायी लक्ष्यों को अपना सकते हैं और एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं जो न केवल पर्यावरणीय रूप से मजबूत हो बल्कि सामाजिक रूप में भी न्यायसंगत हो।

एक बार फिर क्लाइमेट स्मार्ट कार्ययोजना तैयार करने में अमूल्य योगदान के लिये आप सभी को धन्यवाद। हम योजना के सफल कार्यान्वयन और समुदाय एवं पर्यावरण पर इसके सकारात्मक प्रभाव की आशा करते हैं।

धन्यवाद !

(अन्ना सुदन)
मुख्य विकास अधिकारी,
जनपद बाराबंकी

अर्चना शर्मा

प्रधान

ग्राम पंचायत-अल्लापुर रानीमऊ
बि०ख० रामनगर जिला-बाराबंकी



निवास :-

अल्लापुर रानीमऊ
पो०-सुबियामऊ
रामनगर, जिला-बाराबंकी
मो० : 9415408889



-: आभार :-

सर्वप्रथम आप सभी को प्रधान, ग्राम पंचायत अल्लापुर रानीमऊ, विकास खण्ड रामनगर जनपद बाराबंकी की ओर से सादर नमस्कार और अभिनंदन। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मैं अपनी ग्राम पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने की ओर बढ़ाये गये प्रथम कदम / प्रयास को आपसे साझा करते हुए गर्व की अनुभूति कर रही हूँ।

जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियां हर दिन अधिक स्पष्ट होती जा रही हैं, हमारे समुदाय और भावी पीढ़ियों की भलाई के लिये उन पर कार्य करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। इस विषय की गम्भीरता को समझते हुए सभी ग्रामवासियों की सर्वसहमति से हमने अपनी ग्राम पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने की प्रक्रिया को प्रारम्भ किया। सर्वप्रथम आवश्यक था ग्राम पंचायत में जलवायु परिवर्तन संबंधी समस्याओं और मुद्दों की पहचान करना जिसके लिये सामुदायिक सहभागिता के साथ ग्राम सभा की बैठक एवं समूह केन्द्रित चर्चा के आयोजन के अतिरिक्त व्यक्तिगत चर्चा की गयी और आंकड़ों को एकत्र किया गया। आंकड़े एकत्र करने की प्रक्रिया को पंचायत में क्रियान्वित करने के लिये बसुधा फाउण्डेशन नई दिल्ली का तथा आंकड़ें एकत्र करने में हमारे सभी ग्रामवासियों के समर्थन और सक्रिय भागीदारी के लिये हृदय से धन्यवाद।

हम सभी साथ मिलकर हमारी पंचायत में एक पर्यावरण अनुकूल वातावरण बनायेंगे जो न केवल हमारे प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करेगा अपितु प्रत्येक ग्रामीण के जीवन की समग्र गुणवत्ता को भी बढ़ायेगा।

इसके साथ ही मैं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश और तकनीकी सहयोगी पार्टनर बसुधा फाउण्डेशन, नई दिल्ली, की आभारी हूँ जिन्होंने एकत्र किये गये आंकड़ों को कार्ययोजना का स्वरूप दिया तथा मार्गदर्शन एवं तकनीकी सहयोग प्रदान किया।

मैं सभी ग्रामवासियों से अपनी पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने के लिये हाथ मिलाकर आगे बढ़ने का आग्रह करती हूँ। आइये हम सभी एक सकारात्मक बदलाव की ओर आगे बढ़े और दूसरों के लिये उदाहरण स्थापित करें।

धन्यवाद !

अर्चना शर्मा

(अर्चना शर्मा)

प्रधान

ग्राम पंचायत अल्लापुर रानीमऊ

विषय-वस्तु

1	कार्यकारी सारांश	1
2	ग्राम पंचायत की रूपरेखा	4
	▪ अल्लापुर रानीमऊ ग्राम पंचायत एक दृष्टि में	4
	▪ जलवायु परिवर्तनशीलता प्रोफ़ाइल	5
	▪ प्रमुख आर्थिक गतिविधियां	6
	▪ कार्यरत महिलाएं	7
	▪ कृषि	8
	▪ प्राकृतिक संसाधन	8
	▪ अल्लापुर रानीमऊ में सुविधाएं	9
3	कार्बन फुटप्रिंट	10
4	व्यापक मुद्दे	11
5	प्रस्तावित अनुशंसाएँ /संस्तुतियाँ	12
	1. जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प	13
	2. सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	19
	3. सतत कृषि	25
	4. हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना	30
	5. स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुँच	34
	6. सतत और उन्नत गतिशीलता	44
	7. आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना	48
6	विचारार्थ अतिरिक्त संस्तुतियों की सूची	52
7	अनुकूलन, सह-लाभ और सतत विकास लक्ष्यों से जुड़ाव	58
8	आगे की राह	65
9	अनुलग्नक	66

चित्र तालिका

चित्र 1	: अल्लापुर रानीमऊ पंचायत, बाराबंकी जिले का भूमि उपयोग मानचित्र	7
चित्र 2	: अल्लापुर रानीमऊ में औसत वार्षिक अधिकतम और न्यूनतम तापमान (डिग्री सेल्सियस), 1991-2020	8
चित्र 3	: अल्लापुर रानीमऊ में वार्षिक वर्षा (मिमी), 1991-2020	9
चित्र 4	: अल्लापुर रानीमऊ में परिवारों की संख्या के अनुसार आय के स्रोत	10
चित्र 5	: अल्लापुर रानीमऊ में घरेलू स्तर की आय का अनुमान	11
चित्र 6	: अल्लापुर रानीमऊ में राशन कार्ड वाले परिवार	11
चित्र 7	: अल्लापुर रानीमऊ में विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में लगी महिलाओं की संख्या	12
चित्र 8	: अल्लापुर रानीमऊ में सकल फसल क्षेत्र का फसलवार वितरण	13
चित्र 9	: वर्ष 2023 में अल्लापुर रानीमऊ में विभिन्न गतिविधियों का कार्बन फुटप्रिंट	15
चित्र 10	: वर्ष 2023 में अल्लापुर रानीमऊ के कार्बन फुटप्रिंट में क्षेत्रों की हिस्सेदारी	16

उत्तर प्रदेश राज्य के बाराबंकी जिले की अल्लापुर रानीमऊ ग्राम पंचायत पूर्वी मैदानी कृषि-जलवायु क्षेत्र में स्थित है। अल्लापुर रानीमऊ की क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना ग्राम पंचायत (जीपी) स्तर पर जलवायु गतिविधियों/प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने और पंचायत को वर्ष 2035 तक क्लाइमेट स्मार्ट/लचीला बनाने के उद्देश्य से तैयार की गई है। यह कार्ययोजना ग्राम पंचायत को विशिष्ट दिशा प्रदान करती है जिससे पंचायत में लचीलापन लाने, अनुकूलन क्षमता को बढ़ाने, कमजोरियों और संबंधित जोखिमों को कम करने के साथ-साथ ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने, अतिरिक्त राजस्व सृजन, समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास, बेहतर स्वास्थ्य और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन जैसे अन्य सह-लाभ प्राप्त कर पाएगी।

उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, द्वारा तैयार क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत के कार्ययोजनाओं के विकास के उद्देश्य से तैयार किए गए मानक संचालन प्रक्रिया के मसौदे को अपनाकर इस कार्ययोजना को तैयार किया गया है। अल्लापुर रानीमऊके लिए क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना इस तरह से तैयार की गई है कि इसे अल्लापुर रानीमऊ की मौजूदा ग्राम पंचायत विकास योजना के साथ आसानी से और प्रभावी ढंग से एकीकृत किया जा सकता है।

इस कार्ययोजना में प्रमुख जनसांख्यिकीय और सामाजिक-आर्थिक पहलुओं, पूर्वी मैदानी कृषि-जलवायु क्षेत्र से संबंधित प्रमुख मुद्दों, जलवायु परिवर्तनशीलता, ग्राम पंचायत के कार्बन फुटप्रिंट विश्लेषण और प्राकृतिक संसाधनों की वर्तमान स्थिति को शामिल किया गया है। कार्ययोजना में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, समूह केंद्रित चर्चाओं, संबंधित सरकारी विभागों और एजेंसियों के माध्यम से एकत्र किए गए अल्लापुर रानीमऊ ग्राम पंचायत के समुदाय के सदस्यों के सुझावों को भी सम्मिलित किया गया है। इससे आधार रेखा बनाने और अल्लापुर रानीमऊ ग्राम पंचायत के प्रमुख मुद्दों की पहचान करने में सहयता मिली है।

जैसा कि क्षेत्रीय सर्वेक्षणों के दौरान यह बताया गया है कि इस ग्राम पंचायत में 1 राजस्व गांव और 4 बस्तियां और

दृष्टिकोण

प्राथमिक सर्वेक्षण टूल का विकास

सर्वेक्षण और प्राथमिक आंकड़ें एकत्र करना : पंचायत में सर्वेक्षण का कार्य ग्राम प्रधान और समुदाय के सदस्यों के सहयोग से किया गया। ग्रामीण सहभागी आंकलन की गतिविधियों यथा समूह केन्द्रित चर्चा, गाँव का भ्रमण (ट्रांसेक्ट वॉक), सामाजिक तथा संसाधन मानचित्रण आदि की सहायता एवं निवासियों और समुदाय के सदस्यों के सहयोग से आंकड़ें एकत्र किए गए।

आंकड़ों का विश्लेषण और कार्ययोजना निर्माण:

- **ग्राम पंचायत के रूपरेखा तैयार करना:** सर्वेक्षण प्रश्नावली पर प्राप्त जानकारी के आधार पर एक विस्तृत ग्राम पंचायत की रूपरेखा विकसित की गई। इस रूपरेखा में जनसांख्यिकी, जलवायु परिवर्तनशीलता, प्रमुख आर्थिक गतिविधियाँ, प्राकृतिक संसाधन और अल्लापुर रानीमऊ में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी सम्मिलित हैं।
- **मुख्य मुद्दों की पहचान:** सर्वेक्षण प्रश्नावली में प्राप्त जानकारी के माध्यम से प्रमुख जलवायु, विकासात्मक और पर्यावरणीय मुद्दों की एक विस्तृत सूची की पहचान की गई।
- **कार्बन फुटप्रिंट अनुमान:** अल्लापुर रानीमऊमें प्रमुख गतिविधियों* के लिए कार्बन फुटप्रिंट का अनुमान लगाया गया।
- **प्रस्तावित संस्तुतिया:** पहचाने गए/चिह्नित पर्यावरणीय और जलवायु मुद्दों के आधार पर अल्लापुर रानीमऊके लिए गतिविधियाँ/ संस्तुतिया तैयार की गईं। इन संस्तुतियों में पूर्वी मैदानी क्षेत्र की प्रचलित कृषि-जलवायु विशेषताओं को भी ध्यान में रखा गया है। इसके अतिरिक्त, अल्लापुर रानीमऊ की क्षेत्रवार अनुकूलन आवश्यकताओं और शमन क्षमता का निर्धारण किया गया है।

कार्ययोजना तैयार किए जाने के दौरान सहभागी दृष्टिकोण अपनाया गया। इससे जलवायु विषय पर कार्य करने के लिए समुदाय की क्षमता में वृद्धि होगी, साथ ही स्थानीय स्तर पर स्वामित्व और जवाबदेही की भावना को बढ़ावा मिलेगा।

* गतिविधियों में शामिल हैं - घरों में खाना पकाना, डीजल पंप के उपयोग से उत्पन्न उत्सर्जन, परिवहन, फसल अवशेष जलाना, पशुधन उत्सर्जन, उर्वरक उत्सर्जन, चावल की खेती और घरेलू अपशिष्ट जल।

440 परिवार हैं, जिनकी कुल आबादी 3,829¹ है। कृषि ग्राम पंचायत की मुख्य आर्थिक गतिविधि है। एक आधारभूत मूल्यांकन से पता चलता है कि अल्लापुर रानीमऊग्राम पंचायत का कार्बन फुटप्रिंट ~1,725 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन (tCO₂e) है।

ग्राम पंचायत अल्लापुर रानीमऊ में तत्काल कार्रवाई हेतु चिन्हित किए गए कुछ प्राथमिकता वाले क्षेत्र निम्न हैं:

- एक प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन बुनियादी ढांचे का विकास करना और स्वच्छता प्रबंधन में सुधार करना।
- सूक्ष्म सिंचाई, कृषि वानिकी तथा प्राकृतिक कृषि तकनीकों जैसी संधारणीय प्रथाओं को लागू करके कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाना।
- नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करना तथा घरों तथा सार्वजनिक उपयोगिताओं में सौर छतों, सौर ऊर्जा चालित पंपों तथा ऊर्जा कुशल उपकरणों के माध्यम से ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना।
- सामुदायिक भागीदारी प्रबंधन के साथ हरित आवरण में सुधार तथा वर्तमान जल स्रोतों को जीर्णोद्धार करने जैसे उपायों को लागू करना।
- आजीविका विकल्पों में विविधता लाना तथा हरित नौकरियों के अवसर पैदा करना।

संवेदनशील क्षेत्रों, समूह केन्द्रित चर्चाओं और क्षेत्र सर्वेक्षणों से उभरने वाले मुद्दों और ग्राम पंचायत में चल रही गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए, गतिविधियां प्रस्तावित की गई हैं। गतिविधियों में जल, कृषि, स्वच्छ ऊर्जा, हरित स्थानों को बढ़ाना, सतत अपशिष्ट प्रबंधन, सतत और उन्नत गतिशीलता और आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना के विषयगत क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है।

इन संस्तुतियों के अंतर्गत गतिविधियों को 3 चरणों में विभाजित किया गया है- चरण I (2024-27), चरण II (2027-30) और चरण III (2030-35)। चरणबद्ध लक्ष्यों को ग्राम पंचायतों के विवेक के अनुसार वार्षिक लक्ष्यों में वितरित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, चरणबद्ध लक्ष्य, संभावित लागत, केंद्रीय और राज्य योजनाओं का समर्थन करने के साथ-साथ सुझाई गई गतिविधियों के लिए वित्तपोषण के रास्ते भी बताए गए हैं।

अल्लापुर रानीमऊ के लिए क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना इस तरह से तैयार की गई है कि इसे ग्राम पंचायत अल्लापुर रानीमऊ की मौजूदा ग्राम पंचायत विकास योजना के साथ आसानी से और प्रभावी ढंग से एकीकृत किया जा सकता है।

क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना निम्नलिखित द्वारा अल्लापुर रानीमऊ जीपीडीपी को पूरक और संपूरित करेगा:

- a. जलवायु परिपेक्ष के साथ मौजूदा विकास पहलों और गतिविधियों को व्यापक आधार देना।
- b. जीपीडीपी में प्रस्तावित विकास गतिविधियों के साथ जलवायु परिवर्तन पर चल रहे राष्ट्रीय और राज्य कार्यक्रमों का समन्वय करना।

इस कार्ययोजना में हस्तक्षेप और वार्षिक लक्ष्यों को अल्लापुर रानीमऊ की ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) की योजनाबद्ध गतिविधियों के साथ जोड़ते हुए लागू किया जा सकता है। जीपीडीपी के अंतर्गत कुछ कार्यक्रमों के लिए निर्धारित मौजूदा आवंटित बजट का उपयोग इस योजना में प्रस्तावित जलवायु अनुकूलन और शमन गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) जैसी योजनाओं के माध्यम से किए गए जल निकाय कायाकल्प से जलवायु परिवर्तन अनुकूलन लाभ भी होंगे। इसी प्रकार, ग्यारहवीं अनुसूची (जीपीडीपी के आधार) के 'गैर-पारंपरिक ऊर्जा' विषय के अंतर्गत निर्धारित धनराशि का उपयोग नवीकरणीय ऊर्जा तैनाती को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है।

इस योजना के क्रियान्वयन के माध्यम से बचाई गई/कम की गई कुल उत्सर्जन प्रति वर्ष 1,618 टन कार्बन डाइऑक्साइड समकक्ष (tCO₂e) से अधिक होने का अनुमान है और अगले 20-25 वर्षों में पृथक्करण क्षमता 49,800 tCO₂e तक बढ़ सकती है। तीन चरणों में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए अनुमानित कुल लागत लगभग ₹26 करोड़ (11 वर्षों के लिए) है, जिसमें सामुदायिक निवेश, सार्वजनिक वित्त, निजी वित्त और संभावित कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) फंडिंग शामिल है। इसमें से, आवश्यक धनराशि का 30-35 प्रतिशत (लगभग ₹9 करोड़) केंद्रीय और राज्य योजनाओं/मिशन/कार्यक्रमों से प्राप्त किया जा सकता है, जबकि शेष लागत सीएसआर और निजी फंड से प्राप्त की जा सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने संभावित रूप से सीएसआर को शामिल करने और निजी वित्त जुटाने के लिए 'पंचायत-निजी-भागीदारी' का एक अभिनव दृष्टिकोण अपनाया है।


1 जनगणना वर्ष 2011 आँकड़े: कुल जनसंख्या- 2,229 है

वर्ष 2035 तक क्लाइमेट स्मार्ट और सतत ग्राम पंचायत

जलवायु संबंधी गतिविधियों को विकास कार्यों में शामिल करना














क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ



अल्लापुर रानीमऊ

अल्लापुर रानीमऊ ग्राम पंचायत एक दृष्टि में†

 स्थान	रामनगर ब्लॉक, जिला बाराबंकी	 जल निकाय	13 तालाब 1 अमृत सरोवर 15 कुएं
 कुल क्षेत्रफल²	212.11 हेक्टेयर	 कृषि- जलवायु क्षेत्र³	पूर्वी मैदानी क्षेत्र जलवायु परिस्थितियाँ: गर्म ग्रीष्मकाल, ठंडी सर्दियाँ और मध्यम वर्षा अधिकतम तापमान: 41.4 °C न्यूनतम तापमान: 5.7 °C वार्षिक वर्षा: 803 mm मिट्टी का प्रकार: जलोढ़, सोडिक और अल्लापुर रानीमऊ मिट्टी जो चावल, गन्ना, मक्का, दालों और सब्जियों जैसी फसलों के लिए उपयुक्त है
 संरचना	1 राजस्व गांव और 4 बस्तियाँ	 जिले की समग्र सुभेद्यता⁵	निम्न
 कुल जनसंख्या⁴	3,829	 जिले की क्षेत्रीय भेद्यता	जल भेद्यता : निम्न ऊर्जा भेद्यता : बहुत उच्च स्वास्थ्य भेद्यता : मध्यम कृषि भेद्यता : निम्न आपदा प्रबंधन भेद्यता : उच्च वन भेद्यता : मध्यम ग्रामीण भेद्यता: उच्च
 पुरुषों की संख्या	2,059		
 महिलाओं की संख्या	1,770		
 कुल परिवारों की संख्या	440		
 पंचायत अवसंरचना	5 (पंचायत भवन, 2 प्राथमिक विद्यालय, खाद एवं बीज केंद्र और आंगनवाड़ी केंद्र)		
 प्राथमिक आर्थिक गतिविधि	कृषि		
 भूमि उपयोग⁶	170 हेक्टेयर कृषि भूमि 3.20 हेक्टेयर सामान्य भूमि		

† योजना की तैयारी के लिए आयोजित फील्ड सर्वेक्षण से डेटा (फरवरी, 2023)।


2 भुवन के डेटा से संकेत मिलता है कि ग्राम पंचायत का क्षेत्रफल 2.12 वर्ग किमी है। यहाँ उपलब्ध है: <https://bhuvanpanchayat.nrsc.gov.in/index.html>

3 उत्तर प्रदेश कृषि विभाग


4 जनगणना 2011 आँकड़े: कुल जनसंख्या- 2,229; पुरुष-1,159; महिला- 1,070

5 उत्तर प्रदेश SAPCC 2.0

6 ग्राम प्रधान से प्राप्त जानकारी के अनुसार




अल्लापुर रानीमऊ ग्राम पंचायत
रामनगर ब्लॉक
बाराबंकी जिला
उत्तर प्रदेश राज्य



Source: Space Based Information Support for Decentralized Planning
<https://bhuvan-panchayat3.nrsc.gov.in/>

चित्र 1: अल्लापुर रानीमऊ पंचायत, बाराबंकी जिले का भूमि उपयोग मानचित्र

जलवायु परिवर्तनशीलता प्रोफाइल



चित्र 2: अल्लापुर रानीमऊ में औसत वार्षिक अधिकतम और न्यूनतम तापमान (डिग्री सेल्सियस), 1991-2020


भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD)⁷ से प्राप्त जलवायु परिवर्तनशीलता डेटा (तापमान और वर्षा) जिले में अधिकतम और न्यूनतम तापमान दोनों में वृद्धि की प्रवृत्ति को दर्शाता है कि वर्ष 1991 और 2020 के बीच क्षेत्र (बहराइच जिला) में वार्षिक औसत अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है (चित्र 2 देखें)। इसी समयावधि के दौरान, वार्षिक वर्षा में थोड़ी वृद्धि हुई है, जिसका अर्थ है कि कम दिनों में अधिक तीव्र वर्षा हुई है (चित्र 3 देखें)। हालाँकि, आईएमडी डेटा पंचायत स्तर पर तापमान परिवर्तनशीलता को सम्मिलित नहीं करते हैं और इसके अतिरिक्त, ऐसे दिन भी हैं जिनके लिए आंकड़ें उपलब्ध नहीं थे।

⁷ बहराइच स्टेशन से लिया गया दैनिक तापमान (अधिकतम और न्यूनतम) डेटा और दैनिक वर्षा डेटा; वर्ष 1992, 2012, 2013 और 2014 के लिए वार्षिक औसत अधिकतम और न्यूनतम तापमान डेटा उपलब्ध नहीं है; वर्ष 1992 और 2017 के लिए वार्षिक वर्षा डेटा उपलब्ध नहीं है।

विश्व मौसम विज्ञान संगठन की एक हालिया रिपोर्ट बताती है कि 1991 से 2023 के बीच समग्र रूप से एशिया सम्पूर्ण विश्व की भूमि और महासागर के सापेक्ष औसत से अधिक तेजी से गर्म हुआ है और 2010-2020⁸ के दशक में दक्षिण एशिया के बड़े हिस्से में गर्म दिनों में स्पष्ट वृद्धि हुई है। इसी तरह के निष्कर्षों की पुष्टि जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल⁹ और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार¹⁰ के द्वारा भी की गयी है।

इसके अलावा, क्षेत्रीय सर्वेक्षण और समूह केन्द्रित चर्चा से प्राप्त मौसम परिवर्तनों पर समुदायों की धारणा से पता चलता है कि 2010-2020 के दशकों में, ग्राम पंचायत में गर्मी के दिनों की संख्या में औसतन 30 दिनों की वृद्धि और सर्दियों के दिनों में 30 दिनों की कमी देखी गई है। इसके अलावा, उन्होंने यह भी संकेत दिया कि बारिश के दिनों की संख्या में भी लगभग 30 दिन की कमी आई है (मानसून की देर से शुरुआत) और इसकी तीव्रता में वृद्धि आई है।


ग्राम पंचायत हेतु किए गए जलवायु परिवर्तनशीलता विश्लेषण में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) आंकड़ों के साथ-साथ ग्राम पंचायत में प्रचलित जलवायु परिवर्तनशीलता के संतुलित दृष्टिकोण को सामने लाने के लिए सामुदायिक धारणा दोनों को ध्यान में रखा गया है।



चित्र 3: अल्लापुर रानीमऊ में वार्षिक वर्षा (मिमी), 1991-2020

प्रमुख आर्थिक गतिविधियाँ

ग्राम पंचायत में अधिकांश परिवार अपनी आजीविका के लिए कृषि (73 प्रतिशत) पर निर्भर हैं। इसके बाद गैर-कृषि मजदूरी (लगभग 11 प्रतिशत) और पशुपालन (~6 प्रतिशत) का स्थान आता है जैसा कि चित्र 4 में देखा गया है। कुछ परिवार स्थानीय व्यवसाय, सेवा क्षेत्र और अन्य गतिविधियों में भी लगे हुए हैं।



चित्र 4: अल्लापुर रानीमऊ में परिवारों की संख्या के अनुसार आय के स्रोत


8 एशिया में जलवायु की स्थिति 2023 (wmo.int)

9 AR6 संश्लेषण रिपोर्ट: जलवायु परिवर्तन 2023 (ipcc.ch)

10 भारतीय क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन का आकलन: पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES), भारत सरकार की एक रिपोर्ट | स्प्रिंगर


प्राथमिक सर्वेक्षण से प्राप्त घरेलू स्तर की आय अनुमानों से पता चलता है कि लगभग 57 प्रतिशत परिवार प्रति वर्ष ₹50,000 से ₹1 लाख के बीच कमाते हैं और 26 प्रतिशत परिवार ₹1 लाख से ₹2 लाख के बीच कमाते हैं। केवल एक छोटा सा अंश (2 प्रतिशत) परिवार ₹5 लाख से अधिक कमाते हैं (चित्र 5 देखें)।

सर्वेक्षण के समय, 33 परिवार यानी ग्राम पंचायत में कुल परिवारों का ~7.5 प्रतिशत परिवार गरीबी रेखा (बीपीएल) से नीचे थे। राशन कार्ड के आंकड़ों से पता चलता है कि लगभग 100 प्रतिशत परिवार सार्वजनिक वितरण योजना से लाभान्वित होते हैं और उनके पास राशन कार्ड हैं, इनमें से 33 परिवारों के पास अंत्योदय कार्ड¹¹ है (चित्र 6 देखें)।



चित्र 5: अल्लापुर रानीमऊ में घरेलू स्तर की आय का अनुमान


अंत्योदय कार्ड वाले परिवार, 33, 8%



चित्र 6: अल्लापुर रानीमऊ में राशन कार्ड वाले परिवार

कार्यरत महिलाएं

अल्लापुर रानीमऊ में लगभग 724 महिलाएँ कार्यरत हैं। वे मुख्य रूप से कृषि और कला एवं हस्तशिल्प से जुड़े हुए हैं (चित्र 7 देखें)। कुछ महिलाएँ पशुपालन और मजदूरी का कार्य भी करती हैं। ग्राम पंचायत में महिला मुखिया¹² वाले 15 घर हैं, जो कुल घरों का 4 प्रतिशत हैं। इसके अतिरिक्त, 15 एसएचजी हैं जो पोषाहार वितरण में शामिल हैं।



चित्र 7: अल्लापुर रानीमऊ में विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में लगी महिलाओं की संख्या

11 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोर्टल (https://nfsa.gov.in/portal/Ration_Card_State_Portals_AA)

12 महिला मुखिया वाले घर वे घर होते हैं जहां महिलाएँ एकमात्र या मुख्य कमाने वाली होती हैं।


कृषि

ग्राम पंचायत में, 73 प्रतिशत परिवार अपनी आय के लिए कृषि पर निर्भर हैं जैसा कि चित्र 4 में देखा गया है।

अल्लापुर रानीमऊ में शुद्ध बोया गया क्षेत्र 170 हेक्टेयर है जबकि सकल फसल क्षेत्र 348 हेक्टेयर¹³ है। चित्र 8 में ग्राम पंचायत में सकल फसल क्षेत्र का फसलवार वितरण दिया गया है। खरीफ की प्रमुख फसल धान (~6000 क्विंटल) है। रबी की प्रमुख फसलें गेहूँ (~400 क्विंटल), आलू (~28,000 क्विंटल) और सरसों (~500 क्विंटल) भी ग्राम पंचायत में उगाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त, जैद सीज़न के दौरान पुदीना (~12,500 क्विंटल) भी ग्राम पंचायत में उगाया जाता है।

सिंचाई के मुख्य स्रोतों में भूजल ट्यूबवेल और नहरें शामिल हैं। इसके अलावा, सिंचाई के लिए 100 डीजल पंप का उपयोग किया जाता है।

ग्राम पंचायत की लगभग 6 प्रतिशत आबादी पशुपालन में लगी हुई है। कुल पशुधन आबादी 510 (60 गाय, 200 भैंस, 250 बकरियां) हैं।



चित्र 8: अल्लापुर रानीमऊ में सकल फसल क्षेत्र का फसलवार वितरण

प्राकृतिक संसाधन

अल्लापुर रानीमऊ में 13 तालाब, 15 कुएं और एक नहर है जो ग्राम पंचायत से होकर गुजरती है। एक अमृत सरोवर भी बनाया गया है। ग्राम पंचायत के पास 3.3 हेक्टेयर आम भूमि भी है, जिसमें से 20 प्रतिशत पर अतिक्रमण है। मनरेगा और वृक्षरोपण जन आंदोलन¹⁴ जैसी अन्य पहलों के माध्यम से लगाए जाने वाले आम पेड़ों में जामुन, पीपल, आंवला और महोगनी जैसी प्रमुख पेड़ प्रजातियों को लगाना शामिल है।

13 ग्राम प्रधान के साथ कई दौर की चर्चाओं से प्राप्त जानकारी के अनुसार

14 वृक्षरोपण जन आंदोलन 2022 एक व्यापक वृक्षरोपण अभियान था, जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश में पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देना और समुदायों में हरित आवरण को बढ़ाना था।

अल्लापुर रानीमऊ में उपलब्ध सुविधाएं

बिजली तथा रसोई गैस

- बिजली कनेक्शन- 91% परिवार
- रसोई गैस कनेक्शन- 90% परिवार

पेयजल

- घरेलू उपयोग और ग्राम पंचायत स्तर की आपूर्ति के लिए पानी का मुख्य स्रोत-भूजल
- 50 इंडिया मार्क हैंडपंप¹⁵

अपशिष्ट

- खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) पंचायत
- घरेलू शौचालय कवरेज: 90%

आवागमन एवं बाज़ार तक पहुँच

- राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच 27): 13 कि.मी
- रेलवे स्टेशन : 2 कि.मी
- बस स्टॉप: 10 कि.मी
- डाकघर : 2 कि.मी
- बैंक : 2 कि.मी
- कृषि बाजार: 30 किमी

शैक्षिक संस्थान


- 2 प्राथमिक विद्यालय

स्वास्थ्य संस्थान

- आंगनवाड़ी केंद्र




15 पाइप से जल कनेक्शन का कार्य प्रगति पर



ग्रामीण क्षेत्रों से कार्बन फुटप्रिंट (दूसरे शब्दों में, ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन) महत्वपूर्ण नहीं है, यह अभ्यास ग्राम पंचायत की पूरी आधार रेखा विकसित करने के लिए किया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस कार्ययोजना का उद्देश्य कार्बन न्यूट्रल ग्राम पंचायत नहीं, अपितु क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकसित करना है। हालाँकि, संस्तुतियों में उत्सर्जन में कमी के लाभ को सम्मिलित किया गया है जो कहीं न कहीं ग्राम पंचायत को कार्बन न्यूट्रल या हवा में कार्बन से होने वाले प्रदूषण को लगभग समाप्त करने में मदद करेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस अभ्यास में इसलिए ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) अनुमान सम्मिलित नहीं किये गए हैं।


इसके अतिरिक्त, कार्बन फुटप्रिंट LIFE मिशन के सिद्धांतों के अनुरूप सतत विकास सुनिश्चित करने हेतु संस्तुतियाँ प्रदान करने में भी सहायता करता है। कुल मिलाकर, 2023 में, अल्लापुर रानीमऊ ग्राम पंचायत ने कई तरह की गतिविधियों से लगभग 1,725 टन कार्बन डाइऑक्साइड समकक्ष (tCO₂e) उत्सर्जित किया है (चित्र 9 देखें)।

ऊर्जा, कृषि और अपशिष्ट क्षेत्रों में घटित गतिविधियों का अल्लापुर रानीमऊ ग्राम पंचायत के कार्बन फुटप्रिंट में मुख्य योगदान दिया है। ऊर्जा क्षेत्र के उत्सर्जन में खाना पकाने के लिए ईंधन की लकड़ी और रसोई गैस (एलपीजी) के उपयोग, बिजली बैकअप के लिए जनरेटर का उपयोग और परिवहन के विभिन्न साधनों में जीवाश्म ईंधन (पेट्रोल/डीजल) के उपयोग के कारण होता है। कृषि क्षेत्र के उत्सर्जन में धान की खेती, कृषि क्षेत्रों में उर्वरक का उपयोग, पशुधन और खाद प्रबंधन और फसल अवशेष जलाने के कारण होने वाले उत्सर्जन शामिल हैं। घरेलू अपशिष्ट जल के कारण होने वाले उत्सर्जन को अपशिष्ट क्षेत्र में शामिल किया गया है।



चित्र 9: वर्ष 2023 में अल्लापुर रानीमऊ में विभिन्न गतिविधियों का कार्बन फुटप्रिंट

कृषि क्षेत्र में कुल उत्सर्जन का 61 प्रतिशत हिस्सा है। इस क्षेत्र में धान उत्सर्जन (~412 tCO₂e) सबसे बड़ा योगदानकर्ता है, उसके बाद उर्वरक उत्सर्जन (~326 tCO₂e) है। अल्लापुर रानीमऊ के कुल उत्सर्जन में ऊर्जा क्षेत्र का हिस्सा 30 प्रतिशत है। ऊर्जा क्षेत्र में आवासीय खाना पकाना (~216 tCO₂e) मुख्य उत्सर्जक है, इसके बाद परिवहन (~193 tCO₂e) एवं डीजल पंप (~105 tCO₂e) का स्थान है। कुल उत्सर्जन में अपशिष्ट क्षेत्र की हिस्सेदारी 9 प्रतिशत है (चित्र 10 देखें)।



चित्र 10: वर्ष 2023 में अल्लापुर रानीमऊ के कार्बन फुटप्रिंट में क्षेत्रों की हिस्सेदारी

ग्राम पंचायत के व्यापक मुद्दों की पहचान ग्राम पंचायत के एकत्र किए आंकड़ों और पंचायत की एक बेसलाइन तैयार करने के लिए आंकड़ों के लिए गए विश्लेषण, कृषि-जलवायु क्षेत्र की अंतर्निहित विशेषताओं, जिसमें ग्राम पंचायत स्थित है, के साथ-साथ क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान समुदाय के सदस्यों से प्राप्त जानकारी और समूह केन्द्रित चर्चा के आधार पर की गयी है।

जहां भी संभव हो सका है, इस जानकारी की पुष्टि उपलब्ध सरकारी आंकड़ों/स्रोतों से की गई है। हालाँकि, कुछ मुद्दे पूरी तरह से समुदाय की जानकारी पर आधारित हैं क्योंकि इनके लिए ग्राम पंचायत स्तर के आंकड़ें पुष्टि के लिए उपलब्ध नहीं थे। ग्राम पंचायत में पहचाने गए मुद्दों का सारांश नीचे दिया गया है। इसके अतिरिक्त, विस्तृत मुद्दे एवं गतिविधियां अनुभाग के संबंधित विषयों में सूचीबद्ध हैं।

व्यापक मुद्दे

- मौसमी अवधि में बदलाव और अप्रत्याशित वर्षा कुछ फसलों की बुवाई और कटाई के समय को प्रभावित कर रही है, जिससे सिंचाई की ज़रूरतें भी बढ़ रही हैं।
- असंवहनीय कृषि और पशुपालन पद्धतियाँ। कीटों और फसल रोगों के लगातार प्रकोप के कारण फसल को नुकसान हो रहा है।
- उचित अपशिष्ट प्रबंधन पद्धतियों की कमी के कारण सार्वजनिक क्षेत्रों, कुओं और तालाबों में अपशिष्ट फेंका जा रहा है।
- जल निकायों सहित प्राकृतिक संसाधनों का खराब रखरखाव, जिसके कारण ग्राम पंचायत में तालाबों और क्रियाशील कुओं की संख्या में कमी आ रही है।
- हरित आवरण और जल निकायों सहित प्राकृतिक संसाधनों का खराब रखरखाव।
- स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन पर केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता का अभाव।

प्रत्येक विषयगत मुद्दे में कई संस्तुतियों को शामिल किया गया है, जिसमें शमन और अनुकूलन दोनों पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो पिछले अनुभाग में पहचाने गए प्रमुख मुद्दों को संबोधित करता है। संस्तुतियों को **चरणबद्ध लक्ष्यों** और **लागत अनुमानों**¹⁶ (जहाँ तक संभव हो) के साथ वर्णित किया गया है। लक्ष्यों को तीन चरणों में बांटा गया है: चरण- I (2024-25 से 2026-27); चरण- II (2027-28 से 2029-30); और चरण-III (2030-31 से 2034-35)।

प्रत्येक चरण के अंतर्गत लक्ष्यों का प्रभावी और निगरानीपूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हुए वार्षिक लक्ष्यों (वर्ष-दर-वर्ष लक्ष्य) में विभाजित किया जा सकता है। साल-दर-साल लक्ष्य विकसित करने के प्रारूप को 'क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना' के विकास के लिए मानक संचालन प्रक्रिया' दस्तावेज़ से संदर्भ लेते हुए तैयार किया जा सकता है। मानक संचालन प्रक्रिया एक चरण-दर-चरण दृष्टिकोण है जिसका उपयोग ग्राम प्रधानों, समुदाय के सदस्यों या किसी अन्य हितधारक द्वारा अपने संबंधित ग्राम पंचायतों हेतु क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना विकसित करने के लिए किया जा सकता है।


पहचाने गए वित्तपोषण के विकल्पों/तरीकों में केंद्रीय या राज्य योजनाएं, ग्राम पंचायत की विभिन्न टाइड और अनटाइड निधि या कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) हस्तक्षेप के माध्यम से निजी वित्त की पहचान की गई है। विस्तृत संस्तुतियाँ निम्नलिखित खंड में हैं।

कार्ययोजना में प्रस्तावित मुद्दाव निम्नलिखित विषयों पर आधारित हैं:

1. जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प
2. सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
3. सतत कृषि
4. हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना
5. स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुँच
6. सतत और उन्नत गतिशीलता
7. आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना

इसके अतिरिक्त, संस्तुतियों का हिस्सा न बनाते हुए, पंचायतों द्वारा विचार के लिए संभावित पहलों/प्रयासों/नवाचारों की एक सूची भी सूचीबद्ध की गई है। इन पहलों/प्रयासों/नवाचारों को भारत के कुछ हिस्सों में ग्राम पंचायतों द्वारा सफलतापूर्वक लागू किया गया है और इन्हें यहां दोहराया भी जा सकता है। हालाँकि, ये पहल/प्रयास/नवाचार उत्तर प्रदेश सरकार की वर्तमान में संचालित किसी भी योजना/कार्यक्रम में शामिल नहीं हैं, इसलिए इन पहलों/प्रयासों/नवाचारों के लिए धन का वहन समुदायों द्वारा या सीएसआर और निजी स्रोतों की खोज से किया जाएगा। इस कारण से उन्हें मुख्य संस्तुतियों में सम्मिलित नहीं किया गया है।

16 लागत का अनुमान निम्न जैसे विभिन्न तरीकों के आधार पर लगाया गया है:
ग्राम पंचायत के प्रमुख सदस्यों से प्राप्त इनपुट,
या प्रासंगिक योजनाओं और नीतियों के अनुसार लागत अनुमान,
या आवश्यक इनपुट की प्रति इकाई अनुमानित लागत
या विभिन्न विभागों की दरों की अनुसूचियाँ।



1. जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प

संदर्भ एवं मुद्दे¹⁷

- अल्लापुर रानीमऊ में पानी का मुख्यस्रोत भूजल है। घरों में भी पानी के लिए हैंडपंपों पर निर्भर किया जाता है।¹⁸ ग्राम पंचायत में 350 हैंडपंप (50 इण्डिया मार्क एवं 300 निजी हैंडपंप) उपयोग में हैं।¹⁹
- जबकि ग्राम पंचायत में पीने के पानी की आपूर्ति के लिए 350 हैंडपंप हैं, ये भूजल स्तर में गिरावट के कारण समुदाय की पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हैं।
- ग्राम पंचायत ने वर्ष 2023 में बाढ़ और साथ ही वर्ष 2003 और 2023 में जलजमाव का सामना भी किया।²⁰
- ग्राम पंचायत में 13 तालाब और 15 कुएं हैं। हालाँकि, इन तालाबों और कुओं का रखरखाव खराब है और वे गाद, मलबे, खरपतवार और प्लास्टिक से भरे हुए हैं। इनमें से एक तालाब को अमृत सरोवर के तौर पर विकसित किया जा रहा है।

भूजल पर निर्भरता और पिछले पांच वर्षों में जलजमाव और सूखे की लगातार घटनाएं घटित होने से जल संरक्षण और भूजल संसाधनों को पुनः भरने के लिए वाटरशेड प्रबंधन की तत्काल आवश्यकता है। ग्राम पंचायत अल्लापुर रानीमऊ में संवेदनशीलता को कम करने, लचीलापन बनाने और जल सुरक्षा में सुधार करने हेतु निम्नलिखित संस्तुतियां प्रस्तावित हैं।

¹⁷ जैसा कि क्षेत्र सर्वेक्षण और एफजीडी के दौरान समुदाय से समझा गया और प्रासंगिक स्रोतों द्वारा पुष्टि की गई।

¹⁸ ग्राम पंचायत के लिए पाइप जलापूर्ति डेटा उपलब्ध नहीं है।

¹⁹ क्षेत्र सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारी के अनुसार।

²⁰ जैसा कि क्षेत्र सर्वेक्षण में बताया गया है।



वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) संरचनाओं को बढ़ावा देना

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> सभी सरकारी भवनों/पंचायती राज संस्थान (पीआरआई) भवनों में आरडब्ल्यूएच संरचनाओं की संस्थापना सभी नये भवनों में आरडब्ल्यूएच प्रणाली को शामिल करना 	<ol style="list-style-type: none"> 2,000 वर्ग फुट से अधिक भूखंड वाले आवासीय भवनों में आरडब्ल्यूएच संरचनाओं की संस्थापना। सभी नए निर्माणों में आरडब्ल्यूएच प्रणाली को शामिल करना 	<ol style="list-style-type: none"> 1,000 वर्ग फुट से अधिक भूखंड वाले आवासीय भवनों में आरडब्ल्यूएच संरचनाओं की संस्थापना। सभी नए निर्माणों में आरडब्ल्यूएच प्रणाली को शामिल करना
लक्ष्य	सरकारी भवनों में 5 आरडब्ल्यूएच संरचनाओं की स्थापना - पंचायत भवन, उर्वरक और बीज केंद्र, आंगनवाड़ी और 2 प्राथमिक विद्यालय।	22 घरों में 10 m ³ की औसत भंडारण क्षमता के साथ आरडब्ल्यूएच संस्थापित किया जाना।	135 घरों में 10 m ³ की औसत भंडारण क्षमता के साथ आरडब्ल्यूएच संस्थापित किया जाना।
अनुमानित लागत	आरडब्ल्यूएच (10 m ³ क्षमता की 5 आरडब्ल्यूएच संरचनाएं): ₹1,75,000 कुल लागत: ₹1,75,000	आरडब्ल्यूएच: ₹7,70,000 कुल लागत: ₹7,70,000	आरडब्ल्यूएच: ₹47,25,000 कुल लागत: ₹47,25,000



जल निकायों का कायाकल्प एवं संरक्षण

चरण	2024-25 से 2026-27	2027-28 से 2029-30	2030-31 से 2034-35
मुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> 1. तालाबों का कायाकल्प 2. कुओं की सफाई और मरम्मत 3. जल निकायों के आसपास ट्री गार्ड के साथ वृक्षारोपण 4. पुनर्भरण गड्ढे का निर्माण 5. मौजूदा ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति और निर्माण कार्य समिति²¹ की निम्न हेतु क्षमता निर्माण करना: <ul style="list-style-type: none"> क. जल संरक्षण में सुधार हेतु विभिन्न प्रमुख सामुदायिक समूहों के बीच जागरूकता बढ़ाना ख. विभिन्न उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु उपलब्ध जल का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए ग्राम जल सुरक्षा योजना तैयार करना/अद्यतन करना 	<ol style="list-style-type: none"> 1. जल निकायों का नियमित रखरखाव किया जाना 2. जल निकायों के आसपास अतिरिक्त वृक्षारोपण का कार्य 3. उपलब्ध जल का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए ग्राम जल सुरक्षा योजना का अद्यतन करना 	<ol style="list-style-type: none"> 1. जल निकायों का नियमित रखरखाव किया जाना 2. उपलब्ध जल का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए ग्राम जल सुरक्षा योजना का अद्यतन करना
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 5 तालाबों का कायाकल्प 2. 10 पुनर्भरण गड्ढों का निर्माण किया जाना 3. ट्री गार्ड के साथ 1,000 पेड़ लगाना (जल निकायों के आसपास) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 5 तालाबों का रखरखाव किया जाना 2. नहरों और अन्य बुनियादी ढांचे का रखरखाव 3. जल निकायों के आसपास ट्री गार्ड के साथ अतिरिक्त 1,000 पेड़ लगाना 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 5 तालाबों का रखरखाव किया जाना 2. नहरों और अन्य बुनियादी ढांचे का रखरखाव किया जाना
लक्ष्य			

²¹ VWSC हैडबुक, <https://phed.cg.gov.in/sites/default/files/gphandbook-0.pdf>

अनुमानित लागत

<ol style="list-style-type: none"> 1. तालाबों का कायाकल्प: ₹35,00,000 2. 10 पुनर्भरण गड्डों का निर्माण: ₹3,50,000 3. जल निकासों के आसपास वृक्षारोपण: "हरित क्षेत्र और जैव विविधता को बढ़ाना" अनुभाग में शामिल: ₹12,70,000 <p>कुल लागत: ₹38,50,000</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 5 तालाबों का रखरखाव पर लागत: ₹18,75,000 2. जल निकासों के आसपास वृक्षारोपण: "हरित क्षेत्र और जैव विविधता को बढ़ाना" अनुभाग में शामिल: ₹12,70,000 <p>कुल लागत: ₹18,75,000</p>	<p>5 तालाबों का रखरखाव: ₹18,75,000</p> <p>कुल लागत: ₹18,75,000</p>
--	---	--



जल निकासी और सीवेज अवसंरचना को बढ़ाना

चरण	2024-25 से 2026-27	2027-28 से 2029-30	2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> 1. जल निकासी नेटवर्क का निर्माण 2. जलभराव को रोकने के लिए मौजूदा नालियों की सफाई 	<ol style="list-style-type: none"> 1. मौजूदा नालियों की नियमित सफाई और रखरखाव किया जाना 2. मौजूदा बुनियादी ढांचे का रखरखाव 	सभी बुनियादी ढांचे का नियमित रखरखाव किया जाना
लक्ष्य	<ol style="list-style-type: none"> 1. लगभग 1.45 किमी जल निकासी नेटवर्क का निर्माण²² 2. मौजूदा नालियों की सफाई 	मौजूदा बुनियादी ढांचे का रखरखाव किया जाना	मौजूदा बुनियादी ढांचे का रखरखाव किया जाना
अनुमानित लागत	<ol style="list-style-type: none"> 1. ~1.45 किलोमीटर जल निकासी नेटवर्क का निर्माण: ₹42,00,000 2. आवश्यकता के अनुसार लागत <p>कुल लागत: ₹42,00,000</p>	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार

22 ग्राम प्रधान से चर्चा के आधार पर



अपशिष्ट जल प्रबंधन

चरण	2024-25 से 2026-27	2027-28 से 2029-30	2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> विकेन्द्रीकृत अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली (डिवाट्स) की संस्थापना सोखता गड्ढों का निर्माण (डिवाट्स से जुड़े न रहने वाले घरों के लिए) 	<ol style="list-style-type: none"> मौजूदा डिवाट्स का नियमित रखरखाव किया जाना सोखता गड्ढों का नियमित रखरखाव और यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त सोखता गड्ढों का रखरखाव 	<ol style="list-style-type: none"> भविष्य की जनसंख्या वृद्धि के आधार पर अपशिष्ट जल उपचार इकाई का विस्तार करना मौजूदा डिवाट्स का नियमित रखरखाव और यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त सोखता गड्ढे बनाना
लक्ष्य	<ol style="list-style-type: none"> 0.56 एमएलडी की क्षमता वाला 1 डिवाट्स स्थापित करना रणनीतिक स्थानों पर सोखता गड्ढों का निर्माण 	<ol style="list-style-type: none"> अपशिष्ट जल उपचार बुनियादी ढांचे का रखरखाव सोखता गड्ढों का नियमित रखरखाव और यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त सोखता गड्ढों का निर्माण 	<ol style="list-style-type: none"> अपशिष्ट जल उपचार बुनियादी ढांचे का रखरखाव सोखता गड्ढों का नियमित रखरखाव और यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त सोखता गड्ढों का निर्माण
अनुमानित लागत	<ol style="list-style-type: none"> 1 डिवाट्स की लागत²³ : ₹28,00,000 कुल लागत : ₹28,00,000 	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार

23 डीईडब्ल्यूएटी की लागत प्रौद्योगिकी और अन्य संबंधित चर के अनुसार भिन्न हो सकती है

वर्तमान में संचालित योजनाएँ और कार्यक्रम


- जल शक्ति अभियान: 'कैच द रेन' अभियान के माध्यम से उपलब्ध कराए गए प्रावधानों और संसाधनों के माध्यम से वर्षा जल संचयन प्रणालियों का विकास किया जा सकता है।
- सिंचाई विभाग के अंतर्गत यूपी राज्य वार्षिक बजट को ग्राम पंचायत स्तर के जल निकाय संरक्षण और जीर्णोद्धार गतिविधियों के लिए उपयोग किया जा सकता है।
- पीएमकेएसवाई के तहत मनरेगा और वाटरशेड विकास घटक के तहत वार्षिक बजट का उपयोग वाटरशेड विकास गतिविधियों के लिए किया जा सकता है।
- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का उपयोग ग्राम पंचायत स्तर की स्वच्छता गतिविधियों के लिए किया जा सकता है।
- सोखता गड्डों के निर्माण के माध्यम से जीपी स्तर पर अपशिष्ट जल प्रबंधन को जल शक्ति अभियान: सुजलाम 2.0 अभियान के माध्यम से चैनलाइज़ किया जा सकता है।

वित्त के अन्य स्रोत

- जल निकायों और कुओं के अनुरक्षण और रख-रखाव में योगदान देने के लिए कॉर्पोरेट/सीएसआर को 'जल निकाय को अपनाने' के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।
- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा वाटरशेड विकास निधि के माध्यम से वाटरशेड विकास से संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सकता है।

प्रमुख विभाग

- ग्राम्य विकास विभाग
- सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग
- उत्तर प्रदेश भूमि संसाधन विभाग



2. सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

संदर्भ एवं मुद्दे²⁴

- ग्राम पंचायत में सभी घरेलू गतिविधियों (घरेलू, सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक स्थान, तथा वाणिज्यिक क्षेत्र) से उत्पन्न कुल अपशिष्ट²⁵ लगभग ~306 किलोग्राम प्रतिदिन है, जिसमें 178 किलोग्राम प्रतिदिन जैव निम्नीकरणीय/जैविक अपशिष्ट और 129 किलोग्राम प्रतिदिन गैर-जैवनिम्नीकरणीय अपशिष्ट शामिल है।
- ग्राम पंचायत अल्लापुर रानीमऊ में अपशिष्ट संग्रह, पृथक्करण और प्रभावी अपशिष्ट शोधन प्रणाली की कमी के कारण ग्राम पंचायत के अंदर और बाहर जल निकायों, नालियों और खाली भूखंडों में अपशिष्ट डंपिंग की जाती है। इसके परिणामस्वरूप जल निकाय प्रदूषित हो जाते हैं और नालियों के जाम होने के कारण जलभराव हो जाता है, जिससे कई स्वास्थ्य संबंधी खतरों का खतरा बढ़ जाता है।
- ग्राम पंचायत में कुल पशुधन आबादी 510 है (60 गाय, 200 भैंस, 250 बकरियाँ) और अनुमानित गोबर उत्पादन लगभग 3.6 टन प्रति दिन²⁶ है जिसे अल्लापुर रानीमऊ में खाद, वर्मीकम्पोस्टिंग, प्राकृतिक उर्वरक उत्पादन और बायोगैस उत्पादन जैसे हस्तक्षेपों के माध्यम से स्थायी रूप से प्रबंधित किया जा सकता है।
- ग्राम पंचायत में 90 प्रतिशत घरों में व्यक्तिगत शौचालय है।

इस पृष्ठभूमि में, ग्राम पंचायत में 100 प्रतिशत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करने के साथ-साथ अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और आजीविका के अवसर पैदा करने के लिए निम्नलिखित समाधान प्रस्तावित हैं।

24 जैसा कि क्षेत्र सर्वेक्षणों और एफजीडी के दौरान समुदाय से समझा गया और प्रासंगिक स्रोतों द्वारा पुष्टि की गई

25 अनुमान पद्धति के लिए अनुलग्नक III देखें

26 मान लें कि गायें 10 किलोग्राम गोबर/दिन, भैंसें 15 किलोग्राम गोबर/दिन, सूअर 2 किलोग्राम गोबर/दिन और बकरियाँ और भेड़ें 150 ग्राम गोबर/दिन देती हैं।



अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना

चरण

	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
मुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> ग्राम पंचायत-स्तरीय पृथक्करण और भंडारण सुविधा की संस्थापना कचरे के संग्रह और परिवहन के लिए किराए पर ली गई इलेक्ट्रिक कचरा संग्रह वैन और कर्मचारी: <ol style="list-style-type: none"> घरों और सार्वजनिक सुविधाओं से अलग-अलग कचरे का डोर-टू-डोर संग्रह घरों से ग्राम पंचायत स्तरीय पृथक्करण सुविधा तक चयनित स्थानों (राशन की दुकानें, बाजार, दुकानें, चाय की दुकानें आदि) पर कूड़ेदानों की संस्थापना पंचायत, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), अनौपचारिक कचरा बीनने वालों, स्थानीय स्क्रेप डीलरों, स्थानीय व्यवसायों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के बीच साझेदारी स्थापित करना 	<ol style="list-style-type: none"> ग्राम पंचायत स्तरीय प्रथक्करण और भंडारण सुविधा का रखरखाव स्थापित मौजूदा कूड़ेदानों का रखरखाव और आवश्यकता के अनुसार नए चयनित स्थानों पर कूड़ेदानों की अतिरिक्त संस्थापना ग्राम पंचायत से आगे अन्य गांवों/जिलों तक साझेदारी को बढ़ाना 	<ol style="list-style-type: none"> ग्राम पंचायत स्तर पर पृथक्करण और भंडारण सुविधा का रखरखाव किया जाना स्थापित मौजूदा कूड़ेदानों का रखरखाव किया जाना ग्राम पंचायत से आगे अन्य गांवों/जिलों तक साझेदारी को बढ़ाना
	लक्ष्य	<ol style="list-style-type: none"> प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले लगभग 306 किलोग्राम कचरे को एकत्रित करने के लिए 1 इलेक्ट्रिक कचरा वैन (क्षमता 310 किलोग्राम) का प्रावधान। चयनित स्थानों पर 125 कूड़ेदानों की संस्थापना 	<ol style="list-style-type: none"> आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कूड़ेदानों की संस्थापना मौजूदा सुविधाओं और अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का रखरखाव किया जाना

अनुमानित लागत

1. इलेक्ट्रिक कचरा वैन: ₹95,000 से 1,00,000
 2. कूड़ेदानों की लागत: ₹18,75,000
- कुल लागत: ₹19,70,000 to ₹28,75,000

आवश्यकतानुसार

आवश्यकतानुसार



बेहतर स्वच्छता प्रबंधन

चरण



2024-25 से 2026-27

सभी नए निर्माण/घरों में शौचालय होना चाहिए



2027-28 से 2029-30

1. मौजूदा बुनियादी ढाँचे का रखरखाव किया जाना
2. अधिक शौचालयों का निर्माण और मौजूदा शौचालय का रखरखाव किया जाना



2030-31 से 2034-35

1. मौजूदा बुनियादी ढाँचे का रखरखाव किया जाना
2. अधिक शौचालयों का निर्माण और मौजूदा शौचालय का रखरखाव किया जाना

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

लक्ष्य

आवश्यकतानुसार शौचालयों का निर्माण

अधिक शौचालयों का निर्माण तथा मौजूदा शौचालय का रखरखाव किया जाना

मौजूदा बुनियादी ढाँचे का रखरखाव किया जाना

अनुमानित लागत

आवश्यकतानुसार

आवश्यकतानुसार

आवश्यकतानुसार



जैविक अपशिष्ट का सतत प्रबंधन

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> नाडेप कम्पोस्ट गड्डे और वर्मिकम्पोस्ट गड्डे की संस्थापना ग्राम पंचायत में खाद मूल्य श्रृंखला स्थापित करने के लिए पंचायत और संबंधित हितधारकों के बीच साझेदारी का निर्माण करना 	<ol style="list-style-type: none"> कम्पोस्ट गड्डों का नियमित रखरखाव किया जाना भागीदारी को ग्राम पंचायत से आगे बढ़ाकर अन्य गांवों/जिलों तक ले जाना 	<ol style="list-style-type: none"> कम्पोस्ट गड्डों का नियमित रखरखाव भागीदारी को ग्राम पंचायत से आगे बढ़ाकर अन्य गांवों/जिलों तक ले जाना
लक्ष्य	<ol style="list-style-type: none"> आवश्यकतानुसार नाडेप कम्पोस्ट गड्डे और वर्मिकम्पोस्ट गड्डे की संस्थापना। पंचायत, समुदाय के सदस्यों और किसान समूहों के बीच साझेदारी मॉडल (जिसका विस्तार से "आजीविका और हरित उद्यमिता को बढ़ावा देना" अनुभाग में वर्णन किया गया है): क. खाद का उत्पादन और बिक्री ख. कृषि अपशिष्ट की बिक्री 	<ol style="list-style-type: none"> कम्पोस्ट गड्डों का रखरखाव किया जाना साझेदारी को बढ़ाना 	<ol style="list-style-type: none"> कम्पोस्ट गड्डों का रखरखाव किया जाना साझेदारी को बढ़ाना
अनुमानित लागत	आवश्यकतानुसार लागत	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार



एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध

चरण

मुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

लक्ष्य

	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
चरण	<ol style="list-style-type: none"> निम्न हेतु जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता विकास कार्यक्रम का आयोजन: <ol style="list-style-type: none"> ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति छात्र एवं युवा समूह समुदाय के सदस्य एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान प्लास्टिक के वैकल्पिक उत्पादों से उत्पाद बनाने के लिए पंचायत महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों के बीच साझेदारी मॉडल ('आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ावा देना' अनुभाग में विस्तार से समझाया गया है) 	<ol style="list-style-type: none"> नियमित जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम भागीदारी को ग्राम पंचायत से आगे बढ़ाकर अन्य गांवों/जिलों तक ले जाना 	<ol style="list-style-type: none"> नियमित जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम भागीदारी को ग्राम पंचायत से आगे बढ़ाकर अन्य गांवों/जिलों तक ले जाना
लक्ष्य	<ol style="list-style-type: none"> एकल उपयोग प्लास्टिक (एसयूपी) पर पूर्ण प्रतिबंध 100-120 महिलाओं को प्लास्टिक के वैकल्पिक उत्पादों के निर्माण में लगाया जाएगा 	<ol style="list-style-type: none"> एसयूपी पर प्रतिबंध बरकरार रखा गया इस ग्राम पंचायत एवं आस-पास के गांवों से बढ़ी सहभागिता: <ol style="list-style-type: none"> अतिरिक्त 200 महिलाएँ अतिरिक्त एसएचजी, एमएसएमई और व्यक्तिगत उद्यमी 	<ol style="list-style-type: none"> एसयूपी पर प्रतिबंध बरकरार रखा गया विकल्प आसानी से उपलब्ध होने के कारण उपभोक्ता-व्यापी प्लास्टिक का उपयोग कम हो जाता है

वर्तमान में संचालित योजनाएँ और कार्यक्रम

- समुदाय-आधारित खाद बनाने की सुविधाओं के निर्माण हेतु मनरेगा का उपयोग किया जा सकता है।
- स्वच्छ भारत (ग्रामीण) मिशन के तहत अवसंरचना के विकास और प्रशिक्षण तथा क्षमता विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है।

वित्त के अन्य स्रोत

- प्लास्टिक के लिए वैकल्पिक उत्पादों, खाद बनाने की प्रक्रियाओं के उत्पादन में शामिल सभी हितधारकों की जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता विकास बढ़ाने और व्यक्तिगत स्तर पर सतत उपभोग व्यवहार को बढ़ावा देने में सीएसआर समर्थन महत्वपूर्ण होगा।
- इसके अलावा, प्लास्टिक के लिए वैकल्पिक उत्पादों, खाद बनाने की प्रक्रियाओं के उत्पादन में शामिल सभी हितधारकों की जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता विकास बढ़ाने और व्यक्तिगत स्तर पर सतत उपभोग व्यवहार को बढ़ावा देने में सीएसआर समर्थन महत्वपूर्ण होगा।
- स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (एसबीएम-जी) दिशानिर्देशों के अनुसार अपशिष्ट प्रबंधन के लिए आवश्यक अवसंरचना को विकसित करने के लिए ग्रामपंचायत के अपने संसाधनों, बंधे और खुले निधियों सहित, का उपयोग किया जा सकता है।

प्रमुख विभाग

- पंचायती राज विभाग
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
- ग्राम्य विकास विभाग
- कृषि विभाग
- उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड



3. सतत कृषि

संदर्भ और मुद्दे²⁷

- अल्लापुर रानीमऊ में कुल बोया गया क्षेत्रफल 170 हेक्टेयर है और सकल फसली क्षेत्रफल लगभग 347 हेक्टेयर है।
- ग्राम पंचायत में 73 प्रतिशत परिवार कृषि पद्धतियों पर निर्भर हैं और लगभग 6 प्रतिशत परिवार आय के स्रोत के रूप में पशुपालन पद्धतियों पर निर्भर हैं।
- खरीफ, रबी और जायद मौसम में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें धान (~121 हेक्टेयर), गेहूं (~8 हेक्टेयर), आलू (~113 हेक्टेयर), पुदीना (~101 हेक्टेयर) और सरसों (~4 हेक्टेयर) हैं।
- वर्ष 2022 और 2023 में सितंबर के महीनों के दौरान जलभराव से लगभग 50 एकड़ भूमि प्रभावित हुई।
- वर्ष 2022 और 2023 के बीच, ग्राम पंचायत को अक्सर धान की फसलों को प्रभावित करने वाले रतुआ और एफिड्स जैसे कीट मुद्दों का सामना करना पड़ा।
- वर्ष 2022 से 2023 तक, अनियमित वर्षा के कारण फसल को नुकसान हुआ है। नुकसान लगभग 1,200 क्विंटल उपज या लगभग ₹24 लाख (संबंधित वर्षों के प्रचलित एमएसपी द्वारा पुष्टि) है।
- किसान प्रति वर्ष ~115 टन यूरिया और अन्य नाइट्रोजन उर्वरकों का उपयोग करते हैं, जिससे प्रति वर्ष ~326 t CO₂e का जीएचजी उत्सर्जन होता है। किसान कीटनाशकों और खरपतवारनाशकों जैसे अन्य जानकारी पर भी निर्भर हैं। अल्लापुर रानीमऊ में प्राकृतिक खेती नहीं की जाती है।
- क्षेत्रीय सर्वेक्षणों में बताया गया है कि कृषि जल की मांग में वृद्धि हुई है, जिससे जल संरक्षण और बेहतर सिंचाई तकनीकों की आवश्यकता पर बल मिलता है।

उपर्युक्त बिंदु अनुकूलन क्षमता को बढ़ाने के लिए सतत और सूखा प्रतिरोधी कृषि पद्धतियों को अपनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं।

²⁷ जैसा कि क्षेत्र सर्वेक्षण और एफजीडी के दौरान समुदाय से समझा गया और प्रासंगिक स्रोतों द्वारा पुष्टि की गई



जलवायु परिवर्तन अनुकूल खेती

चरण

	2024-25 से 2026-27	2027-28 से 2029-30	2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर सिंचाई जैसी सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों को बढ़ावा देना और अपनाना कृषि क्षेत्रों के चारों ओर पेड़ों से मेड़बंधी का निर्माण कृषि तालाबों का निर्माण फसलों में आवश्यकता आधारित पोषक तत्व प्रबंधन (जैसे जैविक पुनर्चक्रण, पत्तियों पर छिड़काव के लिए पोषक तत्व, आदि)²⁸ सिंचित क्षेत्रों से वाष्पीकरण से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए मल्टिचिंग का उपयोग किसानों को फसल नुकसान से बचाने के लिए विभिन्न बीमा कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता पैदा करना कृषि क्षेत्र में रणनीतिक स्थानों पर स्वचालित/मिनी मौसम केंद्रों की संस्थापना 	<ol style="list-style-type: none"> मेड़बंधी का विस्तार आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कृषि तालाबों का निर्माण किया जाना मौजूदा कृषि तालाबों और पेड़ों वाले मेड़बंधी का नियमित रखरखाव जागरूकता पैदा करने की पहल जारी रखें और किसानों को फसल नुकसान से बचाने के लिए विभिन्न बीमा कार्यक्रमों का लाभ उठाने के लिए सहायता प्रदान करें 	मौजूदा मेड़बंधी और कृषि तालाबों का रखरखाव किया जाना

लक्ष्य

<ol style="list-style-type: none"> ~60 हेक्टेयर (सरसों के अंतर्गत 50% कृषि भूमि) पर सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियां शुरू की गईं 85 हेक्टेयर कृषि भूमि पर पेड़ों के साथ मेड़बंधी (कुल कृषि भूमि का 50%) 5 कृषि तालाबों का निर्माण किया जाना 	<ol style="list-style-type: none"> 60 हेक्टेयर (सरसों के अंतर्गत कुल 100% कृषि भूमि) पर सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियां शुरू की गईं सभी कृषि भूमि 85 हेक्टेयर (100% कवरेज) पर पेड़ों के साथ मेड़बंधी बनाए जाएंगे आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कृषि तालाबों का निर्माण और मौजूदा कृषि तालाबों का रखरखाव 	मौजूदा मेड़बंधी और खेत तालाबों का रखरखाव किया जाना
--	--	--

28 सूखा मैनुअल (2020), <https://vedas.sac.gov.in/static/pdf/Drought%20Manual-2020.pdf>

अनुमानित लागत

<ol style="list-style-type: none"> सूक्ष्म सिंचाई : ₹60,00,000 मेड़बंधी पर लागत: ₹97,788 खेती तालाब: ₹4,50,000 <p>कुल लागत: ₹65,47,788</p>	<ol style="list-style-type: none"> सूक्ष्म सिंचाई : ₹60,00,000 मेड़बंधी पर लागत: ₹97,788 <p>कुल लागत: ₹60,97,788</p>	आवश्यकतानुसार
---	--	---------------



प्राकृतिक खेती को अपनाना

चरण

	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
<ol style="list-style-type: none"> जैविक उर्वरक, जैव-कीटनाशकों और जैव-खरपतवारनाशकों के उपयोग के माध्यम से निम्न की सहायता से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना <ul style="list-style-type: none"> क. प्रशिक्षण और प्रदर्शन ख. प्राकृतिक/जैविक खेती प्रमाणन आरंभ किया गया ग. बाजार पहुंच और संपर्कों की खोज की जाएगी वाष्पीकरण को कम करके और नमी बनाए रखकर मृदा स्वास्थ्य को बढ़ाने हेतु मिश्रित फसल, फसल चक्र, घास-पात (मल्लिचंग), शून्य जुताई जैसी विविध फसल प्रणालियों को बढ़ावा देना विभिन्न फसलों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के लिए एकीकृत कीट प्रबंधन (आईपीएम) रणनीतियों पर आधारित कृषि-पारिस्थितिकी तंत्र विश्लेषण (एईएसए) को अपनाने को बढ़ावा देना (भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार) 	<ol style="list-style-type: none"> कृषि भूमि को प्राकृतिक खेती (नर्सरी, बीज बैंक, प्रमाणीकरण तंत्र और बाजार संपर्क स्थापित करना) में परिवर्तित करना जारी रखना चरण I में क्रियान्वित प्रथाओं को बढ़ावा देना और उसे अपनाना 	कृषि भूमि को प्राकृतिक खेती में परिवर्तित करने का 100% विस्तार	

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

लक्ष्य

26 हेक्टेयर (15%) कृषि भूमि को प्राकृतिक खेती में परिवर्तित करना	43 हेक्टेयर (अतिरिक्त 25% कवरेज) कृषि भूमि को प्राकृतिक खेती में परिवर्तित करना	102 हेक्टेयर (100% कवरेज) कृषि भूमि को प्राकृतिक खेती में परिवर्तित करना
--	--	--

अनुमानित लागत

<ol style="list-style-type: none"> 1. प्राकृतिक खेती प्रशिक्षण की लागत: ₹60,000 2. प्राकृतिक खेती के लिए भूमि का परिवर्तन: ₹63,01,050 3. आईपीएम प्रशिक्षण की लागत: आवश्यकतानुसार <p>कुल लागत: ₹63,61,050</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्राकृतिक खेती प्रशिक्षण की लागत: ₹60,000 2. प्राकृतिक खेती के लिए भूमि का परिवर्तन: ₹1,05,01,750 <p>कुल लागत: ₹1,05,61,750</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्राकृतिक खेती प्रशिक्षण की लागत: ₹60,000 2. प्राकृतिक खेती के लिए भूमि का परिवर्तन: ₹2,52,04,200 <p>कुल लागत: ₹2,52,64,200</p>
---	---	---



सतत पशुधन प्रबंधन

चरण

I	II	III
2024-25 से 2026-27	2027-28 से 2029-30	2030-31 से 2034-35

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

<ol style="list-style-type: none"> 1. पशुधन प्रबंधन के लिए पशुपालन में लगे परिवारों के लिए जागरूकता बढ़ाना और क्षमता निर्माण करना 2. पशुधन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए समुदाय के सदस्यों को पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता/पैरा-पशु चिकित्सक प्रशिक्षण के रूप में प्रशिक्षित करना <p>पशुधन से मीथेन उत्सर्जन को कम करने के लिए हस्तक्षेप हेतु 'अतिरिक्त अनुशासण' खंड को देखें।</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण गतिविधियों का विस्तार 2. आवश्यकतानुसार पैरा-वेट प्रशिक्षण का विस्तार करना 	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण गतिविधियों का विस्तार 2. आवश्यकतानुसार पैरा-वेट प्रशिक्षण का विस्तार करना
---	--	--

लक्ष्य

<ol style="list-style-type: none"> 1. पशुपालन में लगे परिवारों के लिए स्थायी/सतत पालन पद्धतियों/प्रथाओं, रोग की रोकथाम और पशुधन स्वास्थ्य के प्रबंधन पर कार्यशालाएं आयोजित करना²⁹ 2. 2 पैरा-वेट्स का प्रशिक्षण 	<ol style="list-style-type: none"> 1. रोग की रोकथाम और सतत पालन पद्धतियों पर अतिरिक्त कार्यशालाएं आयोजित करना 2. पशुधन प्रबंधन के लिए निरंतर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण 	<ol style="list-style-type: none"> 1. रोग की रोकथाम और स्थायी/सतत पालन पद्धतियों पर अतिरिक्त कार्यशालाएं आयोजित करना 2. पशुधन प्रबंधन के लिए निरंतर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण किया जाना
---	--	---

अनुमानित लागत

कार्यशाला और पैरा-पशु चिकित्सक प्रशिक्षण की लागत: आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार
---	---------------	---------------

29 ग्राम पंचायत की आवश्यकता के आधार पर प्रशिक्षित समुदाय-आधारित पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की संख्या

वर्तमान में संचालित योजनाएं और कार्यक्रम


- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई), उत्तर प्रदेश बाजरा पुनरुद्धार कार्यक्रम, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, मौसम आधारित फसल बीमा योजना, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा योजना से धन और सब्सिडी के माध्यम से सूखा प्रबंधन और प्रूफिंग प्रक्रियाओं का समर्थन किया जा सकता है।
- सूखारोधी गतिविधियों, नर्सरी और बीज बैंकों के निर्माण को मनरेगा के माध्यम से सुव्यवस्थित किया जा सकता है।
- जैविक खेती प्रथाओं को विभिन्न योजनाओं जैसे: परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना के अंतर्गत प्रदान की गई धनराशि और सब्सिडी के माध्यम से समर्थन दिया जा सकता है।
- किसानों के लिए तकनीकी और ज्ञान सहायता के साथ-साथ जैविक खेती प्रदर्शनों को राष्ट्रीय और क्षेत्रीय जैविक खेती केंद्रों (एनसीओएफ और आरसीओएफ), कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के निकटतम जैविक खेती सेल के माध्यम से सक्षम किया जा सकता है।
- प्रौद्योगिकी उन्नयन और सतत खेती के लिए किसानों और एफपीओ के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में सहायता के लिए कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए) का उपयोग किया जा सकता है।
- कृषि रक्षा योजना विभिन्न पारिस्थितिक संसाधनों के माध्यम से कीट नियंत्रण और जैव-रसायनों के उपयोग को बढ़ावा देने में किसानों को सहायता करती है।
- राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, उत्तर प्रदेश पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण योजना और राष्ट्रीय गोकुल मिशन जैसी राज्य योजनाओं के माध्यम से पैरा-पशुचिकित्सक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण का लाभ उठाया जा सकता है।

वित्त के अन्य स्रोत

- कटाई के बाद के नुकसान को कम करने में मदद करने के लिए कोल्ड-स्टोरेज सुविधा की संस्थापना और संचालन ('स्वच्छ, सतत, किफायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच' अनुभाग में उल्लिखित योजनाओं के अनुरूप) करना।
- जागरूकता बढ़ाना: जैविक खेती के तरीकों और लाभों, आवश्यक सुझाव, प्रदर्शन, सूचना और मार्गदर्शन के प्रासंगिक स्रोत, पंजीकरण प्रक्रिया, सत्यापन और प्रमाणन प्रक्रिया, बाजार लिंकेज और मौसम-आधारित सूचना सेवाओं आदि पर जानकारी।
- किसानों, एफपीओ, एसएचजी और अन्य समुदाय के सदस्यों को बीमा, विभिन्न योजनाओं के लाभ के साथ-साथ जैविक उर्वरकों को अपनाने, सूखारोधी कृषि और सतत पशुधन प्रबंधन, अंततः जैविक खेती में परिवर्तन सहित जलवायु स्मार्ट कृषि प्रथाओं को लागू करने के तकनीकी पहलुओं के लिए मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण प्रदान करना।
- इसके अतिरिक्त, अल्लापुर रानीमऊ में सतत कृषि में लगे किसानों, एफपीओ, एसएचजी और अन्य समुदाय के सदस्यों की क्षमता निर्माण क्षेत्र के तकनीकी विशेषज्ञों और संस्थानों, स्थानीय गैर-सरकारी संगठनों, सीएसओ और कॉरपोरेट्स के सहयोग से किया जा सकता है।

प्रमुख विभाग

- कृषि विभाग
- एकीकृत कीट प्रबंधन केंद्र (सीआईएमपी)
- उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
- भूमि संसाधन विभाग
- जल शक्ति विभाग
- पशुपालन विभाग
- उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी
- जैविक खेती के लिए क्षेत्रीय केंद्र
- कृषि विज्ञान केंद्र, बाराबंकी



4. हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना

संदर्भ एवं मुद्दे³⁰

- ग्राम पंचायत की सीमा के भीतर कोई सीमांकित वन भूमि नहीं है और सीमित हरित क्षेत्र हैं।
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए), और वृक्षारोपण जन अभियान के तहत वृक्षारोपण की पहल की गई। लगाए गए मुख्य वृक्षों में जामुन, पीपल, आंवला और महोगनी शामिल थे।

अल्लापुर रानीमऊ ग्राम पंचायत में हरित क्षेत्रों की जगह बढ़ाने की क्षमता है, क्योंकि यह न केवल बढ़ती हुई तापमान में सुधार करेगा और छाया प्रदान करेगा। ग्राम पंचायत में कार्बन सिंक को बढ़ाने के अलावा, लंबी अवधि में मिट्टी के स्वास्थ्य और जल स्तर में भी सुधार करेगा।



हरित आवरण में सुधार

चरण

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

I	II	III
2024-25 से 2026-27	2027-28 से 2029-30	2030-31 से 2034-35
<ol style="list-style-type: none"> निम्न विभिन्न पहलों के माध्यम से वार्षिक समुदाय-आधारित वृक्षारोपण गतिविधियाँ:³¹ <ol style="list-style-type: none"> छात्रों के लिए ग्रीन स्टीवर्डशिप कार्यक्रम³² (5 छात्रों का चयन) देशी फलों के पेड़ लगाकर खाद्य वन का निर्माण 	<ol style="list-style-type: none"> मौजूदा वृक्षारोपण और नर्सरी का रखरखाव बाल वन³³ के निर्माण के साथ वृक्षारोपण गतिविधियों को जारी रखा गया और बढ़ाया गया किसानों को कृषि वानिकी अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया आरोग्य वन की संस्थापना की गई 	<ol style="list-style-type: none"> वृक्षारोपण गतिविधियों का विस्तार और रखरखाव- बाल वन, खाद्य वन और अन्य वृक्षारोपण कृषि वानिकी पहल के तहत क्षेत्र का विस्तार आरोग्य वन में प्राकृतिक औषधियों और पूरकों के उत्पादन के लिए इकाइयाँ स्थापित की गई (जैसा कि 'आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ावा देना' अनुभाग में बताया गया है)

30 क्षेत्र सर्वेक्षणों और एफजीडी के दौरान समुदाय से प्राप्त जानकारी और प्रासंगिक स्रोतों द्वारा पुष्टि की गई

31 अनुलग्नक V में सूचीबद्ध वृक्ष प्रजातियाँ

32 विद्यालय के छात्रों को वृक्षारोपण में शामिल किया जाएगा और प्रत्येक कक्षा से छात्र नेता चुने जाएँगे जो अपने साथियों के साथ-साथ जीपी समुदाय को भी वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करेंगे।

33 नए माता-पिता को उनके बच्चों के जन्म के उपलक्ष्य में देशी सदाबहार वृक्षों के पौधे उपहार में दिए जाएँगे और उन्हें अपने बच्चों के जीवन के दौरान पौधों का पोषण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

लक्ष्य

<p>4. आरोग्य वन का विकास - भूमि की खरीद और तैयारी, प्रजातियों का चयन और विभिन्न औषधीय जड़ी-बूटियों, झाड़ियों और वृक्षारोपण³⁴</p>		
<p>1. सामान्य और लुप्तप्राय पेड़ों के 2,000 पौधे लगाए जाएंगे और कम से कम 65% जीवित रहने की दर (ट्री गार्ड का उपयोग करके) सुनिश्चित की जाएगी। पृथक्करण क्षमता³⁵: 15-20 वर्षों में 11,200 tCO₂ से 20,000 tCO₂</p> <p>2. आरोग्य वन की संस्थापना के लिए लगभग 0.1 हेक्टेयर भूमि आवंटित/चिह्नित की गई</p>	<p>1. ग्राम पंचायत में सड़कों, रास्तों और जल निकायों के किनारे 2,000 से 2,500 अन्य पौधे लगाया जाना। पृथक्करण क्षमता: 15-20 वर्षों में 14,000 tCO₂ से 25,000 tCO₂ तक</p> <p>2. आरोग्य वन की संस्थापना और रखरखाव किया गया।</p> <p>3. लगभग 4 हेक्टेयर भूमि पर कृषि-वानिकी अपनाई गई, 400 पेड़³⁶ लगाए गए पृथक्करण क्षमता: 20 वर्षों में 2,240 tCO₂ से 4,000 tCO₂ तक</p> <p>4. प्राकृतिक औषधियों और पूरकों के विनिर्माण और विपणन के लिए एफपीओ, महिला समूहों, युवा समूहों की क्षमता निर्माण</p>	<p>1. अतिरिक्त 2,500 से 30,000 पौधे लगाया जाना पृथक्करण क्षमता: 15-20 वर्षों में 16,800 tCO₂ से 30,000 tCO₂ तक</p> <p>2. कृषि-वानिकी पहल के तहत क्षेत्र का विस्तार</p> <p>3. आरोग्य वन का रखरखाव किया गया तथा प्राकृतिक औषधियों और पूरकों का उत्पादन जारी</p>

अनुमानित लागत

<p>वृक्षारोपण गतिविधियाँ: ₹25,40,000 कुल लागत: ₹25,40,000</p>	<p>1. वृक्षारोपण की कुल लागत: ₹25,40,000</p> <p>2. कृषि वानिकी की लागत: ₹2,40,000</p> <p>कुल लागत: ₹27,80,000</p>	<p>1. वृक्षारोपण की कुल लागत: ₹31,75,000 कुल लागत: ₹31,75,000</p>
---	---	---

34 अनुलग्नक V में सूचीबद्ध वृक्ष प्रजातियाँ

35 सागौन की प्रजातियों के आधार पर पृथक्करण क्षमता का अनुमान

36 गेहूँ के अंतर्गत आने वाली कृषि भूमि (~4 हेक्टेयर) कृषि वानिकी के लिए उपयुक्त मानी जाती है।



जन जैवविविधता रजिस्टर

चरण	2024-25 से 2026-27	2027-28 से 2029-30	2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> जन जैवविविधता रजिस्टर को अद्यतन करना जागरूकता पैदा करना 	<ol style="list-style-type: none"> जन जैवविविधता रजिस्टर को अद्यतन करना जारी रखना जागरूकता को मजबूत करना 	<ol style="list-style-type: none"> जन जैवविविधता रजिस्टर को अद्यतन करना जारी रखना जागरूकता को मजबूत करना
लक्ष्य	<ol style="list-style-type: none"> जैवविविधता प्रबंधन समिति का गठन और क्षमता वृद्धि जन जैवविविधता रजिस्टर का सहभागी अद्यतन 	जन जैवविविधता रजिस्टर का सहभागी अद्यतन जारी रखना	जन जैवविविधता रजिस्टर का सहभागी अद्यतन जारी रखना
अनुमानित लागत	जैवविविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) का गठन और प्रशिक्षण लागत ³⁷ : ₹25,000		

³⁷ जैवविविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) के संचालन के लिए दिशानिर्देश, 2013, राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण। <http://nbaindia.org/uploaded/pdf/Guidelines%20for%20BMC.pdf>

वर्तमान में संचालित योजनाएं और कार्यक्रम


- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, भारत सरकार, ग्रीन इंडिया मिशन, जल जीवन मिशन और उप्र राज्य वृक्षारोपण लक्ष्यों द्वारा 'भारत में वनों के बाहर पेड़' पहल के अंतर्गत प्रावधानों के माध्यम से वृक्षारोपण गतिविधियों को जोड़ा और संचालित किया जा सकता है।
 - » उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण निधि (राज्य कैम्पा निधि) के अंतर्गत वार्षिक बजटिंग के लिए निम्न गतिविधि हेतु निर्देशित किया जा सकता है:
- ग्राम पंचायत में वनरोपण, जैवविविधता का संवर्धन, वन्यजीव आवास में सुधार, और मिट्टी एवं जल संरक्षण गतिविधियाँ।
- वृक्षारोपण गतिविधियों को मनरेगा के साथ जोड़ा जा सकता है और स्थानीय समुदाय को 'श्रमदान' करने में भी सम्मिलित किया जा सकता है।
 - » सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत कृषि वानिकी संबंधी उप-मिशन का लाभ उठाया जा सकता है:
 - » कृषि वानिकी वृक्षारोपण के लिए प्रति हेक्टेयर ₹28,000 का लाभ उठाएं।
 - » वृक्षारोपण हेतु सहायता चार वर्षों के लिए 40:20:20:20 के वर्ष-वार अनुपात में प्राप्त की जा सकती है।
- केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान, लखनऊ के कौशल विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम ग्राम पंचायत में आरोग्य वन स्थापित करने में सहायक हो सकता है।
- जैवविविधता प्रबंधन समिति (बीएमसी) के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड के कार्यक्रमों का उपयोग किया जा सकता है।

वित्त के अन्य स्रोत

- 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत ग्राम पंचायत को आवंटित संसाधन तथा पंचायत के स्वयं की आय (ओएसआर) से एकत्र राजस्व।
- पौधों की खरीद, वृक्षारोपण अभियान का आयोजन, पौधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ट्री गार्ड के निर्माण के लिए कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) फंड का लाभ उठाया जा सकता है। सीएसआर समर्थन का उपयोग आरोग्य वन के निर्माण और हर्बल उत्पादों के लिए उत्पादन इकाइयों की संस्थापना के लिए भी किया जा सकता है, जैसा कि 'आजीविका बढ़ाने और हरित उद्यमशीलता को बढ़ावा देने' की संस्तुतियों में वर्णित है।

प्रमुख विभाग

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
- राज्य जैवविविधता बोर्ड
- पंचायती राज विभाग
- ग्राम्य विकास विभाग
- केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान, लखनऊ



5. स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुँच

संदर्भ एवं मुद्दे³⁸

- ग्राम पंचायत अल्लापुर रानीमऊ ने में 91 प्रतिशत घरों में बिजली कनेक्शन है, समुदाय के सदस्यों से मिली जानकारी के अनुसार बिजली की आपूर्ति 24x7 नहीं है। क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान समुदाय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, ग्राम पंचायत में औसतन हर दिन 6 घंटे बिजली कटौती होती है।
- सिंचाई के लिए 100 डीजल पंप और 1 इलेक्ट्रिक पंप का उपयोग किया जाता है।
- सीएफएल (कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट) लाइट और कम दक्षता वाले अन्य विद्युत जुड़नार और उपकरण किसी भी घर और सार्वजनिक उपयोगिताओं में उपयोग में हैं। इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायत ने अतिरिक्त स्ट्रीट लाइट (150 स्ट्रीट लाइट और 20 हाई-मास्ट सोलर एलईडी) की आवश्यकता व्यक्त की है।
- लगभग 44 परिवारों में खाना पकाने के लिए गाय के गोबर और ईंधन की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। स्वच्छ खाना पकाने की समस्या के समाधानों की ओर बढ़ने की आवश्यकता है, जिससे न केवल कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, बल्कि घर के अंदर हवा की गुणवत्ता में सुधार जैसे सह-लाभ भी होंगे।

ग्राम पंचायत की पहचान की गई ऊर्जा संबंधी समस्याओं/चिंताओं के आधार पर, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा हाल ही में शुरू किए गए और साथ ही चल रहे कार्यक्रमों, जैसे कि पीएम सूर्य घर बिजली मुफ्त योजना, पीएम कुसुम योजना, यूपी राज्य सौर नीति 2022, के संयोजन में, अल्लापुर रानीमऊ में कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित समाधान प्रस्तावित हैं। सुझाई गई गतिविधियों का उद्देश्य ग्राम पंचायत में समुदायों के लिए स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना है। इससे न केवल उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा बल्कि ऊर्जा के उत्पादक उपयोग के माध्यम से आय में वृद्धि करने में भी मदद मिलेगी।

38 जैसा कि क्षेत्र सर्वेक्षणों और एफजीडी के दौरान समुदाय से समझा गया और प्रासंगिक स्रोतों द्वारा इसकी पुष्टि की गई



सोलर रूफटॉप की संस्थापना

चरण

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
	सभी सरकारी भवनों: पंचायत भवन, आंगनवाड़ी, खाद एवं बीज केंद्र और 2 प्राथमिक विद्यालय के भवनों पर सोलर रूफटॉप पैनल लगाना	<ol style="list-style-type: none"> पक्के मकानों के छत पर सौर पैनल लगाना सभी नये भवनों की छत पर सोलर रूफटॉप पैनल लगाना (चरण II के दौरान निर्मित) 	<ol style="list-style-type: none"> पक्के घरों पर छतों पर सोलर रूफटॉप पैनल की संस्थापना का विस्तार सभी नई भवनों (चरण III के दौरान निर्मित) पर छतों पर सौर पैनलों की संस्थापना सौर छतों का नियमित रखरखाव किया जाना

<p>सोलर रूफटॉप पैनल क्षमता संस्थापित की गई:</p> <p>क. पंचायत भवन: (130 वर्ग मीटर छत क्षेत्रफल) 5 kW</p> <p>ख. प्राथमिक विद्यालय: (92 वर्ग मीटर छत क्षेत्र) 5 kWp</p> <p>ग. प्राथमिक विद्यालय: (155 वर्ग मीटर छत क्षेत्र) 5 kWp</p> <p>घ. उर्वरक और बीज केंद्र: (300 वर्ग मीटर छत क्षेत्र) 10 kWp</p> <p>ड. आंगनवाड़ी: (22 वर्ग मीटर छत क्षेत्र) 3 kWp</p> <p>इस चरण में स्थापित कुल सौर छत क्षमता: 28 kWp</p> <p>बिजली उत्पादन: 37498 kWh प्रति वर्ष (~103 यूनिट प्रति दिन)</p> <p>जीएचजी उत्सर्जन में कमी: 31 tCO₂e प्रति वर्ष</p> <p>हाल ही में शुरू की गई प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अति आवश्यक और महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के मद्देनजर, कुछ परिवार भी छतों पर सौर पीवी संस्थापना के इस चरण का हिस्सा बन सकते हैं।</p>	<p>167 घरों पर सोलर रूफटॉप पैनल स्थापित किया जाना (पक्के घरों का 40%)⁴⁰</p> <p>इस चरण में स्थापित कुल सौर छत क्षमता: 501.6 किलोवाट</p> <p>बिजली उत्पन्न: 6,71,743 kWh प्रति वर्ष (~1,840 यूनिट प्रति दिन)</p> <p>जीएचजी उत्सर्जन में कमी: प्रति वर्ष 551 tCO₂e</p>	<p>251 घरों पर सोलर रूफटॉप पैनल स्थापित किया जाना (100% पक्के घर)</p> <p>इस चरण में स्थापित कुल सौर छत क्षमता: 752 kWp</p> <p>उत्पन्न बिजली: 10,07,614 kWh प्रति वर्ष (~2,761 यूनिट प्रति दिन)</p> <p>जीएचजी उत्सर्जन में कमी: 826 tCO₂e प्रति वर्ष</p>
--	--	--

लक्ष्य³⁹

39 पीआरआई भवनों में सौर ऊर्जा स्थापना की अधिकतम सीमा 10 किलोवाट घंटा है

40 घरों का औसत क्षेत्रफल 130 वर्ग मीटर माना जाता है; प्रति घर छत पर 3 किलोवाट घंटा स्थापना का अनुमान है

अनुमानित लागत

कुल लागत: ₹14,00,000	लागत (प्रति किलोवाट): ₹2,50,80,000	लागत (प्रति किलोवाट): ₹3,76,20,000
	संकेतिक सब्सिडी: ⁴¹ ~40% (राज्य + सीएफए)	संकेतिक सब्सिडी: ~40% (राज्य + सीएफए)
	प्रभावी लागत: ₹1,50,48,000	प्रभावी लागत: ₹2,25,72,000



कृषि फोटोवोल्टिक संस्थापना

चरण

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

I	II	III
2024-25 से 2026-27	2027-28 से 2029-30	2030-31 से 2034-35
किसानों, किसान समूहों, महिला समूहों आदि के बीच जागरूकता पैदा करना।	उपयुक्त कृषि भूमि के क्षेत्र भाग पर कृषि-फोटोवोल्टेइक स्थापित (बागवानी और फलीदार फसलों के अंतर्गत)	उपयुक्त कृषि भूमि के क्षेत्र भाग पर कृषि-फोटोवोल्टेइक स्थापित (बागवानी और फलीदार फसलों के अंतर्गत)

लक्ष्य

किसानों के बीच कृषि-फोटोवोल्टिक पहल को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान और अभिविन्यास सत्र आयोजित करना	2 हेक्टेयर में कृषि-फोटोवोल्टेइक स्थापित स्थापित क्षमता: 500 kWp उत्पादित बिजली: 6,69,600 kWh प्रति वर्ष (~ 1,835 यूनिट प्रति दिन)	2 हेक्टेयर में कृषि-फोटोवोल्टेइक स्थापित स्थापित क्षमता: 500 kWp उत्पादित बिजली: 6,69,600 kWh प्रति वर्ष (~ 1,835 यूनिट प्रति दिन)
	ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी: 549 tCO ₂ e प्रति वर्ष	ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी: 549 tCO ₂ e प्रति वर्ष

41 सब्सिडी परिवर्तनशील होती है और समय-समय पर राज्य और केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए विभिन्न मापदंडों के अनुसार बदलती रहती है। इसलिए, अनुमानित सब्सिडी राशि पिछले रुझानों और औसत पर आधारित है और मौजूदा समय में सटीक नहीं हो सकती है।

अनुमानित
लागत

कुल लागत⁴²: ₹5,00,00,000

कुल लागत: ₹5,00,00,000



सोलर पंप

चरण

2024-25 से 2026-27

2027-28 से 2029-30

2030-31 से 2034-35

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट
संबंधी गतिविधियाँ

ग्राम पंचायत में ग्रिड से जुड़े मौजूदा 50 डीजल पंप सेटों को सौर पंपों से प्रतिस्थापित करना

* यदि सौर पंप व्यवहार्य न हों तो ऊर्जा कुशल पंप (ईईएसएल द्वारा किसान ऊर्जा दक्ष पंप) पर विचार किया जा सकता है।

ग्राम पंचायत में मौजूदा 50 डीजल पंप सेटों को सौर पंपों से प्रतिस्थापित करना

सभी नए पंपों के उपयोग/खरीद को सौर ऊर्जा से संचालित करने के लिए प्रोत्साहित करना

लक्ष्य

संस्थापित क्षमता: ~550 kW

बिजली उत्पादन क्षमता: 7,36,560 kWh प्रति वर्ष

जीएचजी उत्सर्जन में कमी: 105 tCO₂e प्रति वर्ष

संस्थापित क्षमता: ~550 kW

बिजली उत्पादन क्षमता: 7,36,560 kWh प्रति वर्ष

जीएचजी उत्सर्जन में कमी: 105 tCO₂e प्रति वर्ष

आवश्यकतानुसार क्षमता

अनुमानित लागत

कुल लागत: ₹2,00,00,000

सब्सिडी: ~60% (राज्य + सीएफए)

प्रभावी लागत: ₹80,00,000

कुल लागत: ₹2,00,00,000

सब्सिडी: ~60% (राज्य + सीएफए)

प्रभावी लागत: ₹80,00,000

आवश्यकतानुसार

42 प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ, कृषि-फोटोवोल्टिक की लागत कम हो रही है। हालांकि, उच्चतर लागत का एक रूढ़िवादी अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा, यह माना गया है कि किसान बागवानी और अन्य समान फसलों के लिए निर्धारित भूमि पर भी फसल चक्र अपनाते हैं। इसलिए, बागवानी के तहत उपलब्ध भूमि का केवल एक प्रतिशत ही कृषि-फोटोवोल्टिक की स्थापना के लिए ध्यान में रखा गया है।



रसोई में स्वच्छ ईंधन का उपयोग

चरण

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
<p>परिदृश्य 1: घरेलू बायोगैस + रसोई गैस</p> <p>परिदृश्य 2: सौर ऊर्जा चालित प्रेरण कुक स्टोव + एलपीजी</p> <p>परिदृश्य 3: सौर ऊर्जा चालित प्रेरण कुक स्टोव + उन्नत चूल्हे + रसोई गैस</p>	<p>परिदृश्य 1: घरेलू बायोगैस + रसोई गैस</p> <p>परिदृश्य 2: सौर ऊर्जा चालित प्रेरण कुक स्टोव + उन्नत चूल्हे + रसोई गैस</p>	<p>परिदृश्य 1: घरेलू बायोगैस + रसोई गैस</p> <p>परिदृश्य 2: सौर ऊर्जा चालित प्रेरण कुक स्टोव + उन्नत चूल्हे + रसोई गैस</p>

लक्ष्य

<p>परिदृश्य 1: 25 परिवार बायोगैस संयंत्रों का उपयोग (100% परिवार मवेशी रखते हैं) + 415 परिवार रसोई गैस का उपयोग</p> <p>परिदृश्य 2: 42 परिवार सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव उपयोग (100% परिवार उच्च आय वर्ग में हैं) + 398 परिवार रसोई गैस</p> <p>परिदृश्य 3: 42 परिवार सौर ऊर्जा चालित प्रेरण चूल्हे का उपयोग (100% परिवार उच्च आय वर्ग में हैं) + 10 परिवार उन्नत चूल्हे का उपयोग (50% परिवार वर्तमान में बायोमास का उपयोग) + 388 परिवार रसोई गैस का उपयोग</p>	<p>परिदृश्य 1: कोई भी अतिरिक्त परिवार जो पशुपालन में लगे हैं</p> <p>परिदृश्य 2: कोई भी अतिरिक्त परिवार जो उन्नत चूल्हों का उपयोग करने के लिए बायोमास का उपयोग</p>	<p>परिदृश्य 1: कोई भी अतिरिक्त परिवार जो पशुपालन में लगे हैं</p> <p>परिदृश्य 2: कोई भी अतिरिक्त परिवार जो उन्नत चूल्हों का उपयोग करने के लिए बायोमास का उपयोग</p>
--	---	---

अनुमानित लागत

<p>परिदृश्य 1: बायोगैस संयंत्रों के लिए ₹ 12,50,000 (2 से 3 m³ बायोगैस संयंत्र के लिए ₹50,000)।</p> <p>परिदृश्य 2: सोलर इंडक्शन कुकस्टोव के लिए ₹ 18,90,000 (बैटरी के बिना 1 डबल बर्नर सोलर कुकस्टोव के लिए ₹45,000)।</p> <p>परिदृश्य 3: ₹18,90,000 + ₹30,000 (1 उन्नत चूल्हा @ 3,000 रुपये)</p> <p>औसत कुल लागत: ₹16,86,667</p>	<p>परिदृश्य 1: बायोगैस संयंत्रों के लिए ₹20,00,000 (2 m³ से 3 m³ बायोगैस संयंत्र के लिए ₹50,000)</p> <p>परिदृश्य 2: 1 उन्नत चूल्हे के लिए ₹3,000</p>	<p>परिदृश्य 1: बायोगैस संयंत्रों के लिए ₹20,00,000 (2 m³ से 3 m³ बायोगैस संयंत्र के लिए ₹50,000)</p> <p>परिदृश्य 2: 1 उन्नत चूल्हे के लिए ₹3,000</p>
---	--	--



ऊर्जा कुशल फिक्स्चर⁴³

चरण

	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
<h3>सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ</h3>	<ol style="list-style-type: none"> पंचायत के सभी सरकारी भवनों में सभी लाइट फिक्स्चर और पंखों को ऊर्जा कुशल फिक्स्चर से बदलना ग्राम पंचायत के प्रत्येक घर में कम से कम 1 सीएफएल बल्ब को एलईडी बल्ब और/या एलईडी ट्यूब लाइट से बदलना ग्राम पंचायत के प्रत्येक घर में कम से कम एक फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट को एलईडी ट्यूब लाइट से बदलना निवासियों को अन्य घरेलू उपकरणों को ऊर्जा कुशल उपकरणों (बीईई द्वारा 4-5 स्टार रेटेड) में अपग्रेड करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाना। 	<ol style="list-style-type: none"> सीएफएल बल्बों की जगह एलईडी बल्बों का इस्तेमाल बढ़ाना एलईडी ट्यूब लाइट के साथ 2 ट्यूब लाइट के प्रतिस्थापन को बढ़ाना घरों में 1 पारंपरिक पंखों की जगह ऊर्जा कुशल पंखे लगाना निवासियों को अन्य घरेलू उपकरणों को ऊर्जा कुशल उपकरणों (बीईई द्वारा 4-5 स्टार रेटिंग) में अपग्रेड करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाना। 	<p>घरों में पारंपरिक पंखों के स्थान पर ऊर्जा कुशल पंखों का उपयोग बढ़ाना</p>

43 क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत से प्राप्त जानकारी और ग्राम प्रधान के साथ आगे की चर्चा के आधार पर

लक्ष्य

1. सभी पंचायती राज संस्थाओं/ सरकारी भवनों में मौजूदा फिक्स्चर को एलईडी ट्यूब लाइट और ऊर्जा कुशल पंखों से 100% बदलना
2. सभी घरों में 440 मौजूदा सीएफएल की जगह एलईडी बल्ब लगाना (प्रत्येक घर में 1)
3. सभी घरों में 440 मौजूदा ट्यूब लाइट की जगह एलईडी ट्यूब लाइट लगाना (प्रत्येक घर में 1)

1. सभी घरों में अतिरिक्त 880 मौजूदा सीएफएल को एलईडी बल्ब से बदलना (प्रत्येक घर में 2)
2. सभी घरों में अतिरिक्त 880 ट्यूब लाइट को एलईडी ट्यूब लाइट से बदलना (प्रत्येक घर में 2)
3. सभी (100%) घरों में 440 ऊर्जा कुशल पंखे बदलना (प्रत्येक घर में 1)

शेष 880 (100% कवरेज) पारंपरिक पंखों को ऊर्जा कुशल पंखों से प्रतिस्थापित करना

अनुमानित लागत

1. एलईडी बल्ब की कीमत: ₹30,800
 2. एलईडी ट्यूब लाइट की कीमत: ₹96,800
- कुल कीमत: ₹1,27,600

1. एलईडी बल्ब की कीमत: ₹61,600
 2. एलईडी ट्यूब लाइट की कीमत: ₹1,93,600
 3. ऊर्जा कुशल पंखों की कीमत: ₹4,88,400
- कुल कीमत: ₹7,43,600

1. ऊर्जा कुशल पंखों की लागत: ₹9,76,800
- कुल लागत: ₹9,76,800



सौर स्ट्रीट लाइट⁴⁴

चरण

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

	2024-25 से 2026-27	2027-28 से 2029-30	2030-31 से 2034-35
1. सड़कों, सार्वजनिक स्थानों और अन्य प्रमुख स्थानों पर सौर एलईडी स्ट्रीट लाइटें स्थापित करना	1. नई सौर एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाना	1. आवश्यकतानुसार सौर स्ट्रीट स्ट्रीट लाइटों का नियमित रखरखाव और अतिरिक्तीकरण	
2. सड़कों, फुटपाथों, सरकारी भवनों, सार्वजनिक स्थानों, जलाशयों और अन्य प्रमुख स्थानों पर हाई-मास्ट सौर एलईडी स्ट्रीट लाइटों की संस्थापना	2. अधिक उच्च-मस्तूल सौर एलईडी की संस्थापना		
	3. मौजूदा स्ट्रीट लाइटों का रखरखाव और मरम्मत		

44 क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत से प्राप्त जानकारी और ग्राम प्रधान के साथ आगे की चर्चा के आधार पर

लक्ष्य

1. 100 सौर एलईडी स्ट्रीट लाइट्स लगाना
2. 20 हाई-मास्ट सौर एलईडी स्ट्रीट लाइट्स लगाना

1. 50 सौर एलईडी स्ट्रीट लाइटों लगाना
2. आवश्यकतानुसार अतिरिक्त हाई-मास्ट सौर एलईडी लगाना

1. आवश्यकतानुसार अतिरिक्त स्ट्रीट लाइटों को सौर एलईडी स्ट्रीट लाइटों में परिवर्तित किया जाना
2. आवश्यकतानुसार अतिरिक्त हाई-मास्ट को हाई-मास्ट सोलर एलईडी में परिवर्तित किया जाना

अनुमानित लागत

1. 100 सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइट्स की स्थापना: ₹10,00,000
 2. 20 हाई-मास्ट सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइट्स की स्थापना: ₹10,00,000
- कुल लागत: ₹20,00,000

1. 50 सौर एलईडी स्ट्रीट लाइटों की संस्थापना की लागत: ₹5,00,000
 2. आवश्यकतानुसार लागत
- कुल लागत: ₹5,00,000

आवश्यकतानुसार

वर्तमान में संचालित योजनाएं और कार्यक्रम

- उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति, 2022⁴⁵ प्रदान करती है:
 - आवासीय क्षेत्र में सोलर लगाए जाने पर सब्सिडी/अनुदान: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा केंद्रीय वित्तीय सहायता के अतिरिक्त प्रति उपभोक्ता ₹15,000/किलोवाट से अधिकतम सीमा ₹30,000/- तक।
 - संयंत्र की लागत का 3% परामर्श शुल्क के साथ स्वयं या यूपीनेडा के परामर्श से रेस्को मोड⁴⁶ में संस्थानों में सौर संस्थापना का प्रावधान।
- ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप कार्यक्रम के माध्यम से नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा केंद्रीय वित्तीय सहायता:
 - 3 किलोवाट क्षमता तक के रूफटॉप सिस्टम के लिए 40% तक केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) दिया जाएगा। 3 किलोवाट से अधिक और 10 किलोवाट तक की क्षमता वाले रूफटॉप सिस्टम के लिए, 40% का केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए)। केवल पहले 3 किलोवाट क्षमता के लिए लागू होगा और 3 किलोवाट से ऊपर (10 किलोवाट तक) की क्षमता के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) 20% तक सीमित होगी।
 - ग्रुप हाउसिंग सोसायटी/आवासीय कल्याण संघों (जीएचएस/आरडब्ल्यूए) के लिए सामान्य सुविधाओं को बिजली की आपूर्ति के लिए रूफटॉप संयंत्र की संस्थापना के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) सीएफए 20% तक सीमित होगी। जीएचएस/आरडब्ल्यूए हेतु सीएफए के लिए पात्र क्षमता 10 किलोवाट प्रति घर तक सीमित होगी और कुल 500 किलोवाट से अधिक नहीं होगी।
 - गरीब परिवारों के लिए सोलर रूफटॉप की संस्थापना पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना⁴⁷ के अंतर्गत की जा सकती है। यह योजना 2 किलोवाट सिस्टम के लिए सिस्टम लागत का 60% केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) और 2 से 3 किलोवाट क्षमता के सिस्टम के लिए 40% अतिरिक्त सिस्टम लागत प्रदान करती है। केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) को 3 किलोवाट पर सीमित किया जाएगा मौजूदा बेंचमार्क कीमतों पर, अर्थात् 1 किलोवाट सिस्टम के लिए 30,000 रुपये, 2 किलोवाट सिस्टम के लिए 60,000

45 https://invest.up.gov.in/wp-content/uploads/2023/02/Uttar_Pradesh_Solar_Energy_Policy_2022.pdf

46 थर्ड पार्टी (RESCO मोड) (नवीकरणीय ऊर्जा आपूर्ति कंपनी)

47 <https://pmsuryaghar.gov.in/>

रुपये और 3 किलोवाट सिस्टम या उससे अधिक के लिए 78,000 रुपये की सब्सिडी होगी।

- पीएम कुसुम योजना प्रदान करती है:
 - » पीएम कुसुम योजना का घटक ए, कृषि भूमि पर 500 किलोवाट और बड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों की संस्थापना को बढ़ावा देता है।
 - » पीएम कुसुम योजना के घटक बी और सी के अंतर्गत, केंद्र और राज्य सरकार प्रत्येक पंप के आधार पर 30% की सब्सिडी प्रदान करेगी। किसानों को केवल 10% की अग्रिम लागत का भुगतान करना होगा और बाकी का भुगतान किशतों में बैंक को किया जा सकता है।
- उ०प्र० सरकार पीएम कुसुम योजना में योगदान:
 - » घटक सी-1 के अंतर्गत : किसानों को 60% सब्सिडी (अनुसूचित जनजाति, वनटांगिया और मुसहर जाति के किसानों को 70% सब्सिडी) के साथ स्थापित ऑन-ग्रिड पंपों का सोलराइजेशन; यह एमएनआरई की पीएम कुसुम योजना के माध्यम से केंद्र सरकार से मिलने वाली सब्सिडी के अतिरिक्त है।
 - » घटक सी-2 के अंतर्गत : एमएनआरई की पीएम कुसुम योजना के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सब्सिडी के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा अलग-अलग कृषि फीडरों का सोलराइजेशन ₹50 लाख प्रति मेगावाट की व्यवहार्यता गैप फंडिंग (वीजीएफ) प्रदान की जाती है।
- ग्राम पंचायतों में एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग परियोजनाएं:⁴⁸
 - » ईईएसएल अपनी स्वयं की लागत पर पारंपरिक स्ट्रीटलाइट्स को एलईडी स्ट्रीटलाइट्स से बदल देते हैं और 7 साल तक एलईडी बल्बों का मुफ्त बदलने और रखरखाव की सुविधा प्रदान करते हैं।
 - » अटल ज्योति योजना और एमएनआरई सोलर स्ट्रीटलाइट कार्यक्रम में 12 वॉट एलईडी और 3 दिन के बैटरी बैकअप के साथ सोलर स्ट्रीट लाइट की संस्थापना के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है।
- ग्राम उजाला योजना:⁴⁹
 - » एलईडी बल्ब ₹10 प्रति बल्ब की किफायती कीमत पर उपलब्ध हैं।
 - » ग्रामीण ग्राहकों को काम करने वाले इंकंडेसेंट बल्बों के बदले 7-वाट और 12-वाट के एलईडी बल्ब तीन साल की वारंटी के साथ दिए जाएंगे।
- कोल्ड स्टोरेज संस्थापना के लिए सब्सिडी:
 - » परियोजना लागत के 35% की क्रेडिट लिंक्ड बैंक एंडेड सब्सिडी के रूप में सरकारी सहायता 2 योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध है
 - कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग (डीएसी एंड एफडब्ल्यू) एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) लागू कर रहा है।
 - राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) 'बागवानी उत्पादों के लिए कोल्ड स्टोरेज और भंडारण के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी' नाम से एक योजना लागू कर रहा है।
 - » प्रधान मंत्री किसान सम्पदा योजना के अंतर्गत, एकीकृत कोल्ड चेन, मूल्य संवर्धन और संरक्षण बुनियादी ढांचे पर घटक, बुनियादी ढांचे की सुविधा के निर्माण के लिए 35% की दर से अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्राप्त की जा सकती है। गैर-बागवानी, बागवानी, डेयरी, मांस और पोल्ट्री के वितरण की सुविधा के लिए संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला⁵⁰। यह योजना खेत स्तर पर कोल्ड चेन बुनियादी ढांचे के निर्माण पर विशेष जोर देने के साथ परियोजना नियोजन में लचीलेपन की अनुमति देती है।
- ईईएसएल ने कार्बन वित्तपोषण का लाभ उठाकर सौर ऊर्जा आधारित इंडक्शन कुकिंग समाधानों के लिए बाजार-आधारित हस्तक्षेप शुरू करने की योजना बनाई है
- 15वें वित्त आयोग और स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (एसबीएम-जी) के अंतर्गत गोबरधन (गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज धन) योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से धन का लाभ उठाना।

48 ईईएसएल द्वारा स्ट्रीट लाइटिंग राष्ट्रीय कार्यक्रम

49 ग्राम उजाला योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में एक करोड़ एलईडी बल्ब वितरित किए गए (फरवरी 2023), पीआईबी

50 अर्थात् खेत स्तर पर प्री-कूलिंग, वजन, छंटाई, ग्रेडिंग, वैक्सिंग सुविधाएं, मल्टी प्रोडक्ट/मल्टी टेम्परेचर कोल्ड स्टोरेज, सीए स्टोरेज, पैकिंग सुविधा, आईक्यूएफ, वितरण केंद्र में ब्लास्ट फ्रीजिंग और रीफर वैन, मोबाइल कूलिंग यूनिट

- » एसबीएम-जी के अंतर्गत गोबरधन योजना क्लस्टर/सामुदायिक स्तर के बायोगैस संयंत्रों की संस्थापना के लिए 2020-21 से 2024-25 की अवधि के लिए प्रति जिले ₹50 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।⁵¹
- यूपी जैव-ऊर्जा नीति 2022⁵² सरकार से उपलब्ध प्रोत्साहनों के अतिरिक्त गोबरधन योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा सीबीजी संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है :
 - » कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) उत्पादन संयंत्र स्थापित करने पर ₹75 लाख/टन से लेकर अधिकतम ₹20 करोड़ तक का प्रोत्साहन।
 - » विकास प्राधिकरणों द्वारा लगाए गए विकास शुल्क पर छूट।
 - » 100% स्टाम्प शुल्क और विद्युत शुल्क से छूट।
- एमएनआरई ने राष्ट्रीय जैव-ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत अपशिष्ट से ऊर्जा (डब्ल्यूटीई) कार्यक्रम लागू किया:
 - » कार्यक्रम शहरी, औद्योगिक और कृषि अपशिष्ट से बायोगैस उत्पादन के लिए संयंत्रों की संस्थापना का समर्थन करता है।
 - » बायोगैस उत्पादन के लिए उपलब्ध वित्तीय सहायता ₹0.25 करोड़ प्रति 12000 घन मीटर/दिन⁵³ है।
 - » पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना एक केंद्रीय योजना है जिसका उद्देश्य भारत में उन घरों को मुफ्त बिजली प्रदान करना है, जो सौर छत स्थापित करने का विकल्प चुनते हैं।⁵⁴

वित्त के अन्य स्रोत

- सोलर रूफटॉप, सोलर पंप खरीदने के लिए ऋण हेतु स्थानीय बैंकों, माइक्रोफाइनेंस संस्थानों और सहकारी बैंकों आदि के साथ गठजोड़ का पता लगाना।
- कृषि-फोटोवोल्टिक्स के लिए सौर डेवलपर्स के साथ साझेदारी का पता लगाना।
- कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) निधि का उपयोग किया जा सकता है:
 - » सूक्ष्म-वित्त संस्थानों द्वारा दिए गए रिवोल्विंग निधि मॉडल के माध्यम से योजना/कार्यक्रम सब्सिडी के अतिरिक्त सौर छतों/कृषि-फोटोवोल्टिक्स/ सौर पंपों की संस्थापना के लिए पूंजीगत लागत को कवर करना।
 - » ग्राम पंचायत में अपनाई गई विभिन्न स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के लिए ग्राम समुदाय के सदस्यों/एसएचजी सदस्यों को 'संचालन और रखरखाव' पर प्रशिक्षण प्रदान करना।
 - » रूफटॉप सोलर (यूपी सौर नीति, 2022) और सौर सिंचाई (पीएम-कुसुम, यूपी सोलर सिंचाई योजना) को बढ़ावा देने वाली मौजूदा सरकारी योजनाओं/कार्यक्रमों पर जागरूकता अभियान आयोजित करना।

प्रमुख विभाग

- उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण
- उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल)
- मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
- पंचायती राज विभाग
- ग्राम्य विकास विभाग
- कृषि विभाग
- शिक्षा विभाग

51 <https://pib.gov.in/PressReleaseSelfframePage.aspx?PRID=1883926>

52 <https://invest.up.gov.in/bio-energy-enterprises-promotion-programme-2022/>

53 <https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1896067>

54 <https://pmsuryaghar.gov.in/>



6. सतत और उन्नत गतिशीलता

संदर्भ एवं मुद्दे⁵⁵

- अल्लापुर रानीमऊ ग्राम पंचायत में कुल 473 आंतरिक दहन इंजन (आईसीई) वाहन हैं; 400 दोपहिया वाहन, 21 कार, 6 मिनी ट्रक्स 40 ट्रेक्टर, 1 हार्वेस्टर और 5 ई-रिक्शा है।
- आईसीई वाहनों द्वारा कुल ईंधन की खपत प्रति वर्ष लगभग 88.2 किलो लीटर (kl) डीजल और 32 किलो लीटर पेट्रोल है। कुल मिलाकर, परिवहन क्षेत्र में खपत किए गए ईंधन से लगभग 193 tCO₂e उत्सर्जन हुआ है।

इस कारण से, परिवहन बुनियादी ढांचे में सुधार और ई-मोबिलिटी समाधानों में बदलाव की पहल की महत्वपूर्ण संभावना है।



मौजूदा बुनियादी सड़क ढांचे बेहतर करना

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
मुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	आवश्यकतानुसार सड़क अवसंरचना का रखरखाव और मरम्मत किया जाना	आवश्यकतानुसार सड़क अवसंरचना का निरंतर रखरखाव और मरम्मत करना	आवश्यकतानुसार सड़क अवसंरचना का निरंतर रखरखाव और मरम्मत करना
लक्ष्य	सड़कों का नियमित रखरखाव/ मरम्मत	सड़कों का नियमित रखरखाव/ मरम्मत करना	सड़कों का नियमित रखरखाव/ मरम्मत करना
अनुमानित लागत	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार

⁵⁵ जैसा कि क्षेत्र सर्वेक्षणों और एफजीडी के दौरान समुदाय से समझा गया और प्रासंगिक स्रोतों द्वारा पुष्टि की गई



मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	पंचायत के अंतिम छोर तक आवागमन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु ई-ऑटोरिक्शा की शुरुआत करना	पंचायत के अंतिम छोर तक आवागमन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु अधिक ई-ऑटोरिक्शा शुरू करना	मांग के आधार पर अधिक ई-ऑटोरिक्शा खरीदे जा सकते हैं
लक्ष्य	3 ऑटो-रिक्शा को ई-ऑटोरिक्शा से बदलें	आवश्यकतानुसार अतिरिक्त ई-ऑटोरिक्शा खरीदे जाना	आवश्यकतानुसार अतिरिक्त ई-ऑटोरिक्शा खरीदे जाना
अनुमानित लागत	एक ई-ऑटोरिक्शा की कीमत लगभग ₹3,00,000 प्रति वाहन ₹12,000 तक की सब्सिडी उपलब्ध है। प्रभावी लागत: ₹8,64,000	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार



ई-वाहन और ई-ट्रैक्टर⁵⁶

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
मुख्य ई-जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> उपयोगकर्ता समूहों (किसानों/लॉजिस्टिक मालिकों/उद्यमियों) को आईसीई वाहनों की तुलना में ई-वाहनों के दीर्घकालिक लाभों के प्रति संवेदनशील बनाकर डीजल ट्रैक्टरों और माल परिवहन वाहनों के इलेक्ट्रिक विकल्प को बढ़ावा देना। ई-माल वाहक और ई-ट्रैक्टर किराए पर लेने की सुविधा स्थापित करना ('आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ावा देना' खंड में विस्तार से समझाया गया है) 	आईसीई वाहनों की तुलना में ई-वाहनों के दीर्घकालिक लाभों के साथ-साथ उनके लाभ हेतु उपलब्ध योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रति विभिन्न उपयोगकर्ता समूहों को जागरूक करना जारी रखना।	आईसीई वाहनों की तुलना में ई-वाहनों के दीर्घकालिक लाभों के साथ-साथ उनके लाभ हेतु उपलब्ध योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रति विभिन्न उपयोगकर्ता समूहों को जागरूक करना जारी रखना।
लक्ष्य	कुल 5 ई-ट्रैक्टर और 5 ई-माल वाहक खरीदे गए	नियमित जागरूकता कार्यक्रम और/या पहचानी गई आवश्यकताओं के अनुसार	नियमित जागरूकता कार्यक्रम और/या पहचानी गई आवश्यकताओं के अनुसार
अनुमानित लागत	<ol style="list-style-type: none"> 5 ई-ट्रैक्टर के लागत : ₹30,00,000 5 ई-माल वाहक के लागत : ₹25,00,000 – ₹50,00,000 कुल लागत: ₹55,00,000 – ₹80,00,000		

⁵⁶ आजीविका और हरित उद्यमिता को बढ़ावा देने वाले अनुभाग में अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है

वर्तमान में संचालित योजनाएं और कार्यक्रम

- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के सहयोग से सड़क बुनियादी ढांचे की मरम्मत और वृद्धि की जा सकती है।
- उ०प्र० इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण और गतिशीलता नीति, 2022 प्रदान करती है:
- खरीदारों को 100% पंजीकरण शुल्क और रोड टैक्स में छूट (पॉलिसी अवधि के दौरान)।
 - » 1 वर्ष की अवधि में डीलरों के माध्यम से खरीदारों को शुरुआती प्रोत्साहन⁵⁷ के रूप में (एक बार) खरीद सब्सिडी - ई-माल वाहक: प्रति वाहन ₹1,00,000 तक पूर्व-फैक्टरी लागत का 10% @; 2-व्हीलर ईवी: प्रति वाहन ₹5000 तक पूर्व-फैक्टरी लागत का 15%; 3-व्हीलर ईवी: प्रति वाहन ₹12000 तक पूर्व-फैक्टरी लागत का 15%।
 - » भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और विनिर्माण चरण II (FAME II) योजना के अंतर्गत ई-रिक्शा के लिए सब्सिडी का भी लाभ उठाया जा सकता है।

अन्य स्रोत

- ग्राम पंचायत का रिसोर्स एनवलप और स्वयं की आय के स्रोत (ओएसआर)।
- कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) समर्थन के साथ बैंकों और सूक्ष्म-वित्त संस्थानों से ऋण।

प्रमुख विभाग

- अवसंस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग
- परिवहन विभाग
- पंचायती राज विभाग
- ग्राम्य विकास विभाग
- उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा)

⁵⁷ सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी, लाभार्थियों की संख्या और मात्रा दोनों के संदर्भ में समय-समय पर बदलती रहती है। इसलिए, इस योजना के किसी भी भाग में उल्लिखित सब्सिडी केवल सांकेतिक है, और खरीद के समय इसकी पुष्टि की जानी चाहिए।



7. आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना

इस ग्राम पंचायत का मुख्य आधार कृषि और पशुपालन है और 78 प्रतिशत से अधिक परिवार इन गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। दोनों ही क्षेत्र आजीविका की असुरक्षा से भरे हुए हैं, विशेष रूप से लगातार सूखे, जलवायु परिवर्तन और पशुपालन में वर्तमान असंतुलित उत्पादन प्रथाओं के कारण। इस प्रकार, आबादी के एक बड़े हिस्से की आजीविका अनिश्चित है। ग्राम पंचायत में आय के अन्य प्रमुख स्रोत गैर-कृषि मजदूरी और स्थानीय व्यवसाय/दुकानें चलाना हैं।

वर्तमान में, उल्लिखित गतिविधियों के अलावा, ग्राम पंचायत के भीतर नौकरियों के सीमित अवसर हैं। इस कार्ययोजना में उल्लिखित सिफारिशें आने वाले वर्षों में नए व्यवसायों और नौकरी के अवसरों के लिए कई रास्ते प्रदान करती हैं। इन्हें निम्नलिखित तालिका में विस्तृत रूप से दिया गया है:



सतत उत्पादों के विनिर्माण में पूर्व से मौजूद स्वयं सहायता समूहों को शामिल करना

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

1. प्लास्टिक के विकल्प वाली सामग्रियों (बैग, घर की सजावट, कटलरी, स्टेशनरी आइटम, फर्नीचर, आदि) से उत्पादों के निर्माण के लिए महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों को शामिल करना
2. क्षमता निर्माण:
 - क. उत्पाद रेंज का विविधीकरण
 - ख. ग्राम पंचायत के भीतर और बाहर उत्पादों का विपणन/बिक्री

प्रारंभिक सहभागिता में:

- क. 100 महिलाएँ
- ख. 15 स्वयं सहायता समूह (वर्तमान में बकरी और भैंस पालन गतिविधियों में शामिल)
- ग. स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कच्चे माल का उपयोग

इस ग्राम पंचायत और आस-पास के गांवों से दीर्घकालिक जुड़ाव:

- क. अतिरिक्त 50 महिलाएँ
- ख. अतिरिक्त एसएचजी, एमएसएमई और व्यक्तिगत उद्यमी

लक्ष्य



जैविक कचरे को खाद बनाकर उसे बेचना

सुझाई गई जलवायु
स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

1. खाद के उत्पादन और बिक्री के लिए पंचायत, समुदाय के सदस्यों और किसान समूहों के बीच साझेदारी मॉडल
2. समुदाय के सदस्यों और किसान समूहों का क्षमता विकास
 - क. खाद और वर्मीकंपोस्टिंग तकनीक
 - ख. ग्राम पंचायत के भीतर और बाहर खाद का विपणन और बिक्री

लक्ष्य

तात्कालिक लक्ष्य:

घरेलू अपशिष्ट (जैविक) से उत्पादित कम्पोस्ट/वर्मीकम्पोस्ट; प्रतिदिन 90 किग्रा; प्रति माह 2,670 किग्रा; (वर्तमान अपशिष्ट उत्पादन के अनुसार)

दीर्घकालिक लक्ष्य:

जैविक अपशिष्ट उत्पादन के अनुसार कम्पोस्ट/वर्मीकम्पोस्ट उत्पादन को बढ़ाना (जनसंख्या वृद्धि के आधार पर)



ई-माल वाहक और ई-ट्रैक्टर किराये पर लेने की सुविधा

सुझाई गई जलवायु
स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

1. ई-माल वाहक और ई-ट्रैक्टरों की वाणिज्यिक किराये पर (किराये के आधार पर) यूपी ईवी नीति 2022 और फेम-इंडिया योजना चरण- II के तहत प्रोत्साहन के माध्यम से हरित उद्यमिता के अवसर प्रस्तुत करती है।
2. ई-ट्रैक्टर और ई-माल वाहक के उपयोग के प्रति उपयोगकर्ता समूहों (किसानों/लॉजिस्टिक मालिकों) को संवेदनशील बनाना

लक्ष्य

तात्कालिक लक्ष्य:

1. 2 या 3 ई-ट्रैक्टर (अनुमानित लागत: प्रति ई-ट्रैक्टर 6 लाख रुपये)
2. 2 या 3 ईवी मिनी माल परिवहन ट्रक (मिनी माल ईवी परिवहन ट्रक की अनुमानित लागत: लगभग 9.2 लाख रुपये)

मध्यावधि लक्ष्य:

2/3 ई-ट्रैक्टर, 2/3 ईवी मिनी माल परिवहन ट्रकों की अतिरिक्त खरीद



सौर ऊर्जा चालित कोल्ड स्टोरेज के उपयोग से आजीविका में सुधार

सुझाई गई जलवायु
स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

1. फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए छोटे और मध्यम किसानों (ग्राम पंचायत और आस-पास के गांवों में) को सौर ऊर्जा से चलने वाले कोल्ड स्टोरेज स्थान किराए पर देने के माध्यम से उद्यमिता के अवसर
2. फलों, सब्जियों, दूध और दूध उत्पादों के भंडारण के लिए उद्यमियों, किसान समूहों, सहकारी समितियों (जैसे पारस) और अन्य संस्थागत खरीदारों के बीच व्यापार मॉडल/गठबंधन

लक्ष्य

5 से 10 मेट्रिक टन क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज की संस्थापना
(सब्जियों और फलों/और/या दूध उत्पादों के उत्पादन के आधार पर टन)
लागत: ₹8 से ₹15 लाख



प्राकृतिक औषधियों और पूरकों के उत्पादन और बिक्री के लिए आरोग्य वन

सुझाई गई जलवायु
स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

1. प्राकृतिक औषधियों और पूरकों के उत्पादन के लिए के विकास और रखरखाव के माध्यम से समुदायों के लिए आजीविका सृजन
2. कौशल विकास और प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय औषधीय और सगंध पौधा संस्थान, लखनऊ के साथ साझेदारी करना

लक्ष्य

लगभग 0.1 हेक्टेयर भूमि पर आरोग्य वन स्थापित किया जाएगा



विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा प्रतिष्ठानों (सौर और बायोगैस) का प्रचालन एवं रख-रखाव

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

- » समुदाय के सदस्यों, विशेष रूप से स्नातकों, युवा समूहों और किसान समूहों को नवीकरणीय ऊर्जा रखरखाव में कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण।
- » ग्राम पंचायत के भीतर सौर और बायो-गैस संस्थापना और ओ एंड एम व्यवसायों की संस्थापना में केंद्र और राज्य सरकार की सीएसआर, अपस्किलिंग योजनाओं से समर्थन करना

वित्त पोषण एवं कौशल विकास

- हरित उद्यमिता और आजीविका का समर्थन करने के लिए बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों को संवेदनशील बनाना (विभिन्न क्रेडिट योजनाओं, साझेदारी/राजस्व मॉडल के माध्यम से)।
- सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों जैसे मेक इन इंडिया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) द्वारा संचालित उद्यमी विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन और अटल इनोवेशन मिशन, मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से आवश्यक कौशल विकास प्रदान किया जाता है।

इस अनुभाग में ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त विचार के लिए संभावित संस्तुतियों की एक सूची दी गई है। इन संस्तुतियों को भारत के विभिन्न हिस्सों और भौगोलिक क्षेत्रों में सफलतापूर्वक लागू किया गया है जिनमें उत्तर प्रदेश के साथ बहुत समानताएं हो सकती हैं।

इन्हें मुख्य अनुशासकों में शामिल न करने का कारण यह है कि यह संस्तुतियाँ/परियोजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार की किसी भी वर्तमान योजना या कार्यक्रम या केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के दायरे में नहीं आती हैं। इसलिए इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन वैकल्पिक वित्तपोषण विकल्पों, जैसे स्व-वित्तपोषण, CSR या ऐसे अन्य स्रोतों के माध्यम से करना होगा।

यदि यह परियोजनाएं लागू की जाती हैं, तो इनके माध्यम से समुदायों की अनुकूली क्षमताओं को और मजबूत करने की संभावना हो सकती है एवं इनके परिणामस्वरूप आजीविका में वृद्धि भी हो सकती है।

1. सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज इकाई (एफपीओ, एसएचजी व किसान):

- फसल कटाई के बाद की दक्षता बढ़ाने और नुकसान को कम करने के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाली कोल्ड स्टोरेज इकाई हैं।
- यह किसानों को संकटपूर्ण बिक्री से बचने में मदद करता है और किसानों की आय में सुधार करता है।

यह गतिविधि "आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना" अनुभाग में चर्चा की गई पहलों को मजबूत करने में सहायता करेगी

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण : 58,59,60

- हैदराबाद, तेलंगाना में कट्टनगुर फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी लिमिटेड।
- घुम्मर किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) राजस्थान के पाली जिले की बाली तहसील के नाना गांव में स्थित है।

2. सौर निष्क्रिय डिजाइन और निष्क्रिय शीतलन:

नए निर्माण और रेट्रोफिटिंग के लिए (जहां भी संभव हो): ऊर्जा की मांग को कम करने और ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए आवासीय घरों और प्रशासनिक भवनों में टिकाऊ डिजाइन के साथ स्थानीय और पारंपरिक सामग्री को बढ़ावा देना चाहिए:

- घरों में सौर ज्यामिति के अनुसार भवन का अभिविन्यास करना चाहिए।
- घरों में प्राकृतिक वायु का कुशल संचलन होना चाहिए।
- घरों में सौर चिमनी के साथ पवन टॉवर का उपयोग करना चाहिए।
- घरों में प्राकृतिक प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए (पारंपरिक प्रकाश यानी बिजली से चलने वाले बल्ब, ट्युबलाइट आदि को कम करना)।
- घरों में ऊर्जा संरक्षण गतिविधियाँ करनी चाहिए।
- घरों में जल निकाय और डिज़ाइन किए गए परिदृश्य (वृक्षारोपण/बागवानी) करना चाहिए।

यह गतिविधि "स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच" अनुभाग में चर्चित पहलों को मजबूत करेगी।

58 https://selcofoundation.org/wp-content/uploads/2023/08/Compendium_Updated_20230922.pdf

59 <https://www.opportunityindia.com/article/empowering-women-fpo-through-solar-power-ghummar-fpo-34521>

60 <https://www.ecozensolutions.com/ecofrost/fpos-leverage-agri-infra-funds-for-ecofrost.html>

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

राजकुमारी रत्नावती बालिका विद्यालय⁶¹ का थार रेगिस्तान, राजस्थान में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली 400 से अधिक लड़कियों के लिए निर्माण किया गया है जिसमें प्रमुख रूप से निम्लिखित उपायों का प्रयोग किया गया है:

- थर्मल आराम को अधिकतम करने के लिए बिल्डिंग ओरिएंटेशन पर ध्यान दिया गया है।
- प्रकाश और पंखे चलाने के लिए स्कूल के छतों पर सौर पैनल लगाये गए हैं।
- सोलर पैनल कैनोपी और स्क्रीन स्कूल के कमरों में ज्यादा गर्मी होने से बचाते हैं।
- छत का अण्डाकार आकार शीतलता (वायुप्रवाह) उत्पन्न करता है।
- इमारत की दीवारें हवा के प्रवाह को बढ़ाने में मदद करती हैं और धूप व रेत को स्कूल के कमरों में आने से रोकती हैं।
- निर्माण के लिए स्थानीय सामग्री का उपयोग किया गया है।

सोलर पैसिव कॉम्प्लेक्स, पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी (PEDA), चंडीगढ़⁶²:

- भवन में एकीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र से 25 किलोवाट की बिजली का उत्पादन किया जाता है।
- सौर ज्यामिति के अनुसार अभिविन्यास किए गए हैं।
- भवन की छत (डिज़ाइन+सामग्री) गर्मी से रहत देने के उद्देश्य से बनाई गई।
- सौर ऊर्जा से कमरों में एयर कंडीशनर और प्रकाश की जरूरत को पूरा किया जाता है (उदाहरण के लिए, लाइट वॉल्ट, सौर चिमनी के साथ पवन टॉवर)।
- शीतलन और वायु शोधन के लिए छोटे तालाब और वृक्षारोपण (पेड़, झाड़ियाँ और घास)।

3. सौर ऊर्जा संचालित RO जल शोधन प्रणाली/ जल एटीएम कियोस्क का निर्माण:

सौर-आधारित आरओ (RO) जल शोधन प्रणाली स्वच्छ पेयजल की समस्या के लिए एक सतत और लागत प्रभावी समाधान प्रदान करती है। यह पानी के पुनः उपयोग को बढ़ावा देते हुए समुदाय को सुरक्षित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करता है। पेयजल की गुणवत्ता की समस्या से जूझ रही ग्राम पंचायत के लिए यह पहल लाभदायक हो सकती है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

हिवरा लाहे गांव, जिला-वाशिम, राज्य-महाराष्ट्र⁶³:

- सीएसआर समर्थन से सौर ऊर्जा संचालित जल शोधन प्रणाली/ जल एटीएम कियोस्क (समुदाय आधारित) को स्थापित किया गया।
- समुदाय की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार देखा गया।
- प्रणाली के संचालन और प्रबंधन के लिए ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति को सक्षम बनाया गया।
- इसी तरह की पहल गुजरात, तेलंगाना, राजस्थान आदि राज्यों में भी की गई है।

61 <https://www.avontuura.com/rajkumari-ratnavati-girls-school-diana-kellogg-architects>

62 <https://peda.gov.in/solar-passive-complex>

63 <https://yraindia.org/wp-content/uploads/2019/12/RO-plant-Success-story-in-Village-Hiwara-HDB-project.pdf>

4. सौर ऊर्जा संचालित पशु शेड का निर्माण:

पशु शेड मवेशियों को तीव्र गर्मी और शीतलहर से बचाने के लिए सौर ऊर्जा संचालित अनुकूली उपाय हैं। इस पहल में पशु शेड की छतों पर सौर ऊर्जा पैनल लगाकर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का शमन करने में सहायक हैं। यह सौर ऊर्जा संचालित पशु शेड बिजली की मांग को भी पूर्ति कर सकते हैं। यह ऊर्जा की मांग में कमी और निष्क्रिय शीतलन और वेंटिलेशन प्रदान करने में सहायक हैं, इसके अलावा पशु शेड अन्य ऊर्जा की जरूरत को पूरा करता है जैसे की चारे की तैयारी और शेड में संचालन करने में ऊर्जा की जरूरत। अतिरिक्त उत्पादित बिजली को ग्रिड में डाला जा सकता है जिससे किसानों को अतिरिक्त आय उत्पन्न करने का स्रोत मिल सकता है।

इस तरह के पशु शेड बायोगैस उत्पादन और पशु अपशिष्ट (गोबर) से उर्वरक तैयार करने में भी मदद करेंगे। ये पशु शेड उचित पृथक और पशुओं को सुरक्षित स्थान प्रदान करके पशुओं में फैलने वाले रोगों के संचरण को कम करने में भी मदद कर सकते हैं।

यह गतिविधि संस्तुतियों के "सतत कृषि" खंड में सतत पशुधन प्रबंधन सुझावों को मजबूत कर सकती है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

जिले: लुधियाना, भटिंडा और तरनतारन, पंजाब^{64,65}

- यह परियोजना 3 जिलों में 1-2 हेक्टेयर भूमि और 5-15 डेयरी पशुओं वाले छोटे और सीमांत किसानों के 3000 परिवारों के लिए कार्यान्वित की गई
- पशु शेड जलवायु को सुरक्षित करने और छोटे और सीमांत पशुधन किसानों की स्थायी आजीविका को बढ़ावा देते हैं।

निर्मल गुजरात अभियान⁶⁶

- गुजरात के हिममतनगर में पशु आश्रय स्थल गांवों को साफ रखने में मदद करते हैं।
- ऐसे पशु आश्रय स्थल में बायोगैस और वर्मिकम्पोस्ट उत्पन्न करने के लिए गोबर एकत्र करने में भी प्रभावी हैं। इसके अतिरिक्त ग्राम कल्याण के लिए धन जुटाने के लिए वर्मिकम्पोस्ट बेचा जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, एक "अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी)⁶⁷" के तहत पशु शेड सब्सिडी योजना है, जिसे गुजरात सरकार के पशुपालन, कृषि, किसान कल्याण और सहयोग विभाग निर्देशित द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इस योजना के तहत, अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को 2 जानवरों के लिए मवेशी शेड के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता (या तो ₹30,000/- या मवेशी शेड की लागत का 50%, जो भी कम हो) दी जाती है।

5. कूल रूफ/ठंडी छतें

घरों, सार्वजनिक इमारतों और सरकारी भवनों की छतों को सौर-परावर्तक पेंट से रंगना।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

जोधपुर, भोपाल, सूरत और अहमदाबाद में झुग्गी-झोपड़ी वाले घर⁶⁸

- स्थानीय सामुदायिक कार्यकर्ताओं ने परिवारों को अपनी खुद की ठंडी छत को पेंट करने के लिए प्रशिक्षित किया।
- प्रदर्शन आउटरीच: 460 से अधिक छतों में पेंट किया गया।
- पारंपरिक छतों की तुलना में घर के अंदर का तापमान 2 - 5°C कम पाया गया।

यह गतिविधि "स्वच्छ, सतत, किफायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच" अनुभाग से जुड़ी है।

64 <https://pscst.punjab.gov.in/en/climate-resilient-livestock-production-system>

65 <https://moef.gov.in/wp-content/uploads/2017/08/Punjab.pdf>

66 <https://jayshaktiengg.com/gujarat-government-launches-solar-scheme-for-farmers/>

67 <https://www.myscheme.gov.in/schemes/cssscspssc>

68 <https://www.nrdc.org/bio/anjali-jaiswal/cool-roofs-community-led-initiatives-four-indian-cities>

6. चारे की संपूरक के उपयोग से मवेशियों से मीथेन उत्सर्जन को कम करना :

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) -राष्ट्रीय पशु पोषण और फिजियोलॉजी संस्थान ने पशुधन से मीथेन उत्सर्जन को कम करने में मदद के लिए फ्रीड सप्लीमेंट (हरित धारा और टैमरिन प्लस) विकसित किए हैं।

यह गतिविधि "सतत कृषि" अनुभाग से जुड़ी है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

- इन संपूरकों के उपयोग से आंशिक मीथेन उत्सर्जन में 17-20% तक कम हो सकता है⁶⁹।
- आईसीएआर की रिपोर्ट के अनुसार इन पूरक आहार की कीमत ₹6 प्रति किलोग्राम है।

7. सौर ऊर्जा संचालित ऊर्ध्वधर चारा उगाने वाली इकाइयों (घरेलू स्तर/ सामुदायिक स्तर) का निर्माण:

सौर ऊर्जा से संचालित, माइक्रोक्लाइमेट-नियंत्रित, ऊर्ध्वधर चारा उगाने वाली इकाई उपयोगकर्ताओं को प्रतिदिन एक बाल्टी से भी कम पानी के साथ ताजा चारा काटने में सक्षम बनाती है। ऐसी इकाइयाँ सूखे की स्थिति में भी पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगी।

यह गतिविधि "सतत कृषि" अनुभाग से जुड़ा है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और बिहार राज्यों में ⁷⁰

- चारा उत्पादक इकाइयों को अपनाने से पशुधन के लिए हरे चारे की उपलब्धता में वृद्धि।
- इससे किसानों की आय में वृद्धि होती है।

8. पंचायत स्तरीय जल बजटिंग

जलवायु-अनुकूल कृषि-आधारित आजीविका के लिए जल प्रबंधन और 'जल बजटिंग'

- वार्षिक/त्रैमासिक जल बजट की गणना।
- ग्राम स्तर पर "जल की कमी" और "जल अधिशेष" की गणना।
- पानी की उपलब्धता के आधार पर वार्षिक फसल उत्पादन योजना।
- जल बर्बादी को रोकने के लिए जल ऑडिट।

यह गतिविधि कार्ययोजना के सतत कृषि और जल संसाधन प्रबंधन अनुभागों से जुड़ी है। यह पहल फसल चयन/योजना, खेत तालाब, बेहतर सिंचाई विधियों, जल पुनर्भरण आदि जैसे कई हस्तक्षेपों को सुदृढ़ बनाएगी।

69 भारतीय कृषि परिषद की रिपोर्ट के अनुसार <https://testicar.icar.gov.in/content/icar-nianp-commercializes-anti-methanogenic-feed-supplement-%E2%80%9Charit-dhara%E2%80%9D>

70 <https://india.mongabay.com/2024/04/amid-fodder-crisis-hydroponics-offers-new-hope-for-indian-farmers/>

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

7 ग्राम पंचायतें (जीपी) और पड़ोसी बस्तियां, रंगारेड्डी और नागौरकुर्नूल जिले, तेलंगाना ⁷¹

- यह गतिविधि पानी की खपत की वर्तमान स्थिति व खपत को अनुकूलित करने के उपाय दोनों को पहचानने में मदद करेगी।
- इस गतिविधि के द्वारा प्रत्येक कृषि मौसम यानी खरीफ़ (मानसून), रबी (सर्दी), और ज़ैद (गर्मी) के लिए योजना बनाने में भी सहायता मिल सकती है।

9. जलवायु प्रभाव क्षेत्रों में ग्रामीण महिला उद्यमियों को सक्षम बनाना

गांवों में महिलाओं के नेतृत्व वाली जमीनी स्तर की उद्यमिता सहायता पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण:

- महिलाएं स्वच्छ/हरित प्रौद्योगिकी-आधारित उत्पाद की बिक्री करें।
- महिलाएं समुदायों को स्वच्छ-प्रौद्योगिकियों के महत्व पर शिक्षित करें।
- उदाहरण के लिए, स्वच्छ खाना पकाने (सौर कुकस्टोव), पोर्टेबल सौर जल शोधक, एनर्जी एम्प्लिफाइंग लाइट, आदि।
- महिलाओं को व्यवसाय विस्तार ऋण उपलब्ध कराया जाए।
- ग्रामीण विपणन और वितरण संबंधों को सुविधाजनक बनाया जाए।

ग्रामीण महिलाओं को उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र में सक्षम बनाने के लिए व्यावसायिक कौशल विकास, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण।

इस पहल का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों और जलवायु प्रभाव क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका और भागीदारी को मजबूत करना है। यह कार्ययोजना के आजीविका और हरित उद्यमिता को बढ़ाने वाले अनुभाग से जुड़ता है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

4 राज्यों (महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात और तमिलनाडु) में 14 जिले⁷²

स्वयं शिशन प्रयोग (एसएसपी) महिलाओं को उनके ग्रामीण समुदायों में स्वच्छ ऊर्जा उद्यमियों और जलवायु परिवर्तन नेताओं के रूप में सक्षम बनाता है:

- 60,000 से अधिक ग्रामीण महिला उद्यमियों को स्वच्छ ऊर्जा, सतत कृषि, स्वास्थ्य और पोषण, और सुरक्षित पानी और स्वच्छता में सक्षम बनाया गया।
- 1,000 से अधिक महिला उद्यमियों ने स्वच्छ-ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षण लिया और व्यवसाय शुरू किया।

10. सामुदायिक बीज बैंक

- सामुदायिक बीज बैंक क्षेत्र में फसल विविधीकरण और स्थिरता को बढ़ावा देंगे जबकि स्थानीय बीज प्रणालियों को मुख्यधारा में लाएंगे, तथा जलवायु परिवर्तन के प्रति सुदृढ़ बनाएंगे।
- ऐसे बीज बैंक किसानों को सूखा-सहिष्णु और जलवायु परिवर्तन अनुरोधक फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
- किसानों के लिए सुरक्षा जाल सुनिश्चित करें, विशेष रूप से प्रतिकूल मौसम की स्थिति और भोजन की कमी के दौरान।

71 <https://wotr.org/2018/03/31/water-budgeting-in-telangana-the-need-and-the-objective-of-the-campaign/>

72 <https://unfccc.int/climate-action/momentum-for-change/women-for-results/rural-community-leaders-combatting-climate-change>

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

सामुदायिक बीज बैंक, डंगधोरा, जोरहाट, असम (UNEP-GEF परियोजना)⁷³

- बीज बैंक से जुड़े किसानों को स्थानीय बाजार में उपलब्ध बीजों की तुलना में बेहतर गुणवत्ता वाले बीजों की कटाई, उपचार, भंडारण और गुणा करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।
- बीज बैंक की पहल सहभागी फसल सुधार और ज्ञान-साझाकरण रणनीतियों को बढ़ावा देती है।
- किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीजों तक सस्ते और आसान पहुंच प्रदान की जाती है व किसानों को बाजार से भी जोड़ती है।
- यह बीज प्रणालियाँ व इनकी मूल्य श्रृंखलाएँ स्थिरता और खाद्य सुरक्षा दोनों की रक्षा करती हैं।

11. जैव-संसाधन केंद्र (बीआरसी) की स्थापना

जैव-इनपुट संसाधन केंद्र (बीआरसी) प्राकृतिक खेती को अपनाने की सुविधा के लिए जैव-इनपुट तैयार करते हैं और आपूर्ति करते हैं। बीआरसी से किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए जैव-इनपुट स्वयं तैयार करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि जैव-इनपुट तैयार करना एक समय लेने वाली और श्रम-गहन गतिविधि है।

- मिट्टी के स्वास्थ्य, फसल उपज की वृद्धि, कीट या रोग प्रबंधन में सुधार के लिए उपयोगी जैविक संस्थाओं या जैविक रूप से व्युत्पन्न इनपुट का उपयोग करने वाले स्थानीय रूप से तैयार उत्पाद किसानों द्वारा खरीद के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं।
- बीआरसी क्षेत्र के किसानों की सभी जैव इनपुट आवश्यकताओं के लिए सिंगल-स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करता है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

आंध्र प्रदेश राज्य में⁷⁴

- सतत जलवायु-अनुकूल कृषि में योगदान देता है।
- किसानों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल ढलने में मदद मिलती है क्योंकि उच्च कार्बनिक पदार्थ की मात्रा मिट्टी को बाढ़, सूखे और भूमि क्षरण प्रक्रियाओं के प्रति अधिक लचीला बनाती है।
- कृषि-पारिस्थितिकी तंत्र और पैदावार में स्थिरता होने के परिणामस्वरूप जोखिम कम हो जाता है, और उत्पादन लागत भी कम हो जाती है।

73 <https://alliancebioiversityciat.org/stories/community-seed-banks-empower-farmers-address-climate-risk-india>

74 <https://www.apmas.org/pdf/csv/casestudy-1.pdf>


जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया ⁷⁵	
क. वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) संरचनाओं को बढ़ावा देना 	<ul style="list-style-type: none"> प्रकृति-आधारित समाधान (एनबीएस) पानी की कमी और पानी के तनाव से निपटने की क्षमता को बढ़ाता है बेहतर भूजल पुनर्भरण पानी की गुणवत्ता में वृद्धि सूखा, लू जैसी आपदाओं के प्रति लचीलापन बढ़ाना कृषि एवं पशुधन उत्पादकता में सुधार स्थानीय जैवविविधता को बढ़ावा 	एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 6.1 लक्ष्य 6.3 लक्ष्य 6.4 लक्ष्य 6.5 	
ख. जल निकायों का कायाकल्प एवं संरक्षण 		एसडीजी 11: स्थायी शहर और समुदाय <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 11.4 	 
ग. जल निकासी और सीवेज अवसंरचना को बढ़ाना 		एसडीजी 12: सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करें <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 12.2 	 
घ. अपशिष्ट जल प्रबंधन 		एसडीजी 13: जलवायु कार्यवाही <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 13.1 लक्ष्य 13.2 	






75 प्रासंगिक एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों की विस्तृत सूची अनुलग्नक IV में दी गई है

सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया
<p>क. अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली स्थापित करना</p> 	<ul style="list-style-type: none"> जलभराव में कमी जल और भूमि प्रदूषण में कमी/ बेहतर स्वच्छता 100% कुशल अपशिष्ट प्रबंधन और सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों और महामारी की घटनाओं में कमी के कारण अच्छा स्वास्थ्य और अपेक्षाकृत रोग मुक्त वातावरण 	<p>एसडीजी 3: अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 3.3 लक्ष्य 3.9
<p>ख. बेहतर स्वच्छता प्रबंधन</p> 	<ul style="list-style-type: none"> आजीविका और आय सृजन राजस्व और लाभ सृजन 	<p>एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 6.3 लक्ष्य 6.8
<p>ग. जैविक अपशिष्ट का सतत प्रबंधन</p> 	<ul style="list-style-type: none"> सतत कृषि के लिए उन्नत आदान अपशिष्ट आधारित कृषि सर्कुलर अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देना 	<p>एसडीजी 8: सभ्य कार्य और आर्थिक विकास</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 8.3
<p>घ. एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध</p> 		<p>एसडीजी 9: उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 9.1
		<p>एसडीजी 12: सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करें</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 12.4 लक्ष्य 12.5 लक्ष्य 12.8
		<p>एसडीजी 13: जलवायु कार्यवाही</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 13.1 लक्ष्य 13.2 लक्ष्य 13.3
		<p>एसडीजी 15: भूमि पर जीवन</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 15.1









सतत कृषि







सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया
<p>क. जलवायु परिवर्तन अनुकूल खेती</p> 	<ul style="list-style-type: none"> कृषि उत्पादकता एवं लाभ में वृद्धि⁷⁶ मृदा स्वास्थ्य में सुधार रासायनिक आदानों के कम उपयोग के कारण पानी की गुणवत्ता में सुधार 	<p>एसडीजी 2: शून्य भूख</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 2.3 लक्ष्य 2.4 लक्ष्य 2.ए; अनुच्छेद 10.3.ई
<p>ख. प्राकृतिक खेती को अपनाना</p> 	<ul style="list-style-type: none"> कृषि जल सुरक्षा में सुधार शीत लहर और गर्मी की लहर के दौरान पशुधन की हानि कम हुई और उत्पादकता में वृद्धि हुई वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ और उत्सर्जन में कमी आई 	<p>एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 6.4 लक्ष्य 13.1 <p>एसडीजी 13: जलवायु कार्यवाही</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 13.2 लक्ष्य 13.3
<p>ग. सतत पशुधन प्रबंधन</p> 		  

76 पारिस्थितिकी-आपदा जोखिम में कमी

हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया
<p>क. हरित आवरण में सुधार</p> 	<ul style="list-style-type: none"> जलवायु घटनाओं/आपदाओं से प्राकृतिक बफ़र सूक्ष्म-जलवायु को विनियमित करने से हीटवेव और तीव्र गर्मी के तनाव से अनुकूलन में सहायता मिलेगी औषधीय पौधों तक पहुँच से स्वास्थ्य लाभ होगा 	<p>एसडीजी 11: स्थायी शहर और समुदाय</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 11.7 लक्ष्य 11.4 <p>एसडीजी 12: सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करें</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 12.2
<p>ख. जन जैवविविधता रजिस्टर</p> 	<ul style="list-style-type: none"> बेहतर मृदा स्थिरता, जल संरक्षण और संबंधित कृषि लाभों के लिए प्राकृति-आधारित समाधान (एनबीएस) पशुधन उत्पादकता में सुधार कृषि वानिकी, प्राकृतिक औषधियों के उत्पादन आदि से राजस्व सृजन जैव विविधता के लिए बेहतर पर्यावरण और आवास; पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार 	<p>एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्यवाही</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 13.1 लक्ष्य 13.2 लक्ष्य 13.3 <p>एसडीजी 15: भूमि पर जीवन</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 15.1 लक्ष्य 15.2 लक्ष्य 15.3 लक्ष्य 15.5 लक्ष्य 15.9 <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: flex-end;">     </div>

स्वच्छ,सतत,किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुँच

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया
क. सौर छत संस्थापना 	<ul style="list-style-type: none"> ऊर्जा सुरक्षा उष्ण आराम आजीविका के उन्नत विकल्प अतिरिक्त राजस्व सृजन 	एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता लक्ष्य 6.4 एसडीजी 7: सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 7.1 लक्ष्य 7.2 लक्ष्य 7.3 लक्ष्य 7.ए लक्ष्य 7.बी
ख. कृषि-फोटोवोल्टिक 	<ul style="list-style-type: none"> उच्च तापमान/धूप के संपर्क से राहत प्रदान करता है जिसके परिणामस्वरूप उपज स्थिरता और उत्पादकता में वृद्धि होती है विषैले उत्सर्जन/स्थानीय वायु प्रदूषण में कमी 	एसडीजी 9: उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 9.1
ग. सौर पंप 	<ul style="list-style-type: none"> चुकौती/पे-बैक अवधि के बाद आर्थिक लाभ घरों के अंदर वायु प्रदूषण में कमी सभी के स्वास्थ्य, मुख्य रूप से महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार 	एसडीजी 13: जलवायु कार्यवाही <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 13.2 लक्ष्य 13.3
घ. रसोई में स्वच्छ ईंधन का प्रयोग 	<ul style="list-style-type: none"> ईंधन की लकड़ी एकत्र करने के कठिन परिश्रम/शारीरिक श्रम को समाप्त करता है आपदाओं के दौरान ग्रीड विफलताओं से निपटने की क्षमता में वृद्धि 	
ङ. ऊर्जा कुशल फिक्स्चर 		
च. सोलर स्ट्रीट लाइट 		



सतत और उन्नत गतिशीलता

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया
<p>क. मौजूदा सड़क अवसंरचना को बढ़ाना</p> 	<ul style="list-style-type: none"> स्थानीय वायु प्रदूषण में गिरावट से मानव और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार जोखिम वाले और कमज़ोर व्यक्तियों के लिए बेहतर पहुँच अतिरिक्त राजस्व सृजन वस्तुओं और सेवाओं की अंतिम-मील कनेक्टिविटी में वृद्धि जलभराव कम करने जैसे सह-लाभों के साथ सड़क बुनियादी ढांचे को मज़बूत करने के माध्यम से लचीलेपान में सुधार 	<p>एसडीजी 7: सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 7.2 <p>एसडीजी 11: टिकाऊ शहर और समुदाय</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 11.2 <p>एसडीजी 9: उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 9.1 <p>एसडीजी 13: जलवायु कार्यवाही</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 13.2 लक्ष्य 13.3
<p>ख. मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन को बढ़ाना</p> 		   
<p>ग. ई-वाहन और ई-ट्रैक्टर</p> 		

आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया
<p>क. सतत उत्पादों के विनिर्माण में पूर्व से मौजूद स्वयं सहायता समूहों को सम्मिलित करना</p> 	<ul style="list-style-type: none"> स्थानीय स्रोतों से प्राप्त कच्चे माल के माध्यम से आजीविका के उन्नत विकल्प जल और भूमि प्रदूषण में कमी सतत कृषि के लिए उन्नत आदान 100% कुशल अपशिष्ट प्रबंधन और सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों और महामारी की घटनाओं में कमी के कारण अच्छा स्वास्थ्य और अपेक्षाकृत रोग मुक्त वातावरण औषधीय पौधों तक पहुँच से स्वास्थ्य लाभ होगा कृषि वानिकी, प्राकृतिक औषधियों के उत्पादन आदि से राजस्व सृजन जैव विविधता के लिए बेहतर पर्यावरण और आवास; पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार स्थानीय वायु प्रदूषण में गिरावट से मानव और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार वस्तुओं और सेवाओं की अंतिम-मील कनेक्टिविटी में वृद्धि 	<p>एसडीजी 5: लैंगिक समानता हासिल करना और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 5.5 <p>एसडीजी 8: सभ्य कार्य और आर्थिक विकास</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 8.3 <p>एसडीजी 12: सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करें</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 12.2 लक्ष्य 12.4 लक्ष्य 12.5 लक्ष्य 12.8 <p>एसडीजी 13: जलवायु कार्यवाही</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 13.1 लक्ष्य 13.2 लक्ष्य 13.3
<p>ख. जैविक कचरे को खाद बनाकर उर्वरक के रूप में बेचना</p> 		
<p>ग. ई-माल वाहक और ई-ट्रैक्टर किराए पर लेने की सुविधा</p> 		
<p>ङ. सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज के उपयोग के माध्यम से आजीविका में सुधार</p> 		
<p>च. प्राकृतिक औषधियों और पूरकों के उत्पादन और बिक्री के लिए आरोग्य वन</p> 		
<p>छ. नवीकरणीय ऊर्जा प्रतिष्ठानों (सौर और बायोगैस) का संचालन एवं रखरखाव</p> 		



कार्यान्वयन पर प्रस्तावित गतिविधियों से अल्लापुर रानीमऊ के ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन को कम करने में ही नहीं बल्कि ऊर्जा, खाद्य और जल सुरक्षा प्राप्त करने में भी सहायता होगी, जिससे ग्राम पंचायत क्लाइमेट स्मार्ट, लचीला और सतत बनेगा। इससे गांव के निवासियों की आकांक्षाएं पूरी करने के लिए ग्राम पंचायत के समग्र और निरंतर विकास को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, ये संस्तुतियां प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व को बढ़ावा देते हुए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करेंगी। अल्लापुर रानीमऊ के लिए यह क्लाइमेट स्मार्ट कार्ययोजना ऊर्जा, कृषि निवेश, पानी, आदि पर व्यय में कमी लाकर अल्लापुर रानीमऊ को 'आत्मनिर्भर' बनाएगी जिससे आर्थिक विकास के नए मार्ग खुलेंगे।

इसके अतिरिक्त, प्रस्तावित हस्तक्षेपों के कार्यान्वयन से जलवायु परिवर्तन पर उत्तर प्रदेश राज्य कार्ययोजना II, 2022 में परिकल्पित के अनुसार, अल्लापुर रानीमऊ जलवायु कार्यवाही पर राज्य के दृष्टिकोण और लक्ष्यों में भी योगदान देगा, जो बदले में, जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए देश के प्रयासों को सशक्त करेगा, जिससे एनडीसी, 2015 और इसके अद्यतन संस्करण, 2022 में सूचीबद्ध योगदान और 2030 तक सतत विकास लक्ष्य भी प्राप्त होंगे।

जलवायु संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए स्थानीय स्तर पर विशेष रूप से तैयार किए गए समाधानों की आवश्यकता है, जो पर्याप्त जलवायु वित्त और कार्यान्वयन के अन्य माध्यमों की उपलब्धता से ही सफल हो सकते हैं। इसे राज्य और केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत समर्थित ग्राम पंचायत विकास योजना में परिकल्पित जारी गतिविधियों में न्यूनीकरण और अनुकूलन दोनों जलवायु कार्यवाही को मिलाकर और अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाकर प्राप्त किया जा सकता है। इससे सभी प्रासंगिक हितधारकों: समुदाय, सरकारी प्रशासन, निर्वाचित प्रतिनिधियों और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग में वृद्धि होगी। कार्ययोजना के कार्यान्वयन के बाद, नई अवसंरचना/प्रौद्योगिकी के कुशल प्रबंधन के रूप में निरंतर कार्यवाही अल्लापुर रानीमऊ को एक मॉडल क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनना सुनिश्चित करेगी। वर्तमान योजना की सफलता से संभवतः दूसरे ग्राम पंचायत भी कुशल, लचीले और सतत बनाने की प्रक्रिया का पालन करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। वर्तमान योजना की सफलता से संभवतः दूसरे ग्राम पंचायत भी कुशल, लचीले और सतत बनाने की प्रक्रिया का पालन करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। इस दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए, यह महत्वपूर्ण होगा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित लाइफ़ मिशन के समान एक संवहनीय जीवन शैली को अपनाने के लिए सामुदायिक स्वामित्व की भावना और व्यवहार परिवर्तन को प्रेरित किया जाए।

अनुलग्नक I: पृष्ठभूमि और कार्यप्रणाली

पृष्ठभूमि

उत्तर प्रदेश राज्य जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के विरुद्ध उन्नत और नवीन गतिविधियां अपना रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के दूरदर्शी और प्रेरणादायक मार्गदर्शन के तहत राज्य ने शासन के विभिन्न स्तरों पर जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के विरुद्ध विस्तृत गतिविधियां प्रारंभ की हैं। इनमें से एक है 'क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत' के निर्माण के लिए कार्ययोजनाओं का निर्माण करना। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने इस अवधारणा की परिकल्पना जून, 2022 में की थी। उनकी इस परिकल्पना को वास्तविक रूप देने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य के 39 संवेदनशील जिलों में जलवायु अनुकूल ग्राम पंचायतों की पहचान करने के लिए एक त्वरित बहु-मानदंड मूल्यांकन संचालित किया गया⁷⁷। 5 जून, 2022 को आयोजित 'पंचायत सम्मेलन' (सीओपी) में इन चयनित ग्राम पंचायतों के नामों की घोषणा की गई और इनमें से कई पंचायतों को सम्मानित भी किया गया।

अल्लापुर रानीमऊ के लिए क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना⁷⁸ का विकास उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा वसुधा फाउंडेशन और गोरखपुर पर्यावरण एक्शन ग्रूप के सहयोग से किया गया है। इस कार्ययोजना का लक्ष्य ग्राम पंचायत स्तर पर जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध गतिविधियों को मुख्यधारा में सम्मिलित करने के लिए ग्राम पंचायत विशिष्ट ब्लूप्रिंट प्रदान करना है। यह न केवल स्थानीय जलवायु अभियानों को सुदृढ़ता प्रदान कर ग्राम पंचायत को जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध सहनशील बनाएगा बल्कि वर्ष 2030 तक शून्य कार्बन/कार्बन तटस्थ के लक्ष्य को पूरा करने के लिए उत्सर्जनों में कमी भी लाएगा।

इस कार्ययोजना के निर्माण में भागीदारी दृष्टिकोण अपनाया गया है जो कि ऊर्ध्वगामी (बॉटम अप) योजना निर्माण की अवधारणा के अनुरूप है। इस कार्ययोजना की प्रस्तावित संस्तुतियों को व्यक्तिगत परियोजनाओं के रूप में किया जा सकता है जिन्हें पूरा करने के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व में जुटी कंपनियों, राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं, उन्नत सार्वजनिक-निजी साझेदारियों, कार्बन वित्त और निजी निवेशों से धनराशि की व्यवस्था की जा सकती है।

इसे व्यवहार्य बनाने के लक्ष्य से यह कार्ययोजना पंचायत-निजी-साझेदारी (पीपीपी) के निर्माण के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है और साथ ही, इसके प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य और गैर-राज्य सक्रियकों के बीच सहयोग बढ़ाने की रूपरेखा भी प्रदान करती है। कार्यप्रणाली

इस रिपोर्ट में मुख्य क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना के सहित भरी हुए प्रश्नावली, ग्राम पंचायत के सामाजिक और संसाधन मानचित्र के रूप में फ्रील्ड से मिली जानकारी संलग्नक के रूप में सम्मिलित है।

क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना के विकास के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए:

- **सर्वेक्षण प्रश्नावली की तैयारी:** मूलभूत स्थिति को समझने और ग्राम पंचायत के आधारभूत परिदृश्य का विकास करने के लिए मुख्य हितधारकों और क्षेत्रीय विशेषज्ञों के विचारों के आधार पर एक प्रश्नावली तैयार की गई। प्रश्नावली में विभिन्न पहलुओं को सम्मिलित किया गया, जैसे कि जनसांख्यिकी, सामाजिक-आर्थिक संकेतक, जलवायु परिवर्तनशीलता, जलवायु धारणा (पिछले 5 वर्ष की), ऊर्जा, कृषि

77 उत्तर प्रदेश के 39 अत्यधिक संवेदनशील जिलों की पहचान उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्ययोजना 2.0 और डीओईएफसीसी (DoEFCC), गोयूपी (GoUP) द्वारा विकसित जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजना हेतु स्कोपिंग आकलन से की गई।

78 इस आलेख में मुख्य क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना सहित निम्न आलेख संलग्नक के रूप में सम्मिलित हैं: विस्तृत कार्यप्रणाली; उत्तर सहित प्रश्नावली; खतरा, जोखिम, भेद्यता और क्षमता आकलन (एचआरवीसीए) रिपोर्ट, और ग्राम पंचायत का सामाजिक और संसाधन मानचित्र।

और पशुधन, भूमि संसाधन, स्वच्छता और स्वास्थ्य। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य ग्राम पंचायत में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की पहुंच को समझना भी था।

- **हितधारकों के लिए परामर्श सत्र और क्षमता निर्माण:** स्थानीय गैर-सरकारी साझेदारों, ग्राम प्रधानों, पंचायत सचिवों के लिए परामर्श और क्षमता-निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। हितधारकों को क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना के उद्देश्यों और घटकों, इन कार्य योजनाओं के विकास और उनकी व्यक्तिगत भूमिकाओं के विषय में जानकारी प्रदान की गई।
- साथ ही, गैर सरकारी साझेदारों को मुख्य जलवायु परिवर्तन अवधारणाओं, अपनाने जाने वाली सर्वेक्षण प्रक्रियाओं और समूह केन्द्रित चर्चाओं के लिए विकसित प्रश्नावली के बारे में प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया।
- **क्षेत्र सर्वेक्षण:** समुदाय से अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए, ग्राम सभा और समूह केन्द्रित चर्चा के कुछ दौरों का आयोजन किया गया था जिसके माध्यम से प्राथमिक डेटा संग्रह किया गया।
 - » क्षेत्र सर्वेक्षण में ग्राम पंचायत का दौरा (ट्रांसेक्ट वाक) किया गया और उसके आधार पर सामाजिक और संसाधन मानचित्र तैयार किए गए।
 - » ग्राम पंचायत की विभिन्न समस्याओं को समझने के लिए खतरा, जोखिम, नाजुकता और क्षमता विश्लेषण (एचआरवीसीए) भी किया गया।
 - » अल्लापुर रानीमऊ ग्राम पंचायत की जलवायु संबंधित समस्याओं को और उसके विकास लक्ष्यों को समझने के लिए समूह केन्द्रित चर्चाओं का भी आयोजन किया गया।
- प्राप्त आदानों के आधार पर, ग्राम पंचायत के लिए कार्ययोजना विकसित की गई और बेसलाइन मूल्यांकन का संचालन किया गया। इसमें जलवायु-स्मार्ट गतिविधियों की पहचान करना सम्मिलित था जो न केवल पहचानी गई पर्यावरणीय और जलवायु संबंधी समस्याओं को संबोधित करती हैं बल्कि ग्राम पंचायत में प्रचलित कृषि-जलवायु विशेषताओं को भी ध्यान में रखती हैं। जानकारियों में कमी और उनमें अधूरेपन की पहचान की गई और ग्राम प्रधान, समुदाय और पंचायत सचिव के साथ चर्चाओं द्वारा जानकारियों को संपूर्ण किया गया।
- जानकारियों में कमी और उनमें अधूरेपन की पहचान की गई और ग्राम प्रधान, समुदाय और पंचायत सचिव के साथ चर्चाओं द्वारा जानकारियों को संपूर्ण किया गया।
- ड्राफ्ट योजना को समीक्षा के लिए ग्राम पंचायत को प्रस्तुत किया गया।
- ग्राम पंचायत से प्राप्त अपडेट को सम्मिलित करने के पश्चात, कार्ययोजना को अंतिम रूप प्रदान किया गया और समर्थन के लिए ग्राम पंचायत को प्रस्तुत किया गया।

अनुलग्नक II: प्रश्नावली



UP Climate Smart GP Survey Questionnaire

Gram Panchayat:

Block:

District:

I. Socio-economic

1	Status of women	
a	महिला मुखिया वाले परिवारों की संख्या (अर्थात महिलाएं मुख्य/एकमात्र कमाने वाली हैं)	
b	कार्यरत महिलाओं के व्यवसाय का विवरण	Total Number
	सेवा/नौकरी (उदाहरण: शिक्षण, बैंक, सरकारी नौकरी, आदि)	
	लघु/कुटीर उद्योग	
	कृषि	381
	कला/हस्तशिल्प	205 (kadhai)
	पशुपालन	25
	व्यवसाय (स्थानीय दुकानें)	05
	मजदूरी (गैर-कृषि)	108
	अन्य	

2	समुदाय आधारित संगठन	
a	ग्राम पंचायत में स्वयं सहायता समूहों की कुल संख्या	15
	सदस्यों की कुल संख्या	150
	महिलाओं की संख्या	150
	समूह द्वारा की जाने वाली गतिविधियों का विवरण	Poshahar distribution
	समूह का खाता बैंक से लिंक किया गया है या नहीं	Yes
3	पंचायत में निर्मित सरकारी संरचनाएँ	
		कुल छत क्षेत्र (मी ² या फीट ²)
a	प्राथमिक विद्यालय	1000 sq ft
	माध्यमिक स्कूलों	1675 sq ft
	हाई स्कूल/इंटरमिडिएट	





b	कॉलेज/व्यावसायिक/आईटीआई/कौशल संस्थान आदि	
e	Panchayat Bhawan	1400 sqft
f	RRC	
g	Any other PRI buildings	
	Fertilizer and seed centre	300 sq.m.
	Community toilet	240 sqft
	Anganwadi centre	240 sqft

4			
गतिशीलता और पहुंच			
		जीपी से दूरी	Condition of the connecting road Good (1) Bad (2) Poor (3) Very Poor (4)
	राजमार्ग का नाम (राज्य या राष्ट्रीय)	(NH 27) 13 km	Good
	रेलवे स्टेशन:	(SH -127) 0 KM	Good
	बस स्टॉप	2 km	Bad
	पोस्ट ऑफिस	10 km	Good
	किनारा	2 km	Good
	कृषि बाज़ार		
	Bank	2 km	Good
	Police Station	2 km	Good
	Mandi	8 km	Good
	Block office	30 km	Good
	Tehsil office	14 km	Good
		30 km	Good
Water Supply			





6	
d	पाइप से जलापूर्ति वाले घरों की संख्या? 00 (water tank is under construction) पीने के पानी के लिए 50 इंडिया मार्क हैंडपम्प, 300 प्राइवेट हैंडपम्प और 100 पम्प सेट का उपयोग लोगों द्वारा किया जा रहा है गर्मी के दिनों में पानी का स्तर नीचे चला जाता है
e	क्या प्रवाह दर कम, अधिक या संतोषजनक है?
f	पाइप से जलापूर्ति की समयावधि 24*7 (1) काफी नियमित (2) अनियमित (3)
g	ग्राम पंचायत में सिंचाई के लिए पानी का मुख्य स्रोत क्या है ? नहर (1) वर्षा जल (2) भूजल : ट्यूबवेल (3 ए); कुआँ (3 बी); तालाब/झीलें (4) अन्य (5) Canal, Pump set and tubewell
h	क्या उपरोक्त स्रोत मौसमी है या बारहमासी? Water available in canal for 6 months
i	सिंचाई के लिए पम्पों की संख्या: सिंचाई के लिए उपयोग किये जाने वाले डीजल पंपों की संख्या सिंचाई के लिए उपयोग किये जाने वाले विद्युत पंपों की संख्या उपयोग होने वाले पम्पसेट कितने हॉर्स पावर के है ? (एचपी में) 100 pumpsets All are diesel sets They are 5 to 6.5 hp pumps
j	अतिरिक्त जानकारी (उदाहरणार्थ, क्या घरों, कृषि एवं संबंधित गतिविधियों, उद्योगों के लिए जल आपूर्ति पर्याप्त है ; क्या पिछले कुछ वर्षों में भूजल, नदी या नहर से पानी की उपलब्धता बढ़ी है, घटी है या वही रही है? क्या शुष्क या गर्मी के मौसम में पानी की टंकियों का उपयोग बढ़ जाता है? पिछले कुछ वर्षों में भूमिगत जल की उपलब्धता घाटी है। गर्मी के दिनों में पानी का स्तर 20-25 फीट नीचे चला जाता है
k	





कृषि एवं पशुधन

8 a उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें और उनसे संबंधित जानकारी										
फसल उत्पादन				उर्वरक का उपयोग			कीटनाशक का उपयोग		खरपतवारनाशक का उपयोग	
फसल का नाम (कृषि भूमि पर उगाई जाने वाली फसलें, बागवानी, पुष्पकृषि आदि शामिल हैं)	मौसम	क्षेत्रफल (एकड़)	उपज (क्विटल/एकड़)	फसल का नाम (कृषि भूमि पर उगाई जाने वाली फसलें, बागवानी, पुष्पकृषि आदि शामिल हैं)	मौसम	क्षेत्रफल (एकड़)	उपज (क्विटल/एकड़)	फसल का नाम (कृषि भूमि पर उगाई जाने वाली फसलें, बागवानी, पुष्पकृषि आदि शामिल हैं)	मौसम	क्षेत्रफल (एकड़)
खरीफ धान	वर्षा ऋतु	300	20	डीएपी यूरिया	100 200	बढ़ी है	एमडा-70	30	नॉमिनी गोल्ड बूटा क्लोर	500 ग्राम 1 लीटर
रबी आलू	शरद ऋतु	280	100	डीएपी यूरिया	750 100	बढ़ी है	मिसाइल	100 ग्राम	सिंकार	100 ग्राम
गेहूँ	शरद ऋतु	20	20	डीएपी यूरिया	50 100	बढ़ी है			सल्फो - सलफुरान	14 ग्राम
सरसों	शरद ऋतु	10	50	डीएपी यूरिया	150 45	बढ़ी है	चमकार	100 ग्राम	बादशाह	500 ग्राम
जायद मिंट	ग्रीष्म ऋतु	250	50	डीएपी यूरिया	100 100	बढ़ी है	कोराजिन	30 ग्राम	एजिल	500 मिलीलीटर

31 कृषि वानिकी, सामाजिक वानिकी, बंजर भूमि विकास और अन्य वृक्षारोपण गतिविधियाँ							
वृक्षारोपण गतिविधि का प्रकार	कवर किया गया क्षेत्र	जगह	योजना का उपयोग: राष्ट्रीय कृषि वानिकी मिशन (1) एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (2) वर्षा आधारित क्षेत्र कार्यक्रम (3) मनरेगा (4) वृक्षारोपण जन आंदोलन (5) अन्य (6) - विवरण दें	रोपित प्रजातियाँ	आरंभ की तिथि	% सफलता	कृषि -वानिकी गतिविधि का उपयोग करने या उससे लाभ उठाने के अवसर/पहुंच
	तालाब स्कूल	बासिनपुरवा	मनरेगा	पाकर, जामुन			
	पंचायत भवन	नबीगंज	वृक्षारोपण जन आंदोलन	पीपल, आवला			
	नहर पटरी रोड पटरी	बासिनपुरवा अल्लाभ		मोहगिनी			



Livestock

10	Livestock	Number	प्रबंधन तकनीक (चारे में परिवर्तन, पोषण संपूरक (या सप्लीमेंट, खुली चराई आदि)	सालाना औसत आय (₹ प्रति पशु)	जलवायु परिवर्तन/बीमारियों के कारण पिछले 5 वर्षों में पशुधन की हानि
	गाय	60		16800	
	भैंस	200		60000	
	मुर्गीपालन				
	सुअर				
	कोई अन्य (निर्दिष्ट करें)	250		4-5,000	बच्चों की मृत्यु
	क्या ग्राम पंचायत में मधुमक्खी पालन/मत्स्यपालन/मुर्गा पालन किया जाता है?				

स्वच्छता एवं स्वास्थ्य

11	शौचालय	
	स्वयं के शौचालय वाले घरों की संख्या	90 % परिवारों के पास शौचालय है

12	अपशिष्ट					
a	अपशिष्ट जल के स्रोत क्या हैं?	घरेलू <input type="checkbox"/>	वाणिज्यिक <input type="checkbox"/>	औद्योगिक <input type="checkbox"/>	कृषि पदार्थियाँ <input type="checkbox"/>	सीवेज <input type="checkbox"/>
b	उत्पन्न अपशिष्ट जल की मात्रा (प्रतिदिन लीटर में अनुमानित)	200-300 लीटर				
c	गांव में अपशिष्ट जल उपचार सुविधा, यदि कोई हो	नहीं				





d	अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण या पुनः उपयोग प्रथाएँ, यदि कोई हों					
e	ग्राम पंचायत में सोख गड्डों की संख्या	12 गड्डे हैंडपम्प के पास बने हैं				





13 स्वास्थ्य सुविधाएं				
	स्वास्थ्य सेवा केन्द्रों की उपलब्धता	हाँ	नहीं	उपलब्ध छत क्षेत्र (मी ²)
a	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
b	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
c	स्वास्थ्य उप-केंद्र	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
d	आंगनवाड़ी	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

II. ऊर्जा

14 खाना पकाने के लिए उपयोग होने वाले ईंधन का विवरण		घरों की संख्या	प्रति परिवार औसत उपयोग मात्रा (किग्रा/माह)	
	पारंपरिक बायोमास (गाय का गोबर/ईंधन लकड़ी)	10 % परिवार	लकड़ी- 50 किलो उपले - 10 किलो	
	बायोगैस			
	रसोई गैस			
	बिजली	5%		
	सौर			
	अन्य (कोयला, केरोसिन, चारकोल आदि)			
15 वाहन संख्या				
	वाहन का प्रकार	पंचायत में वाहनों की संख्या (लगभग)	प्रयुक्त ईंधन का प्रकार	औसत यात्रा दूरी (किमी/दिन)
a	जीप			
b	कारें	21	डीजल +पेट्रोल	20 किलोमीटर
c	दो पहिया वाहन	400	पेट्रोल	10 किलोमीटर





d	ईवी (EV)			
e	ऑटो			
f	ई-रिक्शा	5		60 किलोमीटर
g	अन्य DCM- 2 PICKUP- 4	06	डीजल	100 किलोमीटर

16	कृषि मशीनरी	पंचायत में मशीनों की संख्या	प्रयुक्त ईंधन का प्रकार	औसत यात्रा दूरी (किमी/दिन)
a	ट्रैक्टर	40	डीजल	4 किलोमीटर
b	फसल काटने की मशीन	1	डीजल	1-2 किलोमीटर
c	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें)			

अतिरिक्त प्रश्न

अतिरिक्त प्रश्न	संख्या
नाडेप एवं कम्पोस्ट गड्डों की आवश्यकता:	00
ग्राम पंचायत में हैंडपंपों की संख्या:	50 इंडियामार्क 300 प्राइवेट हैंडपम्प
सड़कों की वर्तमान स्थिति <ul style="list-style-type: none">Total Kuchha roads (in km) in GPCondition of existing roads: मौजूदा सड़कों की स्थिति:खराब स्थिति वाली सड़कों की कुल लंबाई-किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है (गड्ढे, निचले इलाके, क्षतिग्रस्त/टूटे हुए) जल जमाव	500 मीटर Condition ठीक है
<ul style="list-style-type: none">नये नालों के निर्माण की आवश्यकता (length and cost)	350 मीटर नए नाले के निर्माण की आवश्यकता है 1100 मीटर नाली निर्माण के आवश्यकता है





<ul style="list-style-type: none"> जलभराव को रोकने के लिए मौजूदा नालियों की सफाई, गाद निकालना और मरम्मत करना (length and cost) 	<p>नाला निर्माण की लागत- ₹० 17 लाख</p> <p>नाली निर्माण की लागत – ₹० 25 लाख</p>				
कूड़ेदान की आवश्यकता	125				
आवश्यक सोलर स्ट्रीटलाइट और हाईमास्ट की संख्या	<p>सोलर स्ट्रीट लाइट- 150</p> <p>हाइ मास्ट लाइट – 20</p>				
अंत्योदय डेटा (verify) Total number of househods:440	<p>NFS data</p> <table border="1"> <tr> <td>Households with Paatra Grahasti Ration Cards</td> <td>407</td> </tr> <tr> <td>Households with Antyodaya Cards</td> <td>33</td> </tr> </table>	Households with Paatra Grahasti Ration Cards	407	Households with Antyodaya Cards	33
Households with Paatra Grahasti Ration Cards	407				
Households with Antyodaya Cards	33				
<p>तालाबों एवं कुओं की वर्तमान स्थिति इनका उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है? उनमें से कितनों को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है?</p>	<p>05 तालाब मिट्टी से पटे हुए हैं</p> <p>05 तालाबों में घरों के गंदा पानी जाता है</p> <p>03 तालाबों में सिंचाई की खेती की जाती है</p> <p>02 तालाबों से सिंचाई की जाती है</p> <p>01 तालाब को अमृत सरोवर के रूप में तैयार किया गया है</p> <p>05 तालाबों को पुनर्जीवित करने के आवश्यकता है</p>				
आवश्यक रिचार्ज पिटों की संख्या?	10 रिचार्ज पिट की आवश्यकता				
ग्राम पंचायत में आवश्यक ऑटो/ई-रिक्शा की संख्या					
01 घर में सोलर रूफटॉप लगा हुआ है जिसकी क्षमता 3-4 किलोवाट की है					
पिछले 10 सालों में पेड़ों की संख्या कम हो गयी है					
गर्मी में 3 माह की बढ़ोत्तरी सर्दियों में 30 दिन की कमी आई है					
बरसात के दिनों में कमी और तीव्रता बढ़ी है					



अनुलग्नक III: लक्ष्य, लागत, उत्सर्जन से बचाव और अनुक्रमण क्षमता का अनुमान

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियाँ	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना				
1	वृक्षारोपण गतिविधियाँ	<p>चरण 1: वर्तमान में ग्राम पंचायत में हो रही गतिविधियों के सामान (प्रधान के साथ परामर्श के दौरान जानना अनिवार्य है)</p> <p>चरण 2: भूमि की उपलब्धता के आधार पर वृक्षारोपण लक्ष्य को 500-1000 तक बढ़ाना।</p> <p>चरण 3: भूमि की उपलब्धता के आधार पर लक्ष्य को 500-1000 तक और बढ़ाना।</p>	<p>वृक्षारोपण (तैयारी, पौधारोपण, श्रम आदि)⁷⁹ = ₹70 प्रति पेड़ (पौधे डीओईएफसीसी, उत्तर प्रदेश सरकार से निःशुल्क उपलब्ध हैं)</p> <p>ट्री गार्ड (धातु)⁸⁰ = ₹1,200 प्रति इकाई</p> <p>वृक्षारोपण का रखरखाव: ₹1.5 लाख/हेक्टेयर</p>	<p>सागौन की प्रजातियों के आधार पर अनुक्रमण की क्षमता का अनुमान - प्रति पेड़ 5.6 से 10 टन कार्बन डाइऑक्साइड (tCO₂e)</p>
2	आरोग्य वन	<ul style="list-style-type: none"> 300-400 हेक्टेयर से कम क्षेत्र वाले ग्राम पंचायत के लिए, 0.1 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ एक आरोग्य वन का सुझाव दिया जा सकता है। लगभग 1000 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाली ग्राम पंचायत के लिए, भूमि की उपलब्धता के आधार पर 0.2-0.5 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले एक आरोग्य वन का सुझाव दिया जा सकता है। 		<p>कृषि वानिकी के लिए वृक्षारोपण घनत्व 100 पेड़/ हेक्टेयर माना जाता है</p>
3	कृषि वानिकी	<p>(यह व्यक्तिपरक हो सकता है और कृषि-वानिकी गतिविधियाँ चरण 1 से शुरू की जा सकती हैं)</p> <p>चरण 2: कुल कृषि भूमि का 40% ; साथ ही + प्रति हेक्टेयर 100 पेड़ लगाया जाना</p> <p>चरण 3: शेष कृषि भूमि ; साथ ही + प्रति हेक्टेयर 100 पेड़ लगाया जाना</p>	<p>कृषि वानिकी की लागत⁸¹ = ₹40,000/हेक्टेयर⁸²</p>	

79 वृक्षारोपण दिशानिर्देशों और ग्राम पंचायत से प्राप्त सुझावों के अनुसार लागत

80 लागत बाजार भाव के अनुसार

81 कृषि वानिकी दिशानिर्देशों पर उप-मिशन, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन के अनुसार लागत

82 <https://link.springer.com/article/10.1007/s42535-022-00348-9>

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
----------	----------------------	---	--	-----------------------------------

सतत कृषि

1	सूक्ष्म सिंचाई-ड्रिप एवं स्प्रिंकलर (छिड़काव) सिंचाई	<p>चरण 1: कुल कृषि भूमि का 30% सम्मिलित किया जाना</p> <p>चरण 2: कुल कृषि भूमि का 70% सम्मिलित किया जाना</p> <p>चरण 3: कुल कृषि भूमि का 100% सम्मिलित किया जाना</p>	₹1 लाख प्रति हेक्टेयर	
2	मेड़बंदी का निर्माण	<p>चरण 1: सम्मिलित की जाने वाली कुल कृषि भूमि का 50%</p> <p>चरण 2: सम्मिलित की जाने वाली कुल कृषि भूमि का 100%</p> <p>चरण 3: मेड़ों का रखरखाव</p> <ul style="list-style-type: none"> - मेड़ों का निर्माण कृषि क्षेत्रों की परिधि पर किया जाता है - ग्राम पंचायत में किसानों के पास विभिन्न आकारों की भूमि होती है। अनुमान : सभी खेत वर्गाकार होते हैं। 	1 मी. मेड़बंदी के लिए ⁸³ = ₹150	
3	कृषि तालाबों का निर्माण	<p>चरण 1: 5-10 तालाब</p> <p>चरण 2: 15-20 तालाब चरण : यदि आवश्यक हो तो अधिक + तालाबों का रखरखाव</p> <p>1 कृषि तालाब की क्षमता = 300 m³</p> <p>ग्राम पंचायत में बड़े खेतों की संख्या + तालाबों की आवश्यकता पर निर्भर करता है (प्रधान से की गई बातचीत के आधार पर)</p>	1 कृषि तालाब का निर्माण ⁸⁴ = ₹90,000	

83 अन्य ग्राम पंचायतों के एचआरवीसीए से प्राप्त इनपुट के अनुसार

84 अन्य ग्राम पंचायतों के एचआरवीसीए से प्राप्त इनपुट के अनुसार

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
5	प्राकृतिक खेती की ओर कदम बढ़ाना	<p>चरण 1: कुल कृषि भूमि का 15% सम्मिलित किया जाना</p> <p>चरण 2: कुल कृषि भूमि का 40% सम्मिलित किया जाना</p> <p>चरण 3: कुल कृषि भूमि का 100% सम्मिलित किया जाना</p>	<p>a. प्रशिक्षण और प्रदर्शन (3 सत्र): ₹60,000</p> <p>b. प्रमाणीकरण (विशेषज्ञ परामर्श के आधार पर): ₹33,000</p> <p>c. फसल प्रणाली का परिचय- जैविक बीज खरीद; नाइट्रोजन संचयन संयंत्र लगाना--> प्रति एकड़ लागत = ₹2,500</p> <p>d. एकीकृत खाद प्रबंधन- तरल जैव उर्वरक की खरीद और उसका उपयोग; तरल जैव कीटनाशकों की खरीद और उसका उपयोग; प्राकृतिक कीट नियंत्रण तंत्र की स्थापना; फॉस्फेट युक्त जैविक खाद---> प्रति एकड़ लागत = ₹2,500</p> <p>e. गणना (प्रति एकड़ परिवर्तन की लागत) = a + b + c + d = ₹1,00,000 कुल लागत⁸⁵: क्षेत्र (हेक्टेयर) * e->2.471 * 1,00,000 = ₹2,47,100</p>	

85 यूपी राज्य जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी (UPSOCA_Tariff_20March.pdf (apeda.gov.in)) और राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (NMSA) दिशानिर्देश

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
----------	----------------------	---	--	-----------------------------------

जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प

1	वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) संरचनाएं	<p>चरण 1: सभी सरकारी/पीआरआई भवनों में</p> <p>चरण 2: सभी पीआरआई भवनों + पुनर्भरण गड्डों में वर्षा जल संचयन संरचनाओं (आरडब्ल्यूएच) की स्थापना (एचआरवीसीए में सुझाई गई)</p> <p>चरण 3: 1000 वर्ग फुट के आवासीय भवनों में आरडब्ल्यूएच संरचनाओं की स्थापना + सभी नए भवनों में आरडब्ल्यूएच प्रणाली को सम्मिलित करना</p>	<p>10 m³ क्षमता वाली 1 वर्षा जल संचयन संरचना की लागत⁸⁶ = ₹35,000</p> <p>1 पुनर्भरण गड्डे की लागत = ₹35,000</p>	
2	जल निकायों का रखरखाव (यदि ये वृक्षारोपण समग्र हरित स्थान को बढ़ने के प्रयासों का हिस्सा हैं, जैसा कि ऊपर बताया गया है तो लागत की दोगुनी गणना नहीं की जाएगी)	<p>चरण 1: जल निकायों की सफाई, गाद निकालना और बाड़ लगाना + जल निकायों की परिधि के आसपास वृक्षारोपण (1000) (ट्री गार्ड के साथ)</p> <p>चरण 2: जल निकायों के आसपास अतिरिक्त 100 वृक्षारोपण (वृक्ष रक्षकों के साथ) + जल निकायों का निरंतर रखरखाव</p> <p>चरण 3: जल निकायों का निरंतर रखरखाव</p>	<p>अनुमानित लागत⁸⁷: 1. 1 तालाब का जीर्णोद्धार (सफाई, गाद निकालना, जलग्रहण क्षेत्र में वृद्धि, आदि) = ₹7 लाख</p> <p>2. 1 रिटेंशन तालाब (300 मीटर³ क्षमता) का निर्माण = : ₹7 लाख</p> <p>3. ट्री गार्ड के साथ वृक्षारोपण = ₹1,200 प्रति यूनिट</p> <p>4. रखरखाव की लागत:</p> <p>a. 1 तालाब/जल निकाय = ₹3,75,000</p> <p>b. 1 प्रतिधारण तालाब = ₹50,000</p> <p>c. ट्री गार्ड वाला पेड़ = ₹20 प्रति यूनिट</p>	

86 छत पर वर्षा जल संचयन दिशानिर्देश, भारतीय मानक (IS 15797:2008)

87 अन्य ग्राम पंचायतों के एचआरवीसीए से प्राप्त इनपुट के अनुसार

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
3	जल निकासी और सीवेज बुनियादी ढांचे को बढ़ाना	<p>चरण 1:</p> <p>मौजूदा नालों की सफाई और गाद निकालना, जल निकासी के बुनियादी ढांचे को बढ़ाना (नए नालों का निर्माण)</p> <p>सीवेज उपचार के लिए आवश्यकता मूल्यांकन के आधार पर DEWATS का निर्माण</p>	<p>अधिकतर एचआरवीसीए में प्रदान की गई लागतों का संदर्भ लें</p> <p>DEWATS/ऑक्सीकरण तालाब के लिए:</p> <p>प्रत्येक जीपी के लिए 4000 की आबादी और जल आपूर्ति मात्रा 100 लीटर/व्यक्ति/दिन, उत्पन्न अपशिष्ट जल जल आपूर्ति का 70% है, इसलिए उत्पन्न कुल अपशिष्ट जल 2,80,000 लीटर/दिन या 0.28 एमएलडी है।</p> <p>इसलिए, भविष्य की मांग को ध्यान में रखते हुए, DEWATS/ऑक्सीकरण तालाब की अनुमानित क्षमता = 0.56 MLD (मौजूदा उत्पन्न अपशिष्ट जल को दोगुना करना)</p> <p>1 एमएलडी क्षमता वाले DEWATS/ऑक्सीकरण तालाब की लागत रु. 50 लाख, इसलिए 0.56MLD DEWAT के लिए लगभग रु. 28 लाख होगा</p>	
		<p>चरण 2 और 3:</p> <p>चरण 1 में की गई गतिविधियाँ जारी</p>		

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
----------	----------------------	---	--	-----------------------------------

सतत और उन्नत गतिशीलता

1	सार्वजनिक परिवहन (आईपीटी) को बढ़ाना	ग्राम पंचायत की आवश्यकतानुसार सुझावों के अनुसार ई-ऑटोरिक्शा	1 ई-ऑटोरिक्शा की कीमत: ~₹3,00,000 उपलब्ध सब्सिडी: प्रति वाहन ₹12,000 तक	
2	ई-ट्रैक्टर और ई-माल वाहन किराए पर लेने की सुविधा	चरण 1: डीजल ट्रैक्टरों और माल परिवहन वाहनों के इलेक्ट्रिक विकल्पों को बढ़ावा देना + किसानों को ई-वाहनों के दीर्घकालिक लाभों के बारे में जागरूक करना चरण 2 और 3: निरंतर जागरूकता	1 ई-ट्रैक्टर की कीमत = ₹6,00,000 1 कमर्शियल ई-वाहन की कीमत = ₹5 लाख से 10 लाख	

सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

1	अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली स्थापित करना	चरण 1: a. ग्राम पंचायत की घर-घर कचरा संग्रहण प्रणाली के अंतर्गत 100% घरों को सम्मिलित करना b. मौजूदा कचरे का 100% एकत्र करने के लिए इलेक्ट्रिक कचरा वैन की व्यवस्था c. कूड़ादानों की स्थापना d. अन्य हितधारकों (एसएचजी, स्थानीय स्कैप डीलर, स्थानीय व्यवसाय और एमएसएमई) के साथ साझेदारी बनाना	कुल उत्पन्न कचरा = प्राथमिक डेटा, यदि उपलब्ध नहीं है, तो ग्राम पंचायत में उत्पन्न प्रति व्यक्ति औसत कचरा लगभग 80 ग्राम प्रति दिन लें; बायोडिग्रेडेबल/जैविक अपशिष्ट- 58% गैर-बायोडिग्रेडेबल/ अकार्बनिक अपशिष्ट - 42% आवश्यक ई-कचरा वैन की संख्या ⁸⁸ = कुल उत्पन्न कचरा/प्रत्येक वैन की क्षमता (310 किग्रा) कूड़ेदानों की संख्या = एचआरवीसीए से या उचित स्थानों की पहचान करके अनुमान लगाया जा सकता है स्थान (पीआरआई भवन, सार्वजनिक भवन, पार्क, आदि)	
---	--------------------------------------	--	--	--

88 कीमत बाजार भाव के अनुसार

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
		चरण 2: a. अतिरिक्त कूड़ादानों की स्थापना b. अतिरिक्त इलेक्ट्रिक कचरा वैन की व्यवस्था c. मौजूदा सुविधाओं/बुनियादी ढांचे का रखरखाव d. साझेदारी को बढ़ाना	अतिरिक्त कूड़ादान = एचआरवीसीए से या उचित स्थानों (पीआरआई भवन, सार्वजनिक भवन, पार्क, आदि) की पहचान करके अनुमानित करना	
		चरण 3: a. रखरखाव कार्य b. साझेदारी को बढ़ाना	लागत ⁸⁹ : 1. 1 इलेक्ट्रिक कचरा वैन = ₹95,000 से 1,00,000 2. 1 कूड़ादान/कंटेनर ⁹⁰ = ₹15,000 3. प्लास्टिक श्रेडर यूनिट ⁹¹ = ₹50,000 प्रति यूनिट	
2	जैविक अपशिष्ट का प्रबंधन	चरण 1: a. सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से कम्पोस्ट और वर्मी-कम्पोस्ट गड्डों की स्थापना b. पंचायत, समुदाय के सदस्यों और किसान समूहों के बीच साझेदारी मॉडल: 1. कम्पोस्ट का उत्पादन एवं विक्रय 2. कृषि अपशिष्ट की बिक्री	कुल उत्पन्न बायोडिग्रेडेबल/ जैविक कचरा = प्राथमिक डेटा घरों, वाणिज्यिक दुकानों, सरकारी/पीआरआई भवनों, सार्वजनिक भवनों और खुले स्थानों आदि से जैविक कचरा = xxx किलोग्राम प्रति दिन (प्राथमिक डेटा के अनुसार) संभावित खाद की मात्रा (किलो प्रति दिन) जो उत्पन्न की जा सकती है ⁹² = xxx किग्रा/दिन जैविक अपशिष्ट / 2 प्रति वर्ष __ किलोग्राम कृषि अपशिष्ट की आवधिक खाद बनाना (प्राथमिक डेटा के अनुसार)	

89 लागत बाजार भाव के अनुसार

90 एसबीएम दिशानिर्देशों और एचआरवीसीए रिपोर्ट में इनपुट के अनुसार लागत

91 लागत बाजार भाव के अनुसार

92 <https://www.biocycle.net/connection-co2-math-for-compost-benefits/#:~:text=In%20the%20process%20of%20making%20compost%20the%20microbes,food%20waste%20turns%20into%2050%20kg%20of%20>

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
		चरण 2 और 3: a. रखरखाव और कम्पोस्ट गड्डों की क्षमता बढ़ाना b. साझेदारी को बढ़ाना बेहतर स्वच्छता प्रबंधन	लागत ⁹³ : 1. कम्पोस्ट गड्डों की लागत संदर्भ: 30 वर्मीकम्पोस्टिंग और 15 नाडेप कम्पोस्ट गड्डे = ₹4,50,000 2. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन यार्ड (जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के कचरे के लिए) लागत संदर्भ ⁹⁴ : ₹35,00,000	
3	बेहतर स्वच्छता प्रबंधन	चरण 1: घरेलू शौचालय कवरेज को बढ़ाना चरण 2 और 3 शौचालय कवरेज का विस्तार और मौजूदा बुनियादी ढांचे का रखरखाव लागत ट्विन पिट वाले शौचालय ⁹⁵ : ₹12,000		
4	एकल-उपयोग-प्लास्टिक पर प्रतिबंध	चरण 1: a. सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध b. जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता-निर्माण कार्यक्रम c. रेस अभियान और लाइफ़ मिशन का लाभ उठाना d. पंचायत, महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों के बीच साझेदारी मॉडल	विनिर्माण के क्षेत्र में 100 महिलाओं की भागीदारी	
		चरण 2: a. निरंतर जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम b. पंचायत और आस-पास के गांवों में महिलाओं, एसएचजी, एमएसएमई और व्यक्तिगत उद्यमियों की भागीदारी बढ़ाना	अतिरिक्त 200 महिलाएं	

93 अन्य ग्राम पंचायतों के एचआरवीसीए से प्राप्त इनपुट के अनुसार

94 अन्य ग्राम पंचायतों के एचआरवीसीए से प्राप्त इनपुट के अनुसार

95 <https://pib.gov.in/PressReleaseSelfframePage.aspx?PRID=1797158>

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
		चरण 3: a. निरंतर जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम b. पंचायत और आसपास के गांवों में महिलाओं, एसएचजी, एमएसएमई और व्यक्तिगत उद्यमियों की भागीदारी बढ़ाना	अतिरिक्त 300 महिलाएँ	
5	स्वच्छता अवसंरचना को बढ़ाना	चरण 1: घरेलू शौचालय कवरेज को बढ़ाना चरण 2 और 3: शौचालय कवरेज बढ़ाना और मौजूदा बुनियादी ढांचे का रखरखाव	1 ट्विन पिट शौचालय की लागत ⁹⁶ = ₹15,000 से ₹20,000	

स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच

1	सोलर रूफटॉप	चरण 1: सरकारी/पीआरआई भवन (पंचायत भवन, स्कूल, आंगनवाड़ी, पीएचसी, सीएचसी, सीएससी आदि) अनुमान- छत के 70% क्षेत्र की सोलर रूफटॉप लगाने के लिए उपलब्धता	प्रति परिवार औसत स्थापित क्षमता = 3 kWh परिवार स्तर पर स्थापन कुल क्षमता = परिवारों की संख्या * 3 kWh वार्षिक स्वच्छ बिजली का उत्पादन (kWh में) = स्थापित क्षमता (kW) * 310 (धूप वाले दिन) * 24 (घंटे) * 0.18 (सीयूएफ) (प्रत्येक पीआरआई भवन के लिए इसकी गणना करें और कुल जोड़ें) स्थापित क्षमता- उपरोक्त वेबसाइट से कुल स्थापित क्षमता = पंचायत भवन + स्कूल 1 + स्कूल 2.... + कोई अन्य पीआरआई भवन kWh लागत = ₹50,000 ⁹⁷ प्रति दिन उत्पादित स्वच्छ बिजली की इकाइयों की संख्या = उत्पादित बिजली/365	उत्पन्न वार्षिक बिजली (kWh)* $0.82 / 1000 =$ --- tCO
---	-------------	--	--	---

96 https://smartnet.niua.org/sites/default/files/resources/SBM_Guideline.pdf

97 एमएनआरई और मौजूदा बाजार दरों के अनुसार लागत

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
		<p>चरण 2 और 3: परिवार अनुमान- छत के 70% क्षेत्र की सोलर रूफटॉप लगाने के लिए उपलब्धता मानी गई स्थापित क्षमता - 3 किलोवाट पॉवर</p> <p>चरण 2: स्थापित करने के लिए कुल पक्के घरों का 40%</p> <p>चरण 3: स्थापित करने के लिए कुल पक्के घरों का 100%</p>	<p>प्रति परिवार औसत स्थापित क्षमता = 3 kWp</p> <p>परिवार स्तर पर स्थापित कुल क्षमता = परिवारों की संख्या * 3 kWp</p> <p>वार्षिक स्वच्छ बिजली का उत्पादन (kWh)= पारिवारिक स्तर पर स्थापित कुल क्षमता (kWp) *310 (धूप वाले दिन)*24 (घंटे)*0.18 (सीयूएफ)</p> <p>kWp लागत = ₹50,000⁹⁸</p> <p>प्रति दिन उत्पादित स्वच्छ बिजली की इकाइयों की संख्या= वार्षिक उत्पादित बिजली/365</p>	
2 ⁹⁹	कृषि-फोटोवोल्टिक	<p>चरण 2: उपयुक्त कृषि क्षेत्र का 25%</p> <p>चरण 3: उपयुक्त कृषि क्षेत्र का 50%</p> <p>उपयुक्त कृषि क्षेत्र – दलहनों और सब्जियों के अंतर्गत क्षेत्र (मूल्य 10 हेक्टेयर से कम रखें)</p>	<p>प्रति हेक्टेयर 250 kWp स्थापित</p> <p>कुल स्थापित क्षमता = क्षेत्रफल (हेक्टेयर) * 250 kWp पॉवर</p> <p>वार्षिक स्वच्छ बिजली का उत्पादन (kWp में)= कुल स्थापित क्षमता (किलोवाट) *310 (धूप वाले दिन)*24 (घंटे)*0.18 (सीयूएफ)</p> <p>प्रति kWh लागत = ₹1 लाख¹⁰⁰</p> <p>प्रति दिन उत्पादित स्वच्छ बिजली की इकाइयों की संख्या= वार्षिक उत्पादित बिजली/365</p>	

98 एमएनआरई और मौजूदा बाजार दरों के अनुसार लागत

99 https://solarrooftop.gov.in/rooftop_calculator

100 स्थापना की लागत बाजार दर के अनुसार

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
3	सौर पंप	<p>चरण 1: 20% डीजल पम्पों का बदला जाना</p> <p>चरण 2: 50% डीजल पम्पों का बदला जाना</p> <p>चरण 3: 100% डीजल पम्पों का बदला जाना</p>	<p>स्थापित क्षमता = 5.5 किलोवाट प्रति पंप</p> <p>कुल स्थापित क्षमता = बदले गए पंपों की संख्या * 5.5 kWh</p> <p>वार्षिक स्वच्छ बिजली उत्पादन = कुल स्थापित क्षमता (kWh) * 310 (दिन) * 24 (घंटे) * 0.18 (सीयूएफ)</p> <p>प्रति दिन उत्पादित स्वच्छ बिजली की इकाइयों की संख्या = वार्षिक उत्पादित बिजली / 365</p> <p>प्रति पंप लागत = ₹3 से 5 लाख¹⁰¹</p>	<p>डीजल की खपत को कम करना = 390 लीटर/ प्रति/वर्ष</p> <p>प्रति वर्ष कम कुल डीजल खपत = बदले गए पंपों की संख्या * 390</p> <p>उत्सर्जन से बचाव = प्रति पंप प्रति वर्ष 1.05 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन (CO₂e)</p>
4	रसोई में स्वच्छ ईंधन का उपयोग	<p>चरण 1: 25% घरों में बायोगैस स्थापित करने के लिए मवेशी + शीर्ष आय वर्ग में 25% घरों में सौर इंडक्शन कुकस्टोव + 50% परिवार जो वर्तमान में बायोमास का उपयोग करते हैं उनके पास बेहतर चूल्हों की उपलब्धता</p> <p>चरण 2: 50% घरों में बायोगैस स्थापित करने के लिए मवेशी + 50 शीर्ष आय वर्ग के % घरों में सौर इंडक्शन चूल्हे + वर्तमान में बायोमास का उपयोग करने वाले 100% घरों में बेहतर चूल्हों की उपलब्धता</p> <p>चरण 3: 100% घरों में बायोगैस स्थापित करने के लिए मवेशी + शीर्ष आय समूहों में 100% घरों में सौर इंडक्शन और खाना पकाने का चूल्हे की उपलब्धता</p>	<p>1 बायोगैस प्लांट की लागत = ₹50,000</p> <p>2 से 3 m³ बायोगैस संयंत्र की लागत, बिना बैटरी वाले डबल बर्नर वाले सोलर कुकस्टोव की लागत = ₹45,000</p> <p>1 उन्नत चूल्हे की लागत = ₹3,000¹⁰²</p>	

101 एमएनआरई और मौजूदा बाजार दरों के अनुसार लागत

102 बाजार दर के अनुसार लागत

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
5	ऊर्जा दक्षता	<p>चरण 1: सभी सरकारी/पीआरआई भवनों को सभी फिक्स्चर और पंखों को ऊर्जा कुशल फिक्स्चर और पंखों से बदलना + सभी परिवारों के 1 तापदीप्त/सीएफएल बल्ब को एलईडी बल्ब से या 1 फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट को एलईडी ट्यूब लाइट से बदलना</p> <p>चरण 2: सभी तापदीप्त/सीएफएल बल्बों को एलईडी बल्ब से और सभी फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइटों को एलईडी ट्यूब लाइट से बदला जाना + सभी परिवारों में 1 पारंपरिक पंखे को ईई पंखे से बदला जाना ।</p> <p>चरण 3: सभी परिवारों में सभी पंखों को ईई पंखों से बदला जाएगा</p>	<p>1 एलईडी बल्ब की लागत = ₹70</p> <p>1 एलईडी ट्यूबलाइट की लागत = ₹220</p> <p>1 ईई पंखे की लागत = ₹1,110¹⁰³</p>	
6	सौर स्ट्रीटलाइट्स	प्रधान से प्राप्त जानकारी के आधार पर हाई-मास्ट सोलर स्ट्रीट लाइट - प्रत्येक सरकारी / पीआरआई भवन, तालाब/झील, हरित स्थान/पार्क/खेल का मैदान/उद्यान/आरोग्य वन के लिए 1 (या आवश्यकता के अनुसार अधिक)।	<p>1 सौर हाई-मास्ट की लागत = ₹50,000</p> <p>1 सौर एलईडी स्ट्रीट लाइट की लागत = ₹10,000¹⁰⁴</p>	

आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना

1	सौर ऊर्जा चालित कोल्ड स्टोरेज का निर्माण एवं किराये पर देना	कोल्ड स्टोरेज की स्थापना	<p>क्षमता: 1 इकाई = 5 - 10 मीट्रिक टन सब्जियाँ और फलों और/या दूध और दूध उत्पादों के उत्पादन पर आधारित:</p> <p>₹8-15 लाख प्रति यूनिट लागत: 8-15 लाख प्रति यूनिट¹⁰⁵</p>	
---	---	--------------------------	--	--

103 विद्युत मंत्रालय द्वारा उजाला योजना दिशानिर्देशों के अनुसार लागत (<https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specialdocs/documents/2022/jun/doc202261464801.pdf>)

104 बाजार दर के अनुसार लागत

105 बाजार मानदंडों के अनुसार लागत

अनुलग्नक IV: प्रासंगिक एसडीजी और लक्ष्य

एसडीजी 2: जीरो हंगर



लक्ष्य 2.3: भूमि, अन्य उत्पादक संसाधनों और इनपुट, ज्ञान, वित्तीय सेवाओं, मूल्यवर्धन और गैर-कृषि रोजगार के लिए बाजार और अवसर तक सुरक्षित और समान अभिगम सहित, छोटे पैमाने के खाद्य उत्पादकों, विशेष रूप से महिलाओं, स्वदेशी लोगों, पारिवारिक किसानों, चरवाहों और मछुआरों की कृषि उत्पादकता और आय को दोगुना करना।

लक्ष्य 2.4: वर्ष 2030 तक, सतत खाद्य उत्पादन प्रणाली सुनिश्चित करना तथा लचीली कृषि पद्धतियों को लागू करना जो उत्पादकता और उत्पादन को बढ़ाती हैं, जो पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में मदद करती हैं, जो जलवायु परिवर्तन, चरम मौसम, सूखा, बाढ़ और अन्य आपदाओं के अनुकूलन की क्षमता को सुदृढ़ करती हैं एवं जो भूमि और मिट्टी की गुणवत्ता में उत्तरोत्तर सुधार करती हैं।

लक्ष्य 2.a; अनुच्छेद 10.3.e.: सतत सिंचाई कार्यक्रमों का विकास

एसडीजी 3: अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली



लक्ष्य 3.3: एड्स, तपेदिक, मलेरिया और उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों की महामारी को समाप्त करना तथा हेपेटाइटिस, जल-जनित रोगों और अन्य संचारी रोगों से मुकाबला करना।

लक्ष्य 3.9: खतरनाक रसायनों और वायु, जल और मिट्टी के प्रदूषण और संदूषण से होने वाली मौतों और बीमारियों की संख्या में काफी कमी लाना।

एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता



लक्ष्य 6.1: पीने के पानी तक सार्वभौमिक और न्यायसंगत पहुँच प्राप्त करना।

लक्ष्य 6.3: वर्ष 2030 तक, प्रदूषण को कम करके, डंपिंग को समाप्त करके और खतरनाक रसायनों और सामग्रियों की रिहाई को कम करके, अनुपचारित अपशिष्ट जल के अनुपात को आधा करके और वैश्विक स्तर पर रीसाइक्लिंग और सुरक्षित पुनः इस्तेमाल को बढ़ाकर पानी की गुणवत्ता में सुधार करना।

लक्ष्य 6.4: सभी क्षेत्रों में जल-इस्तेमाल दक्षता में पर्याप्त वृद्धि करना और स्थायी निकासी सुनिश्चित करना

लक्ष्य 6.5: सभी स्तरों पर एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन लागू करना

लक्ष्य 6.8: स्थानीय समुदायों की भागीदारी को समर्थन और सुदृढ़ करना

लक्ष्य 6.a : अपशिष्ट जल उपचार, पुनर्चक्रण और पुनः इस्तेमाल प्रौद्योगिकियों सहित जल और स्वच्छता संबंधी गतिविधियों और कार्यक्रमों में विकासशील देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और क्षमता निर्माण सहायता का विस्तार करना।

एसडीजी 7: किफ़ायती एवं स्वच्छ ऊर्जा



लक्ष्य 7.1: किफ़ायती, विश्वसनीय और आधुनिक ऊर्जा सेवाओं तक सार्वभौमिक अभिगम सुनिश्चित करना।


लक्ष्य 7.2: ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाना

लक्ष्य 7.3: ऊर्जा दक्षता में सुधार की वैश्विक दर को दोगुना करना

लक्ष्य 7.a : नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और उन्नत और स्वच्छ जीवाश्म-ईंधन प्रौद्योगिकी सहित स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान और प्रौद्योगिकी तक अभिगम की सुविधा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना, और ऊर्जा अवसंरचना और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी में निवेश को बढ़ावा देना।

लक्ष्य 7.b: विकासशील देशों में उनके समर्थन कार्यक्रमों के अनुसार सभी के लिए आधुनिक और सतत ऊर्जा सेवाओं की आपूर्ति के लिए अवसंरचना का विस्तार और प्रौद्योगिकी का उन्नयन।

एसडीजी 8: अच्छा कार्य और आर्थिक विकास



लक्ष्य 8.3: विकास-उन्मुख नीतियों को बढ़ावा देना जो उत्पादक गतिविधियों, सही रोजगार सृजन, उद्यमिता, रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा देती हैं, और वित्तीय सेवाओं तक अभिगम सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों की औपचारिकता और विकास को प्रोत्साहित करती हैं।

एसडीजी 9: उद्योग, नवाचार और अवसंरचना



लक्ष्य 9.1: गुणवत्तापूर्ण, विश्वसनीय, टिकाऊ और लचीला बुनियादी ढाँचा विकसित करना

एसडीजी 11: संधारणीय शहर और समुदाय



लक्ष्य 11.2: सभी के लिए सुरक्षित, किफ़ायती, सुलभ और सतत परिवहन प्रणाली

लक्ष्य 11.4: विश्व की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत की रक्षा और सुरक्षा के प्रयासों को सुदृढ़ करना

लक्ष्य 11.7: वर्ष 2030 तक, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों, वृद्ध व्यक्तियों और विकलांग व्यक्तियों के लिए सुरक्षित, समावेशी और सुलभ, हरे और सार्वजनिक स्थानों तक सार्वभौमिक अभिगम प्रदान करना।

एसडीजी 12: सतत खपत और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना



लक्ष्य 12.2: प्राकृतिक संसाधनों का सतत प्रबंधन और कुशल इस्तेमाल प्राप्त करना

लक्ष्य 12.4: वर्ष 2020 तक, सहमत अंतरराष्ट्रीय ढाँचे के अनुसार रसायनों और उनके पूरे जीवन चक्र में सभी अपशिष्टों का पर्यावरणीय रूप से सुदृढ़ प्रबंधन प्राप्त करना, और मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर उनके प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए हवा, पानी और मिट्टी में उनकी रिहाई को काफी कम करना।

लक्ष्य 12.5: वर्ष 2030 तक रोकथाम, कमी, पुनर्चक्रण और पुनः इस्तेमाल के माध्यम से अपशिष्ट उत्पादन को काफी हद तक कम करना।

लक्ष्य 12.5: वर्ष 2030 तक रोकथाम, कमी, पुनर्चक्रण और पुनः इस्तेमाल के माध्यम से अपशिष्ट उत्पादन को काफी हद तक कम करना।

लक्ष्य 12.8: वर्ष 2030 तक, सुनिश्चित करें कि हर जगह लोगों के पास सतत विकास और प्रकृति के साथ सद्भाव में जीवन शैली के लिए प्रासंगिक जानकारी और जागरूकता हो।

एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्यवाही



लक्ष्य 13.1: सभी देशों में जलवायु संबंधी खतरों और प्राकृतिक आपदाओं के प्रति लचीलापन और अनुकूली क्षमता को सुदृढ़ करना।

लक्ष्य 13.2: जलवायु परिवर्तन उपायों को राष्ट्रीय नीतियों, रणनीतियों और योजना में एकीकृत करना।

लक्ष्य 13.3: जलवायु परिवर्तन शमन, अनुकूलन, प्रभाव में कमी और प्रारंभिक चेतावनी पर शिक्षा, जागरूकता बढ़ाने और मानव और संस्थागत क्षमता में सुधार करना।

एसडीजी 15: भूमि पर जीवन



लक्ष्य 15.1: अंतरराष्ट्रीय समझौतों के अंतर्गत दायित्वों के अनुरूप स्थलीय और अंतर्देशीय मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र और उनकी सेवाओं, विशेष रूप से जंगलों, आर्द्रभूमि, पहाड़ों और शुष्क भूमि के संरक्षण, बहाली और सतत इस्तेमाल को सुनिश्चित करना।

लक्ष्य 15.2: वर्ष 2020 तक सभी प्रकार के वनों के स्थायी प्रबंधन के कार्यान्वयन को बढ़ावा देना, वनों की कटाई को रोकना, नष्ट हुए वनों को पुनर्स्थापित करना और विश्व स्तर पर वनीकरण और पुनर्वनीकरण में पर्याप्त वृद्धि करना।

लक्ष्य 15.3: वर्ष 2030 तक, मरुस्थलीकरण से निपटना, मरुस्थलीकरण, सूखे और बाढ़ से प्रभावित भूमि सहित खराब भूमि और मिट्टी को बहाल करना, और भूमि क्षरण-तटस्थ दुनिया को प्राप्त करने का प्रयास करना। लक्ष्य 15.5: प्राकृतिक आवासों के क्षरण को कम करने, जैवविविधता के नुकसान को रोकने के लिए तत्काल और महत्वपूर्ण कार्यवाही करना।

लक्ष्य 15.9: वर्ष 2020 तक, पारिस्थितिकी तंत्र और जैवविविधता मूल्यों को राष्ट्रीय और स्थानीय योजना, विकास प्रक्रियाओं, गरीबी उन्मूलन रणनीतियों में एकीकृत करना।

अनुलग्नक V: वृक्षारोपण गतिविधियों के लिए उपयुक्त प्रजातियाँ

पौधों का नाम	प्रजाति (फैमिली)	स्थानीय नाम	उपयोग/औषधीय गुण
इमारती लकड़ी के पेड़			
अकेसिया निलोटिका	फैबेसी	बबूल	गाड़ियों के फ्रेम और पहियों, उपकरणों और औजारों जैसे उत्पादों को बनाने के लिए किया जाता है।
फ़िक्स रिलिजियोसा	मोरेसी	पीपल	इसमें औषधीय गुण और इसका धार्मिक महत्व है।
आज़ादिराक्टा इंडिका ए. जस	मेलियासी	नीम	नीम के पेड़ के सभी भाग - पत्ते, फूल, बीज, फल, जड़ और छाल का उपयोग पारंपरिक रूप से उपचार के लिए किया जाता रहा है। इसकी लकड़ी फर्नीचर के लिए आदर्श है, क्योंकि यह मजबूत और दीमक प्रतिरोधी दोनों है।
डालबर्गिया सिस्सो	फैबेसी	शीशम	इसके कई उपयोग हैं, हवाई और समुद्री जहाज में, कोयले के रूप में भोजन को गर्म करने और पकाने के लिए, संगीत वाद्ययंत्र बनाने आदि
मधुका लॉगिफोलिया	सैपोटेसी	महुआ	यह विभिन्न उपयोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण इमारती लकड़ी प्रदान करता है।
शोरिया रोबस्टा	डिप्टेरोकार्पेसी	साल	इसका उपयोग रेलवे स्लीपर, जहाज और पुलों के निर्माण के लिए किया जाता है।
सिनामोमम तमाला	लौरैसी	भारतीय तेज पत्ता	यह विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं को ठीक करने में मदद करता है और खाना पकाने में इसका उपयोग किया जाता है।
फल और जंगली खाद्य पौधे			
मैंगीफेरा इंडिका	एनाकार्डिएसी	आम (मैंगो)	इसके सभी भागों का उपयोग पारंपरिक उपचार में किया जाता है
आर्टोकार्पस हेटरोफिलस	मोरेसी	कटहल , (जैकफ्रूट)	इसकी लकड़ी का उपयोग फर्नीचर बनाने के लिए किया जाता है। पौधे के कई हिस्से, जिनमें छाल, जड़ें, पत्तियां और फल सम्मिलित हैं, पारंपरिक और लोक चिकित्सा में अपने औषधीय गुणों के लिए जाने जाते हैं।
सिडियम गुजावा	मायर्टेसी	अमरूद (गुआवा)	यह विभिन्न गैस सम्बन्धी रोगों के लिए एक सामान्य और लोकप्रिय पारंपरिक उपचार है।

पौधों का नाम	प्रजाति (फैमिली)	स्थानीय नाम	उपयोग/औषधीय गुण
एगारिकस कैम्पेस्ट्रीस एल	एगारिकेसी	धरती का फूल	एक प्रकार का मशरूम।
अंकोलसाल्विफोलियम (एलएफ) वांग	अलंगियासी	ढेरा (एको)	इसके पके फल खाए जाते हैं।
अमोर्फोफैलस पेओनीफोलियसडेनस्ट	अरेसी	हाथीपाँव, जिमी कंद	इसे सब्जी के रूप में खाया जाता है।
क्रोटोलारियाजंशिया एल.	फैबेसी	सनई	हल्की उबली हुई कलियाँ सब्जी के रूप में खाई जाती हैं।
मणिलकारा हेक्सेंड्रा (रोक्सब) डब	सैपोएटेसी	खिरनी	इससे प्राप्त फलों से अचार और सॉस बनाया जाता है।
यूजेनिया जाम्बोलाना	मायर्टेसी	जामुन	इसकी जड़, पत्तियाँ, फल और छाल में असंख्य औषधीय गुण होते हैं।
एगल मार्मेलोस	रूटेसी	बेल	कच्चे फल, जड़, पत्ती और शाखा का उपयोग औषधि बनाने के लिए किया जाता है।
मोरस रूबरा	मोरेसी	शहतूत	शहतूत को कच्चा खाया जा सकता है और इसका उपयोग जैम, प्रिजर्व, पाई बनाने के लिए भी किया जाता है। इनमें औषधीय गुण भी होते हैं।

औषधीय गुणों वाले पेड़

विथानियासोमिफेरा	सोलानेसी	अश्वगंधा	यह विभिन्न प्रकार के रोगों में उपयोगी है।
बकोपा मोनिएरी	प्लांटैगिनेसी	ब्राह्मी	इसका उपयोग विभिन्न सांस रोगों को ठीक करने के लिए किया जाता है।
एंद्रोग्राफीस पैनिकुलता	एकैथेसी	कालमेघ	यह प्रतिरक्षा को बढ़ाने में मदद करता है और इसका उपयोग सामान्य सर्दी, साइनसाइटिस और एलर्जी के लक्षणों को ठीक करने के लिए किया जाता है।
राउवोल्फिया सर्पेन्टिना	एपोसिनेसी	सर्पगंधा	इसका उपयोग कई अलग-अलग बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता है।

पौधों का नाम	प्रजाति (फैमिली)	स्थानीय नाम	उपयोग/औषधीय गुण
औषधीय गुणों वाले लुप्तप्राय पेड़			
एकोरस कैलमस एल.	अरेसी	बाख, बाल, घोर्बच	ब्रोंकाइटिस, खांसी और सर्दी के इलाज के लिए एक उपयोगी जातीय औषधीय पौधा।
ऐस्पैरैगस ऐडसेंडेसरोक्सबी	लिलिएसी	शतावरी	हार्मोन असंतुलन से संबंधित स्थितियों के उपचार में मदद करता है।
सेलास्ट्रस पैनिकुलैटस वाइल्ड ।	सेलास्ट्रेसी	उमजैन , मुजहानी , मलकांगनी, ककुंदन	विभिन्न प्रकार की बीमारियों के उपचार में उपयोगी है।
अन्य पेड़			
पोपुलस सिलियाटा	सैलिकैसी	सेमल, कपोक	इसकी पत्तियों का उपयोग पशुओं के चारे और हर्बल चाय के लिए किया जाता है।
यूकेलिप्टस ग्लोब्युलस	मायर्टेसी	तैलपत्र	खांसी और सामान्य सर्दी के उपचार के लिए दवाओं में उपयोग किया जाता है और आवश्यक तेल बनाने के लिए भी उपयोग किया जाता है।



Notes

